महानगर नई दिल्ली गुरुवार 12 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता बिल को संसद की मंजूरी

तीन देशों के गैर मुसलिम समुदायों के प्रताड़ित लोगों के नागरिक बनने का रास्ता साफ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक के संसद से पारित होने को भारत और इसके करुणा तथा भाईचारे के मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि विधेयक वर्षों तक पीड़ा झेलने वाले अनेक लोगों के कष्टों को दूर करेगा।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने को भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन करार देते हुए कहा कि यह उस भारत की सोच को चुनौती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े थे।

इससे पहले, गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को राज्यसभा में पारित करने का प्रस्ताव किया था और सभी पार्टियों से राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन बाकी पेज 8 पर

नागरिकता विधेयक किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, मुसलमानों को चिंता करने या भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है।
-अमित शाह, गृह मंत्री

लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी विधेयक पास। *गृह मंत्री* ने उम्मीद जताई कि यह विधेयक न्यायालय में सही पाया जाएगा क्योंकि इसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संसद ने पास किया है।

विधेयक के पक्ष में **125** मत

विधेयक के विरोध में **105** मत

विधेयक के लिए विभिन्न सदस्यों से 14 संशोधन आए थे।

प्रवर समिति में भेजने के खिलाफ मत **124**

प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में मत **99**

विधेयक पारित होना भारत और इसके करुणा तथा भाईचारे के मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नागरिकता विधेयक पर विपक्ष बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया और कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मोदी ने कहा कि पिछले छह महीने में सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने, अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसानों सहित विविध क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और पार्टी सांसद इन कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएं।

भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के नेता वैसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसी भाषा का उपयोग पाकिस्तान करता है और पार्टी सांसदों को इससे जनता को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपने देश बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने कहा, विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। *पार्टी* सांसदों से सरकार के कामों को जनता तक ले जाने और वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाने के लिए कहा।

असम और त्रिपुरा में उग्र प्रदर्शन, सेना उतारी गई

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

असम और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहा प्रदर्शन उग्र हो गया है। जगह-जगह से धरना, प्रदर्शन, हिंसक संघर्ष की खबरें हैं। असम के डिब्रूगढ़ और त्रिपुरा के मनु और कंचनपुर इलाकों में सेना उतारी गई है। हिंसा के मद्देनजर दोनों राज्यों के विभिन्न इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं।

गुवाहाटी में राज्य सचिवालय के पास आगजनी की खबरें हैं और प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों को काम खत्म होने के बाद बाहर निकलने से रोक दिया है। गुवाहाटी से चलने वाली दूरगामी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने असम में चबुआ और पानीटोला रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस विधेयक के विरोध में दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन की खबरें हैं।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 17 दिसंबर को निर्धारित मणिपुर बाकी पेज 8 पर

असम में केंद्र ने भेजे सीआरपीएफ के 10 हजार जवान, पांच हजार जवान पहुंचे
दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन
इंटरनेट सेवाओं पर रोक, ट्रेनें रद्द, गुवाहाटी में कर्फ्यू लागू
सचिवालय के पास हिंसक झड़पें, आगजनी

पेज-8

-मणिपुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू
-नगालैंड ने दीमापुर में भी इनर लाइन परमिट लागू किया

नानावटी आयोग ने तत्कालीन मोदी सरकार को दी क्लीन चिट

गांधीनगर, 11 दिसंबर (भाषा)।

नानावटी आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सदन में आयोग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के पांच साल और दंगों के 17 साल बाद सदन में पेश किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जीटी नानावटी और गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अक्षय मेहता के आयोग ने कहा कि कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस प्रभावी नहीं रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वे हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे।

आयोग ने 1,500 से अधिक पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया।' साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था। यह दंगे गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की दो बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे जिसमें 59 'कारसेवक' मारे गए थे।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'सभी सबूतों पर विचार करने के बाद आयोग ने पाया कि गोधरा घटना के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे वास्तव में उन घटनाओं के बाद हुए थे।' इसमें कहा गया है, 'गोधरा घटना के कारण ही हिंदू समुदाय का बड़ा वर्ग काफी बाकी पेज 8 पर

जीटी नानावटी

गुजरात दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश

रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के पांच साल और दंगों के 17 साल बाद सदन में पेश किया गया। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। *आयोग* ने 1,500 से अधिक पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया।'

दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर 'गंभीर' श्रेणी में

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बुधवार को 'गंभीर' श्रेणी' में पहुंच गई। अधिकारियों के मुताबिक तापमान कम रहने और हवा की गति धीमी रहने की वजह से ऐसा हो रहा है।

हालांकि, प्रदूषण का स्तर गुरुवार को थोड़ा घट सकता है क्योंकि चक्रवाती प्रवाह के चलते हल्की बारिश होने और हवा की गति छह से आठ किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ कर 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। बुधवार शाम चार बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 408 दर्ज किया जो मंगलवार को 369 था।

गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के लोगों ने भी अत्यंत प्रदूषित हवा में सांस ली और यहां एक्यूआइ क्रमशः 441, 426, 449, 390 और 370 दर्ज किया गया।

हवा में अतिसूक्ष्म कणों - पीएम 2.5 का स्तर शाम सात बजे तक 257.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक बाकी पेज 8 पर

वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम चार बजे 408 दर्ज किया गया जो मंगलवार को 369 था। वैसे अनुमान है कि चक्रवाती प्रवाह के कारण गुरुवार को प्रदूषण स्तर थोड़ा घट सकता है।

हैदराबाद मुठभेड़ : जांच के लिए पूर्व जज की नियुक्ति पर विचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह तेलंगाना में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने कहा-हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिर्फ यही चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में रहने वाले किसी पूर्व न्यायाधीश को इस मामले की जांच करनी चाहिए। जजों ने कहा-हमारा प्रस्ताव शीर्ष अदालत के किसी पूर्व न्यायाधीश को इस मामले की जांच के बाकी पेज 8 पर

पीठ ने कहा कि हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया है।

एशियाई विकास बैंक ने कहा, नौकरी के मौके घटे

भारत में वृद्धि दर का अनुमान अब 5.1 फीसद

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 फीसद से घटाकर बुधवार को 5.1 फीसद कर दिया।

एडीबी ने वृद्धि के अनुमान घटाने के आधार के बारे में कहा कि नौकरियों के अवसर सृजित होने की रफ्तार घटी है। फसलों के खराब होने और कर्ज की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव की स्थिति बनी हुई है। बदहाल स्थिति और रोजगार की धीमी वृद्धि दर ने उपभोग को प्रभावित किया है। इस कारण वृद्धि दर के अनुमान को घटाया गया है। एडीबी बाकी पेज 8 पर

ADB

इससे पहले, रिजर्व बैंक ने भी नरम मांग और सुस्त बाह्य मांग का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.1 फीसद से घटाकर पांच फीसद कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सात फीसद से घटाकर 6.1 फीसद किया है। विश्व बैंक ने भी यह अनुमान घटाकर छह फीसद किया है।

पुनर्विचार याचिकाओं पर आज विचार करेगी शीर्ष अदालत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत गुरुवार को चैंबर में विचार करेगी। इस फैसले ने अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था।प्रधान बाकी पेज 8 पर

इकबाल मिर्ची परिवार की 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची धनशोधन जांच मामले में 600 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

एजंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल, मुंबई के ताड़देव में अरुण चैंबर्स में स्थित एक कार्यालय, क्रॉफर्ड मार्केट में तीन वाणिज्यिक दुकानें और लोनावला में बाकी पेज 8 पर

अदालत ने सईद और उसके तीन शीर्ष सहयोगियों पर आरोप तय किए | **मुंबई हमले का षड्यंत्रकर्ता** | पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने अदालत में साक्ष्य पेश किए

आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हाफिज सईद पर आरोप तय

लाहौर, 11 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने बुधवार को मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण का आरोप तय किया है। उसे कानूनी शिकंजे में लाने के लिए इस्लामाबाद पर अत्यधिक अंतरराष्ट्रीय दबाव था।

आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) लाहौर ने सईद और उसके तीन शीर्ष सहयोगियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को आतंकी वित्त पोषण के लिए आरोपित किया है। एटीसी के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन को निर्देश दिया कि गवाहों को पेश करे और गुरुवार तक सुनवाई स्थगित कर दी। सईद (69) अन्य आरोपियों के साथ अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौजूद था। सुनवाई के बाद अदालत के अधिकारी ने कहा, 'सईद और उसके सहयोगियों के वकील ने अपने तर्क रखे और अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को आरोपित नहीं किया जाए।'

अधिकारी ने कहा, 'पंजाब के उप अभियोजन महानिदेशक अब्दुर रउफ ने कहा कि सईद और अन्य आतंकवादी वित्तपोषण के मामले में संलिप्त हैं और पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने इसके लिए साक्ष्य पेश किए हैं। उन्होंने आरोपियों को आरोपित करने का आग्रह किया।' अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति भी सौंपी गई।

पहले की सुनवाई की ही तरह पत्रकारों को कार्यवाही कवर करने के लिए अदालत परिसर में नहीं जाने दिया गया। सईद उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। इससे पहले सात दिसंबर को अदालत हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर आरोप तय नहीं कर सकी थी क्योंकि सहआरोपी जफर इकबाल को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सका। सईद को ऐसे समय में आरोपित किया गया है जब पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बन रहा है कि वह अपनी धरती से चलने वाले बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान पर था अंतरराष्ट्रीय दबाव

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और उसकी परमार्थ इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए उनकी संपत्तियों और ट्रस्टों के इस्तेमाल के मामलों की जांच शुरू कर दी है। सईद के जमात-उद-दावा को लश्कर का प्रमुख संगठन माना जाता है, जिसने 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Ansari Begum W/o Rafiq Ahmad R/o-B-65/2-A, B-Block Shastri Park, East Delhi-110053. inform that my name is wrongly-written as Hamsari Begum in my LIC Policy-No.122731056 & other documents. The actual name of mine is Ansari Begum which may be amended accordingly. 0040523780-8

I,Vijay Kumar S/O Parveen Kumar R/O-1240, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Changed My Name To Vijay Kumar Sehgal. 0040523775-10

I,Pooja W/o Naval Kishore R/o-F-91,DTC Colony,Hari Nagar-Depot, Jail Road, New.Delhi-110064, have changed,my name to Damyanti for all future, purposes. 0040523841-1

I, hitherto known as Sheibban Sheikh Pervez/Sheibban Pervez/Sheeban Pervez Son of Sheikh Pervez Hameed Resident of A-6 Friends Colony East, New Delhi 110065 have changed my name and shall hereafter be known as Sheibban Sheikh Pervez 0050159619-1

I, hitherto known as Sheeyzaan Sheikh Pervez/ Sheeyzaan Pervez/Sheezan Pervez Son of Sheikh Pervez Hameed Resident of A-6 Friends Colony East, New Delhi 110065 have changed my name and shall hereafter be known as Sheeyzaan Sheikh Pervez 0050159620-1

I, Vinod Kumar S/O Hari Kishan Gupta R/O H.No-451, Jammu Mohalla Delhi-110053 Have Changed My Name To Vinod Kumar Gupta. 0040523780-5

I, Vinay Padroo S/o Vijay Kumar Padroo R/o House No. 1467, Sector-3, Faridabad, Haryana-121004, inform that due to inadvertence, in the passport records my daughter's name is mentioned as Yashvee Padroo . Whereas, it should be "Yaashvi Padroo" and for all purposes in future. 0040523801-1

I, Vijay Kumar Padroo S/o Late Sh. Sham Lal Padroo R/o House No. 1467, Sector-3, Faridabad, Haryana-121004, inform that due to inadvertence, the name of my father is mentioned as Shyam Sunder Lal Padroo in the passport records. Whereas, it should be Sh. Sham Lal Padroo (Late). 0040523797-1

I, Vijay Kumar Gupta also known as Vijay Kumar S/o Late Sh. Om Parkash Gupta R/o C.R.-216, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name to Vijay Gupta. 0040523744-1

I, Tashwar Ali S/O Manjoor Hasan, H.No.278 Top-Floor Gali No.14 Zakir-Nagar Jamia-Nagar New Freinds Colony 110025. Changed My Name To Tasawwur Ali. 0040523800-5

I, Shailendu Dixit S/o Shardendu Kumar Dixit R/o 281/379, Mill Road, Mawayia, Lucknow-226004, have changed my name to Shailendu Kumar Dixit for all purposes. 0040523733-2

I, Santosh Relhan @Santosh Kumari Khurana D/o Late Ved Prakash Khurana, W/o Sudhir Relhan R/o-WZ-1851,First-Floor Multani-Mohalla Rani Bagh, Shakur-Basti Delhi-110034, changed my name to Santosh Khurana for all future purposes. 0040523800-3

I, Rani Uneza W/O Anas Mirza, H-No.1430, Chatta Nawab Saheb Farashkhana Delhi 110006. Changed My Name To Oneza. 0040523800-4

I, Ram Narayan Katiyar S/o-Sham Lal R/o-Kh.no.782 3rd-floor extended Lal Dora Kamalpur Burari Delhi-84. Changed my name Ram Narayan. 0040523775-3

I, Ram Chander S/o Ram Pal R/o 331, First Floor, Surya-Nagar, Phase-2, Sector-91,Faridabad, Haryana-121013.have changed my name to Ram Chander Verma. 0040523775-4

I, Rahul Kumar S/o Late Shri Banarsi Giri, R/o A-204, Navjiwan Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019. Informs that I have changed my name from Rahul Kumar to Rahul Giri for all future purposes. 0040523732-1

I, R.K. Arora S/O Shri.Khairati Lal R/O-Yuth Hostel, Club Road, Civil-Line, Punjabi-Camp, Delhi-110054. have changed my name to Raman Kumar. 0040523825-4

I Anshu W/o Nitin Aggarwal R/o House No-8, Near Ram Mandir, Kewal Park, Azadpur, Delhi-110033, have changed my name to Shruti Aggarwal 0070687655-1

I Anju Bala D/o Late Sh.Hari Chand W/o Sh.Rajesh Narula, R/o I-41, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 have changed my name to Anju Narula for all purposes. 0040523726-3

I Akhlakh S/o Late.Nanhe Khan Qureshi Alias Iqramuddin R/o-E-72,GF, Kalkaji, New Delhi-110019. have changed my name to Ikhlakh Qureshi, for all purposes. 0040523825-6

व्यक्तिगत

I, Pradeep Kumar Singh alias Pradip Kumar Singh S/o Raghu Bir Singh R/o RZ-224 A, Pratap Vihar-I, Nangloi, New Delhi-110086, have changed my name to Pradeep Kumar Singh for all purposes. 0040523736-1

I, Parveen Sehgal/Parveen Kumar Sehgal S/O Sita Ram R/O-1240, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Changed My Nameto Parveen Kumar. 0040523775-9

I, Paavan alias Paavan Singh D/o Anil Kumar, R/o A133, 2nd Floor, Inderpuri, New Delhi-110012, have changed my name to Paavan for all purposes. 0040523734-1

I, No.14843209W SEP/MT Prasanta Barui S/o Late Shyam Sunder Barui, Vill-Madhabpur, Post-Mahisrekha, Teh-Uluberia, Dist-Howrah, West Bengal-711303, inform that in my service record my wife name wrongly written as Tanushree Ghorui instead of Tanushree Barui. 0040523738-1

I, No 15491836H ALD Ravindra Dundanatti of Vill-Dundanatti, PO. Benachinamardi, Teh. Gokak, Dist. Belgaum, State: Karnataka, have changed my mother name from Mayavva to Mallavva Dundanatti vide Affidavit dated 10 Dec 2019 before Notary, Shama Rani (Regn. No. 2682) Area, Delhi. 0040523739-1

I, Nitesh Bhardwaj, S/o Sanjay Bhardwaj, R/o H.No.151/28, Gali No.2, Main Road, Mandawali, Delhi-110092 have changed my name from Nitesh to Nitesh Bhardwaj for all purposes. 0040523773-1

I, Nibha Kumari W/o Rahul Giri, R/o A-204, Navjiwan Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019. Informs that I have changed my name from Nibha Kumari to Nibha for all future purposes. 0040523731-1

I, Naresh Kumar S/o Jai Bhagwan R/o 73-74, Pocket-D-14, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Naresh Kumar Garg. 0040523780-7

I, Mohd. Amif Khan S/o Shahamat Hussain R/o D-179, Super Mig Sector 93, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201304 have changed my name to Arif Khan for all purposes. 0040523829-1

I, Mohd Osama S/o Mohd Zakir R/o 769, Gali Imam Wali, Jama Masjid, Delhi-110006 have changed my name to Kabir. 0040523730-1

I, Mobin Ahmed S/o Amir Hussain R/o J-2000, Jahangir Puri, New Delhi-110033, have changed my name to Mobeen Ahmad. 0040523800-1

I, Seema Rani Rawat W/O Jaipal Singh Rawat, H-No F-18, Karampura Delhi-110015 Changed My Name To Seema. 0040523800-6

I, Meena Gupta W/O Amit Goel R/O Tp-64, Pitampura, Delhi-110088. Have Changed My Nane To Mahima Goel. 0040523800-8

I, Mary Moolan Paul w/o Sebastine Kanichukunnath Raphel R/o A-402, Sanghamitra Appt., Plot No.-20, Sector -4, Dwarka, New Delhi- 110078, have changed my name to MARY SEBAS-TINE. 0040523765-1

I, Madhu w/o Sh. Mukesh R/o 16/483-E Padam Singh Road Bapa Nagar Karol Bagh New Delhi -5 have changed my name to TINA for all future purposes with reference of Notarized affidavit DL88690708860945R 0050159572-1

I, Madan Lal Garg S/o Desh Raj R/o F-79, Second Floor, Rajendra Park Extension, Nangloi, Delhi, have changed my name to Madan Lal permanently. 0040523743-1

I, Lakshmi Padroo D/o Late Sh. Rugh Nath Dhar W/o Vijay Kumar Padroo R/o House No. 1467, Sector-3, Faridabad, Haryana-121004, inform that in the Passport my name is mentioned as Lakshmi Dhar and after marriage I have changed my name as Lakshmi Padroo for all purpose. 0040523803-1

I, Kumar Gaurav Kohli S/o Sh. Ashwani Kohli R/o E-149/1, Gali No-16, Rama Vihar, Delhi-110081, have changed my name to Gaurav Kohli for all purposes. 0040523819-1

I, Jugesh Sethi D/o-Jagat Ram Arora W/o-Yog Raj Sethi, R/o-House.No.1, Vipin-Garden, Kakrola-Mor, Uttam-Nagar, New-Delhi-110059, have changed my name to Yogesh Sethi. 0040523775-5

I, Jai Prakash S/o Sh. B.P. Sharma R/o UG-1, Plot No.749, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my daughter's name from Anshu Kumari to Anshu Bhardwaj for all future purposes. 0040523728-1

I Kalpana Kumari D/O Pooran Singh R/O Vpo-Tharker Dheera Teh-Palampur Kangra Himachal Pradesh-176101. Have Changed My Name To Priya. 0040523780-1

I Inderjit Kaur W/o-Suresh Kumar Malik R/o-C-54, Tagore Garden Extn, New Delhi 110027 have changed my name to Anju Malik. 0040523780-6

I Geetanjali Kakkar W/O Late Sh.Punit sehgal R/O WZ-1468 3rd floor Ranibagh Delhi-110034. Have changed my name to Deepali sehgal. 0040523825-3

I, Jag Jiwan S/o Radhey Shyam R/o-B-1C Old Slum-Quarter, Paschimpuri Delhi-110063, inform that my name wrongly mentioned Jag Jivan in my son Yash School record but correct name is Jag Jiwan. 0040523800-10

I, Harjeet Singh S/o Satnam Singh R/o-1833, B-Block Near-State-Bank Jahangirpuri Delhi-110033, have changed my Minor Daughter's name from Sukhmani to Prabhleen Kaur, for all purposes. 0040523825-2

I, Harish Kumar S/o Bhedi Singh R/o-Khasara No. 31/25/1, ELD-36 Rani-Khera Delhi-81. Have changed my name to Harish Kumar Gautam. 0040523775-7

I, Gurbaksh Singh S/O Late Sardar Tara Singh R/O WZ - 243/2, Ground floor, Gali No - 3, Virender Nagar, Janak Puri, New Delhi 110058 have changed my name to Roopinder Singh Sachdeva. 0070687654-1

I, Geeta Goyal D/o Des Raj Goyal R/o N-1/1, Phase-1, Budh Vihar, Delhi-110086, that name of mine and my father has been wrongly written as Geeta Goel and Des Raj Goel respectively in my Educational Documents and PAN Card. The actual name of mine and my father is Geeta Goyal and Des Raj Goyal respectively. 0070687663-1

I, Gaurav Miglani S/o Tilak Raj Miglani R/o 469, Sector-31, Faridabad have changed my name from Gourav to Gaurav Miglani for all future purposes. 0040523723-1

I, Ex Sub. Vijender Kumar (JC-270260M) R/o H.No 202, Vill-Pathreri, Tehsil- Manesar, Distt-Gurugram (Haryana), Pin-122413, want to change my son's name in all documents from Pawan to Pawan Joon. The correct name after the change will be Pawan Joon. 0040523737-1

I, Madhumita Roy Chowdhury W/O Gautam Kumar Banerjee. H-No-Quarter.No-1125 Type-4, Sector-12 Ramakrishna-Puram, South/West-Delhi-110022. Changed My Name To Madhumita Banerjee. 0040523853-1

I, Crystal Elaine Johannes D/o-William Johannes R/o-Plot.No.85,S-4, Sector-2B,PNB Road,Vaishali,Ghaziabad,U.P.-201010,have changed my name from Crystal Elaine Johannes to Crystal Johannes for all,purpase. 0040523746-6

I, Bhoopendra Singh S/o Ram Sahay R/o-B-23/A-4, IIT-Campus Block-B, Hauz-Khas, New Delhi-110016,have changed the name of my minor daughter from Kritika Singh to Shubhika Singh.Kritika Singh will be known as SHUBHIKA SINGH in future. 0040523724-1

I, Baljeet Kaur W/O Charanjeet Singh R/O B-97, I-Floor, Hari Nagar, Delhi-110064. Have Changed My Name To Shashi Kaur. 0040523800-7

I, Anu Mala D/o Rajmal W/o Shyam Lal, R/o VPO-Jharsa, Gurgaon-122001, Haryana have changed my name to Anumala. 0040523775-6

I, Akash Verma S/o Late Shri S.P. Verma R/o Flat No. 204, Tower 4, Exotica Dream, Ville,Greater Noida West, Gautam Buddha Nagar, UP. I have changed my name to AAKASH VERMAfor all future purposes. 0040523741-1

I, Ajay Kumar S/O Vijay Kumar R/O-C-583, Sector-01, Avantika, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Ajay Singh. 0040523775-8

I, Adit Verma S/o Aakash Verma R/o. Flat No. 204, Tower 4, Exotica Dreamville, Sector-16C,Greater Noida West, Gautam Buddha Nagar, UP. I have changed my name to Yuvrraj Verma for all future purpose. 0040523789-1

I, Aashna D/o Raju Sharma, R/o. U-13, First-Floor, Green-Park Main, New Delhi-110016.have changed my name to Aashna Sharma. 0040523775-1

I Vijay Kumar S/o Suresh Kumar Vashisht R/o House No-22, Auchandi Road, Vill Bawana, Delhi-110039, have changed my name to Devraaj S Vashisht. 0070687679-1

I Savita khubani w/o Ramesh kumar khubani R/o-BC-77C, East Shalimar-Bagh District-North West Delhi-110088. Have Changed My Name & Husband's Name To Savita kubani w/o Late.Ramesh kubani, For All Purpose. 0040523780-3

I Richa Sengupta D/o Ek Bahadur R/o H.No-D2, C-60/b, Apoorva Apartment, Chhattarpur Enclave, Phase-2, ND-74 have changed my name to Richa Manandhar for all purposes. 0040523800-9

I Km Sunita W/O Krishan Pal Chauhan R/O-B-40 Gali No-11, Mandawali Fazalpur Delhi-110092 Have Changed My Name To Sunita Devi. 0040523825-1

I Chetan janardhan bhisikar S/o Janardhan Haribhau Bhisikar R/o-201 WZ-47A AADARSH GALI NO-1 PALAM-VILLAGE NEW Delhi-110045, have changed my name to CHETAN BHISIKAR. 0040523780-4

I Atul Kumar S/o Suresh Kumar Vashisht R/o House No-22, Auchandi Road, Vill Bawana, Delhi-110039, have changed my name to Arjun S Vashisht. 0070687666-1

व्यक्तिगत

I Rajni D/o Neki Ram R/o K-2/544, K-2 Block, Mahipalpur Extn. Mahipalpur, Delhi-110037, have changed my name to Shanaya. 0070687661-1

I Raghandran Gururaj S/o Panduranga Rao Kulkarni R/o 4, DACG Govt Polytechnic Quatres, Rathnagiri Road, Chikmagalur, Karnataka-577101, have changed my name to Raghavendran Guru. 0070687682-1

I Pradip Ramchandra Ghate S/o Ramchandra Ghate, Residing at-Flat No-2303, Tower-C, Cloud-9, Rishabh-Paradise, AhinsaKhand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar-Pradesh-201014, have changed my name to Pradip Ghate. 0040523780-9

I Pardeep W/O Rahul R/O-Rz-34 Roshan Garden Najafgarh Dwarka Delhi-110043 Have Changed My Name To Pardeep Kaur. 0040523780-2

I Param Jit Sharma alias Paramjeet Sharma D/o Late Sh.Shivender Kumar Sharma W/o Sh.Rakesh Sharma R/o R-95, R-Block, Model Town-3, North West Delhi, Delhi-110009 have changed my name to Pooja Sharma for all purposes. 0040523726-2

I, Chann Sachdeva S/o Pratap Lal R/o NP-100, Pitampura, Delhi-110088, have changed my name to Gurcharan Lal for all purposes. 0040523800-2

I Mayank Jyoti F/O-Ayam Jyoti R/O-Flat No. 402, Sherwood, The Forest Omaxe, Sector-92, Noida, U.P. Have Changed My Son's Name,From Ayam Jyoti To Ayam Jyoti Srivastava,For All Future Purposes. 0040523775-2

I Mansoor Ahmed S/o Abdul Shakoor R/o 1064, Gali Rajan, Farash Khana, Delhi-110006 have changed my name to Mohd. Mansoor for all purposes. 0040523726-1

I Kusum W/o Gyanendra Kumar R/o 2297/174 Tri-Nagar Ganeshpura Delhi-110035, Have Changed My Name To Deepika Saini. 0040523825-5

खोया+पाया

Lost my original Relinquishment Deed of my Flat No. 454, First Floor, Pocket-A, Sector-13, Phase-2, Dwarka, Delhi. Finder may contact Gyatri Pathak at above noted address. 0040523824-1

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of class-10th year-2017 Roll.No.8169420,issued by CBSE has been actually lost. Achintya Sharma,D/o-Ravinder Sharma-09999499029. 0040523853-4

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

J.(Civil)-12
Sl. No. 30087

IN THE COURT OF
Ms. Niti Phutela, ASCJ
Room No. 25 Karkardooma Courts Delhi at

SUIT No. Cs-1033/18
Blue Sky Books
of
Plaintiff
Arvind Book Agency
through Prospectors,
Arivnd, office at House no-2, near Arvind Gas Agency, Pancham, Sonipat, Haryana-131001
Defendant

WHEREAS you are intentionally evading service of summouns it is hereby notified that if you shall not defend the case on the day of 20/01/2020 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court this day of 27/11/2019.

Seal
Sd/-
Judge

PUBLIC NOTICE

Property Bearing Khasra Nos. 232 (6-4), 233 (1-16), 234 (1-14), 236 (5-9), 237 (5-18) and 238 (2-13), Total Area 23 Bighas and 14 Biswas, Situated at Village Bhati, New Delhi.

Be it known to all concerned, I hereby inform that my client Smt. Shamsher Kaur, wife of Late Sh. G.S. Randhawa had purchased 1/4th undivided share in total land measuring 23 Bighas and 14 Biswas, bearing Khasra Nos. 232 (6-4), 233 (1-16), 234 (1-14), 236 (5-9), 237 (5-18) & 238 (2-13), situated at Village Bhati,New Delhi, from Sh. Harkesh and Ors., vide Sale Deed duly registered as Document No. 3412, on 08.05. 1985 That during the Mutation of the aforesaid Property, the Khasra No. 232 (6-4) has been missed out inadvertently and my client has filed an application bearing No. 53043, dated 30.09.2019, before the office of Tehsildar for rectification of the Mutation entry with respect to Khasra No. 232 (6-4).
Any person(s) having any sort of right, claim, title or interest of any nature (whatsoever) in respect of the aforesaid rectification, may put forth his/her claim to the Office of the Tehsildar, M.B. Road, Saket, New Delhi, within 3 (three) days from the date of publication of this notice and thereafter no claim shall be entertained in future.

AMIT V. AWASTHI
Advocate, Supreme Court of India
R-296-A (Basement), G.K.-1,
New Delhi-110048.
Ph. 45532238, 9891317238

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री संतोष मंडल पुत्र दलाल मंडल पता सी-9/685, सुल्तानपुरी दिल्ली, ने अपनी पत्नी काटू मंडल व अपने तीनों बच्चें शिबू मंडल, मीसू व सूमा को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर उनसे सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। अब उनके किन्हीं भी कृत्यों व लेन देन के लिए मेरा मुवक्किल उत्तरदायी नहीं होगा।

हस्ता./-
संदीप कुमार
अधिवक्ता

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुव्वाकिला श्रीमति प्रेम कुमारी पत्नी स्वर्गीय श्री बाल मुकंद निवासी-382-सी, पूर्वी बाबर पुर, शाहदरा, दिल्ली, ने अपनी पोती प्रिया जड़ोलिया पुत्री श्री अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार त्यागी से उसके दुर्व्यवहार, गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल-अचल संपति से बेदखल कर अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में प्रिया जड़ोलिया के द्वारा किए गए किसी भी कार्य व लेन-देन के लिए मेरी मुव्वाकिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ता./-
(धर्मेंद्र सिंह)
अधिवक्ता
Enroll. No. D/1062/94

PUBLIC NOTICE

This is to inform to public at large that my client Sh. L.S. Brar S/o Late Sh. G.S. Brar R/o Plot No. B-606, Vasant Kunj Enclave, New Delhi-110070 has entered into Agreement to Purchase property No. 519, 520 & 521, Mukeem Pura, Umrao Chowk, Subzi Mandi, Delhi-110007 any person/persons having claim in the property may contract me at Moblie No. 9711718979

Sd/-
Chander Shekhar
(Advocate)
181-182, Meer Vihar,
Madan Pur Dabas, Delhi-81

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public at large on behalf of my client Shri Gurmukh Singh S/o Late Sh. Sardar Bawa Singh and Smt. Balvinder Kaur W/o Sh. Gurmukh Singh both R/o H.No. 116, Pocket-3, Sector-24, near Delhi Public School, Rohini, Delhi-110085 that my aforesaid client has disowned and disinherited his son Shri Manjeet Singh and his wife Smt. Navneet Kaur from their al movable and immovable properties. In case anybody deal with him, he/she/they shall do the same at his/her/their own risks, costs and consequences and my above named client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

Sd/-
VARUN MITTAL(Advocate)
Ch. No. 328, Rohini Court, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

This is to inform at General Public that my client Sh. Ghan Shyam Upadhyay S/o Sh. Uma Shankar Upadhyay Age 62 years R/o House No. 106-A/1, B-Block, Utsav Vihar, Karala, Delhi-110081 has severed all his relations from his son namely Sunil Kumar Age 40 years, his Daughter-in-law Smt. Suman W/o Sh. Sunil Kumar Age 32 years both R/o House No. 106-A/1, B-Block, Utsav Vihar, Karala, Delhi-110081 as they are having disrespectful attitude towards my client. My client hereby disowns & debar both from his all-movable & immovable properties with immediate effect. If anyone deals with them in future on behalf of my client, shall, do so at his/her own risk and responsibility and my client shall not be responsible for the said acts of above said persons in future.

Sd/-
S.K. Jain & Associates
(Advocates)
Ch.No.B-113,B.G.S, Block Tis Hazari Court, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that my client Rambir S/o Om Prakash resident of house no-499, Prahladpur Banger Village, North West Delhi, Delhi-110042 has disowned his son Vishal Mann along with his family from all movable and immovable property of my client. My client is not responsible for their actions and whosoever will deal with him, will be doing so at his own risk and responsibility. General public be informed of the same.

Sanyam Malik (Advocate)
GC-16, Shivaji Enclave, Rajouri Garden, New Delhi-27

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concern that my client Sh. Sumit Gupta S/o Sh. Ashok Kumar Gupta R/o Q-5, Lal Quarter Kirahna Nagar Delhi-110051 intends to purchase Built-up Property No.1779, Cheena Khana, Nai Sarak, Chandni Chowk, Delhi-110006 measuring 95 sq.yds. approx from its owners namely (1) Sh. Naresh Bihari Lal Mathur S/o Late Sh. Ananc Bihari (2) Sh. Bhuvnesh Swaroop S/o Late Smt. Madhu Swaroop (3) Sh. Kamesh Swaroop S/o Late Smt. Madhu Swaroop (4) Smt. Mamu Mathur W/o Late Sh. Suresh Bihari Lal Mathur (5) Sh. Mukul Mathur S/o Late Sh. Suresh Bihari lal Mathur (6) Sh. Chetan Mathur S/o Late Sh. Suresh Bihari Lal Mathur (7) Smt. Sneh Lata Mathur D/o Late Sh. Ananc Bihari Lal & W/o Late Sh. Harish Mathur (8) Smt. Abha Singh D/o Late Smt. Santosh Mathur all in No.1779, Cheena Khana, Nai Sarak, Chandni Chowk, Delhi-110006. The said vendors have assured that they are sole and exclusive owners and the aforesaid property in question is free from all sorts of encumbrances including sale, transfer, mortgage, gift, court case, stay. Well etc. If any person(s) has/have got any right or claim in the aforesaid property, he/she/they can file his/her/their claim/objection in the office of the undersigned within 15 days of publication of this public notice.

N.K. Jain & Girish Gaur Associates (Advocates)
Ch. No. 773 & 591 W. Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. is the registered owner of property beanng No T-4, Old Industrial Area, Bahadurgarh, Distt Jhajjar (Haryana). However, the original Sale Deed dated 18.05.1974 has been misplaced and not traceable. Any other person(s) by virtue of that missing Deed shall not have any right, claim or interest over the property and it shall be supposed as null & void. Whosoever try to use those documents in any manner shall be prosecuted as the matter has been reported to this effect to Delhi Police vide LR No. 1983702/2019 on 10.12.2019. Moreover, by virtue of remaining deeds, M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. is the absolute owner of the property in hand in all respects whatsoever.

PUBLIC NOTICE

ENTIRE THIRD FLOOR ALONG WITH ENTIRE TERRACE OVER AND ABOVE THIRD FLOOR OF THE FREEHOLD PROPERTY BEARING NO. S – 92, PANCHSHEEL PARK, NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India, at present the property is mortgage with HDFC Bank** and a Sale Deed executed by M/s Sanskar Homes Pvt Ltd. through its authorized signatory Shri Arun Arora in favor of my client i.e. Shri Krishan Kumar Wadhwa, duly registered vide Regd. No. 4944, Book No. I, Vol. No. 775, pages 19-39, dated 29.08.2014.
It is further informed that the perpetual Sub Lease as well as Conveyance Deed in the property documents found Laminated and Will in life is available in photocopy executed by Mrs Sudharshan Lal in favor of Shri Atul Lal and Akhil Lal, duly registered vide Doc. No. 5759 dated 17.12.1993.
It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank, financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication, failing which the title/ Sale Deed executed in favor **Shri Krishan Kumar Wadhwa** shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firm, company, financial institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile - 4567898147, Email : nv2verma@gmail.com

विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया : गहलोत

मुंबई, 11 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुच्छेद 370 हटाने और नागरिकता (संशोधन) विधेयक जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष को भरोसे में न लेने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। एक साक्षात्कार में कांग्रेस नेता ने देश में आर्थिक मंदी पर भी चिंता जताई और कहा कि भाजपा नीत राजग सरकार का देश को चलाने के प्रति रवैया अच्छा नहीं है।

गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की राय और विपक्ष मायने रखता है और सरकार के खिलाफ असंतोष को राजद्रोह के मुकदमे दायर कर या लोगों को राष्ट्र-विरोधी बता कर दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने मोदी सरकार पर सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ध्रुवीकरण की राजनीति करने और आयकर के छापों की धमकी देकर विपक्षी दलों को दिया जाने वाला चंदा रोकने का आरोप लगाया। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड राजग सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है।

एक साल पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले गहलोत ने कहा, 'अनुच्छेद 370 हटाने या नागरिकता (संशोधन) विधेयक के लिए विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया। विपक्ष को इसमें शामिल किया जाना था। कम से कम विपक्ष अपने विचार रख सकता था।' गहलोत ने कहा कि भाजपा की पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन सरकार थी लेकिन (अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद) जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया।

अमेरिकी संघीय आयोग का भारत की संप्रभुता पर हमला : सांसद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

लोकसभा में बुधवार को भाजपा के एक सांसद ने अमेरिकी संघीय आयोग द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कहे जाने को भारत की संप्रभुता पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर उसे कड़ा संदेश देना चाहिए।

शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा के निशिकांत दूबे ने कहा कि कुछ अखबारों व टीवी चैनलों में यह बात सामने आई है कि अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है।

PUBLIC NOTICE

Be it known all that my client Alisha Imran widow of Late Mohd Imran Chandana R/o 2225, Gali Hinga Beg, Tilak Bazar, Delhi- 110006. That the original papers, possession and keys of the property bearing no. 1157, 3rd Floor onwards Baradari, Tilak Bazar, Behind Novelty Cinema, Delhi-110006 is with my client as my client had given a loan to the Mohd. Mashkoor @ Khurram S/o Late Rifaqat Hussain who has 25% share in the said property and had handed over the possession and original documents to my client against the said loan. Anybody dealing with said Mohammad Mashkoor @ Khurram in regard to the said property shall be doing at their own costs and risks and have no binding upon my client ever.

B. P. Singh (Advocate)
Ch. No. 736-L. W. Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

Public Notice

It is informed that my client Sh. Ranjeet Gupta S/o Sh. Manohar GuptaR/o-Madhopur, Madhopur Rasra,Bhelai, Ballia U.P.-221712 her/his Disowned & debarred her my Son Ashish Kumar Gupta S/o Shri Ranjeet Gupta From her entire movable/ immovable properties My client shall not be responsible in any way for his acts or claim as he broken all links whatsoever him for ever.

Sd/- M.K. Sharma (Advocate)
Reg.No. 563/2004, D.C.Office, Kapashera, New Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I **KAVAL NAYAN GERA** Son of Radhey Shyam Gera Residing at H.No.-349, Indira Vihar, Delhi-110009 declare that name of mine and my father has been wrongly written as KAVAL NAYAN GERE and RADHEY SHYAM GERE in my Educational Documents. The actual name of mine and my father are KAVAL NAYAN GERA and RADHEY SHYAM GERA respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT ASHOK KUMAR S/O LATE RAMPHAL R/O H.NO.257, VILLAGE POOTH KALAN, DELHI-110086 HAS SEVERED ALL HIS RELATIONS & DEBARRED HIS WIFE KAVITA AND HIS SONS ANIKET AND PARTEEK FROM ALL HIS MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTY DUE TO THEIR HOSTILE BEHAVIOUR. MY CLIENT WAS, IS AND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY ACT/ DEED/ LIABILITY.

TARUN GAHLOT (Advocate)
Ch. No. 201, Rohini Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my clients (1) Sh. Balak Das Vishwakarma S/o Sh. Lampu Vishwakarma and (2) Smt. Pushpa Devi W/o Sh. Balak Das Vishwakarma, both R/o Plot No.66, Gali No. 5, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi-59, have disowned and debarred their son AMIT VISHWAKARMA from all their movable & immovable properties with immediate effect and severed all their relations and connections, because he is out of control of my clients and misbehaves with them. Anybody dealing with him shall do so at his/ her/ their own risk and consequences.

Sd/-
RAJENDER YADAV
(Advocate)
En. No. D/398/01, 372, Sanjay Enclave, G.T.K. Depot, Delhi-110033

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Sh. Ramesh S/o Munshi ram & Smt. Laxmi devi W/o Ramesh both R/o House No-99 G-Block Kh No 725/2 Gali No-5 Swam shradhanand colony, bhalaswa dairy badli north west delhi-110042 has disowned and debarred their son Ashu from his movable and immovable property and also has severed all connections with them and in case anybody dealing with them, will do that at his own cost and consequence and my client shall not be responsible in any manner.

Sd/-
RAJENDER YADAV
(Advocate)
En. No. D/398/01, 372, Sanjay Enclave, G.T.K. Depot, Delhi-110033

नागरिकता विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

लोकसभा के बाद यदि राज्यसभा ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित कर दिया तो कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पार्टी ने नागरिकता विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।

दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी 14 दिसंबर को होने वाली भारत बचाओ रैली की तैयारियों का जायजा लेने रामलीला मैदान पहुंचे कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा- यह विधेयक संविधान पर हमला है, हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले में पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने सहित सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। लोगों की तकलीफ को छिपाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। रैली के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। मु

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–23.2 डि.से. सूर्योदय– 7:04
न्यूनतम– 8.7 डि.से. सूर्यास्त– 17:25

जाम को कम करने के लिए राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट

आपात वाहनों के लिए विशेष लेन की सिफारिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

दिल्ली वालों को भीषण जाम से बचाने के लिए विशेष मार्ग (लेन) की व्यवस्था लागू की जाए। यह व्यवस्था आपात वाहन जैसे दमकल, एम्बुलेंस और दुपहिये वाहनों के लिए लागू होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नए वाहन खरीदने की अनुमति पुराने वाहन के खत्म होने और पार्किंग का प्रावधान होने पर ही दी जानी चाहिए। रोज लगने वाले जाम से लोगों को बचाने के लिए राज्यसभा की विशेष समिति ने यह सिफारिश की है।

राज्यसभा ने जाम से राहत दिलाने के लिए रास्ते सुझाने के लिए राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एक 31 सदस्य वाली समिति का गठन किया गया था। यह रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा में पेश की गई। समिति ने सिफारिश की है कि नए वाहनों का पंजीकरण केवल इस शर्त पर किया जाए कि पुराने वाहन की आयु सीमा समाप्त हो गई है या फिर संबंधित मालिक के पास पार्किंग का इंतजाम है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों पर भी सख्ती से कदम उठाए जाएं। इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।

- राज्यसभा की समिति ने की आपात वाहन व दुपहिये के लिए लेन बनाने की सिफारिश
- वाहन की समय सीमा खत्म होने व पार्किंग उपलब्धता के बाद ही दें नए वाहनों की मंजूरी
- जाम की समस्या का हल निकालने के लिए राज्यसभा ने गठित की थी समिति
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए

देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन आने वाले 12 लाख वाहनों को केवल रिंग रोड का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। संभावना जताई जा रही है कि इससे अन्य प्रमुख मार्गों पर 18 फीसद तक वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।

अस्पताल और व्यावसायिक स्थलों के नजदीक बनें पार्किंग

समिति ने सिफारिश की है कि आम जनता की सुविधा के लिए अस्पताल व व्यावसायिक स्थलों पर पास पार्किंग स्थापित की जाए। वहीं समिति ने स्थानीय निकायों को भी विभिन्न स्थलों पर पार्किंग इंतजाम करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि यदि किसी स्थान पर बहुमंजिला पार्किंग के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है या और कोई समस्या है तो उसकी जगह पर भूमिगत पार्किंग बनाने की दिशा में काम किया जाए। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी।

6000 बसें जल्द से जल्द लाई जाएं

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्यसभा समिति ने दिल्ली के लिए 6 हजार बसों को बेड़े में जल्द से जल्द शामिल करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त बीते सालों में बस बेड़े में इजाफा नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। निविदा प्रक्रिया की वजह से बसें नहीं आने की वजह से समिति ने निविदा प्रक्रिया में भी संशोधन करने के लिए कहा है ताकि जल्द से जल्द बसें लाना संभव हो सके।

प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की अगुआई में बुधवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा मुख्यालय के निकट विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यालय तक पहुंचने से रोकने के लिए अवरोधक लगा रखे थे।

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में भाजपा देश के संविधान की अवहेलना कर रही है, यह कुथित प्रयास पूरी दुनिया में देश की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका समर्थन करने वाले लोग देश की बुनियाद को कमजोर करना चाहते है।

सार्वजनिक सूचना

द्वारका में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के लिए कुछ रिक्तियाँ हैं।
एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सीमित सदस्यता हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।
सोसाइटी के पास द्वारका, नई दिल्ली में आवंटित भूमि है।
इच्छुक आवेदक सोसाइटी कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में 27 दिसम्बर, 2019 से 15 दिनों के भीतर 10 बजे प्रातः से 1 बजे अपराह्न तक आवेदन कर सकता है।

सचिव
एनपीएससी सोसाइटी, प्लॉट सं. 5, सेक्टर-2, द्वारका, नई दिल्ली-110075

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

अपने कर का अग्रिम भुगतान करें!

हमारी नेट बैंकिंग के माध्यम से अग्रिम कर का भुगतान करें या अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.

*01.04.2008 से सभी कार्पोरेट और कर निर्धारिती (कंपनी के अलावा), जिन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के प्रावधान लागू हैं, द्वारा प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान किया जाना अनिवार्य है.

अंतिम तारीख 15 दिसंबर

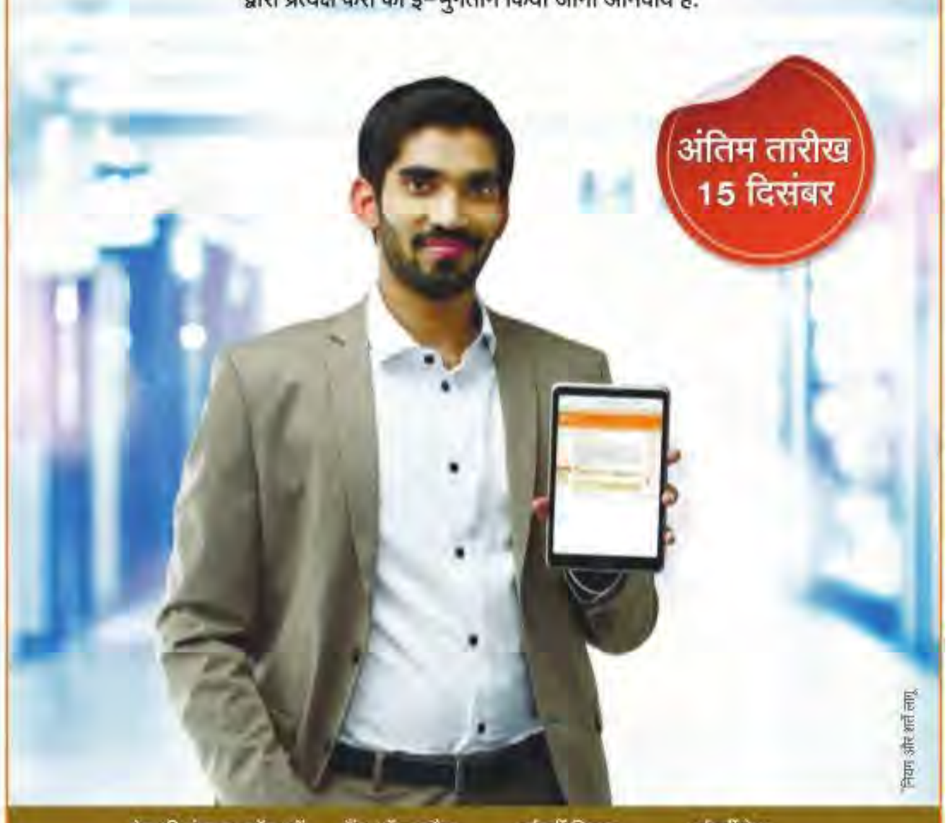

*नियम और शर्तें लागू.

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (24x7)
बैंक ऑफ बड़ौदा 1800 258 44 55 1800 102 44 55
पूर्ववर्ती विजया 1800 425 5885 1800 425 9992
पूर्ववर्ती देना 1800 233 6427 022-6224 2424

www.bankofbaroda.in
हमें फॉलो करें

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the IBBI (Insolvency Resolution Process of Corporate Persons) Regulations, 2016

	Relevant Particulars	
1.	Name of the corporate debtor	Anush Finlease and Construction Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	28-01-1997
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC- Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U65910DL1997PTC084696
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor	Registered Address: Plot No 11, CBD Centre, Shahdara, Delhi -110032
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	30-05-2019
7.	Date of invitation of expression of interest	12-12-2019 (Previous Date: 13.08.2019, 07.10.2019)
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details may be obtained by emailing at cirp.anushfinlease@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Details may be obtained by emailing at cirp.anushfinlease@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	21-12-2019 (Previous Date: 28.08.2019,22.10.2019)
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	26-12-2019 (Previous Date: 07.09.2019,01.11.2019)
12.	Last date for submission of objections to provisional list	31-12-2019 (Previous Date: 12.09.2019,06.11.2019)
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	05-01-2020 (Previous Date: 22.09.2019,16.11.2019)
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	31-12-2019 (Previous Date: 12.09.2019,06.11.2019)
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum("IM") and further information	The Request for Resolution Plan, Evaluation matrix, Information Memorandum (IM) and format of Confidentiality Undertaking shall be shared on request addressed to cirp.anushfinlease@gmail.com.
16.	Last date for submission of resolution plans	21-01-2020 (Previous Date: 12.10.2019,06.12.2019)
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	The Resolution Plan along with all supporting information, documents and various forms/affidavits/ authorisations shall be submitted to the Resolution professional at the following address: 359, Udyog Vihar Phase II, Sector 20, Gurgaon, Haryana-122016 and electronically at the following Mail Id: cirp.anushfinlease@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	15-02-2020 (Previous Date: 11.11.2019,25.01.2020)
19.	Name and registration number of the resolution professional	Aashish Gupta, Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00687/2017-18/11164
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Aashish Gupta, 1/4852, Gali No. 10, Balibir Nagar Extension, Shahdara, Delhi-110032 Email Id : aashish_ca@rediffmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	359, Udyog Vihar Phase II, Sector 20, Gurgaon, Haryana-122016 cirp.anushfinlease@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	With the Resolution Professional Aashish Gupta 359, Udyog Vihar Phase II, Sector 20, Gurgaon, Haryana-122016
23.	Date of publication of Form G	Newspaper publication 12-12-2019 (Previous Date: 13.08.2019, 07-10-2019)

Notes:-
1)This Form G published herewith is in continuation to the earlier Form G published on 13.08.2019 and 07.10.2019 and existing Resolution Applicants who have already submitted EOI need not submit fresh EOI again and can submit their Resolution Plans

Sd/-
Aashish Gupta
Resolution Professional
For Anush Finlease and Construction Private Limited

Date:12/12/2019
Place:Gurugram, Haryana

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
के 1436/37, रेलवे रोड, बहादुरगढ़
झज्जर (हरियाणा) 124507
टेली.: 01276-230328, ई-मेल: synd9257@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं.: 110102 तिथि: 1.11.2019

ऋणधारकों:
1. श्रीमती रजनी, पत्नी श्री परवीण कुमार
19/200, गली नं. 3, नई बस्ती, बी/गढ़, जिला झज्जर, बहादुरगढ़-124507, फोन नं. 8168597896
2. श्री परवीण कुमार, पुत्र श्री राम कुमार
19/200, गली नं. 3, नई बस्ती, बी/गढ़, जिला झज्जर, बहादुरगढ़-124507, फोन नं. 8168597896, 9541574170

प्रिय महोदय/महोदया

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 1500000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओ का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता संख्या	लिमिट	बकाया देयता	एनपीए की तिथि
1.	92577740000224	900000	822404.32	31.10.2019
2.	9257970000032	600000	551168.32	31.10.2019
	कुल		1373572.64	

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को उपरोक्त तिथि को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.11.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 1373572.64 (रुपये तेरह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ बहत्तर एवं पैसे चौंसठ मात्र) की राशि बकाया है।
4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न सीमाऐं अधोलिखित परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत परिसम्पत्तियों) द्वारा प्रतिभूत है:
1. श्रीमती रजनी के स्वामित्व में इन्द्रा पार्क, शंकर गार्डन, लाइन पार, बहादुरगढ-124507 में स्थित आवासीय मकान माप 44.44 वर्ग यार्ड्स, प्लॉट नं. 235 तथा **चौहद्दी:** उत्तरः 12 फीट चौड़ी गली, दक्षिणः श्री गणपत राई का प्लॉट, पूर्वः अन्यों का प्लॉट, पश्चिमः 12 फीट चौड़ी गली।
6. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल है:
क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;
ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

स्थानः बहादुरगढ़
तिथि: 12.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक के लिये

इण्डियन ओवरसीज बैंक
राजीव सर्किल शाखा, एम-5ए, मंत्री हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 23415421, 2341627

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना
स्थानः नई दिल्ली तिथि: 5.11.2019

क्रम सं.	ऋणधारक	क्रम सं.	गारन्टरों
1.	दीपा नागपाल, पत्नी श्री गुलशन कुमार एवं जतिन नागपाल, पुत्र श्री गुलशन कुमार पता 1: 10/3, 2रा तल, सुभाष नगर, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027 पता 2: एस-53, प्रेमपुरी चौक, उत्तम नगर, दिल्ली-110053 पता 3: सम्पत्ति सं. 109, ब्लॉक नं. एमपी, भूतल, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 (ऋणधारक तथा मार्टगैजर एक ही व्यक्ति हैं)	2.	निल

प्रिय महोदय
संदर्भः इंडियन ओवरसीज बैंक, राजीव सर्किल शाखा में आपकी साख सुविधाएं

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा (रु. लाख)	ब्याज दर	2019 को कुल बकाया (रु.)
1.	गृह ऋण	रु. 130.00	8.90%	रु. 1,33,66,494.66

1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी राजीव सर्किल शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विभिन्न ऋणों/साख सुविधा/खाताओं में विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:
* ऊपर वर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों/रेस्ट्स पर आगे के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
क्रम सं. 2 के अंतर्गत वर्णित ऋणधारकः निल ने गारंटी तिथि निल निष्पादित की है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज आदि के साथ कुल साख सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा इंडियन ओवरसीज द्वारा वहन की गई चार्जेज सहित स्वीकृत ब्याज के साथ मांग करने पर तथा जब और जैसे ही वह देय हो सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान करने तथा सभी देयताओं को निष्पादित करने का गारन्टी दिया है।
ये साख सुविधाऐं ऋणधारक सं. 1 (दीप एवं जतिन) तथा क्रम सं. 1 में वर्णित गारन्टर/मार्टगैजर (दीपा नागपाल, पत्नी श्री गुलशन कुमार) तथा क्रम सं. 2 में मार्टगैजरों/गारन्टरों के नाम में स्थित सम्पत्ति की गिरवी/हाइपोथेकेशन/हायर परचेज/लीज (जो भी लागू हो) द्वारा नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है।
क्रम सं. 2 में वर्णित गारन्टरः निल, आप ने निम्न रूप में साख सुविधाओं के लिये व्यक्तिगत गांरटी दी है तथा समय-समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।
2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	प्रतिभूति का प्रकार (हाइपोथेकेशन/मार्टगैजर आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण (अवस्थिति, चार सीमाओं, चार दिशा में माय कुल विस्तार तथा स्वामी के नाम का संपूर्ण विवरण दें)
1.	इक्विटेबल मार्टगैज	श्रीमती दीपा नागपाल, पत्नी श्री गुलशन कुमार के स्वामित्व में सामूहिक सीढ़ियों तथा पैसेज के साथ उक्त सम्पत्ति के नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित अधिकारों के साथ पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में स्थित सम्पत्ति सं. 109, ब्लॉक नं. एमपी, भू तल, बिना छत/टैरेस अधिकार के क्षेत्रफल माप 126 वर्ग मीटर। पश्चिमः प्लॉट नं. 11, पूर्वः प्लॉट नं. 108, उत्तरः रोड, दक्षिणः सर्विस लेन।

** बैंक को अन्य उपलब्ध सांविधिक कार्रवाई के माध्यम से कृषि भूमि ऊपर प्रतिभूमि सं. 6 के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.10.2019 को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 में आप ऊपर नामित ऋणधारक (दीप एवं जतिन) ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से यथा स्वीकृत मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज 8.90% की दर के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 13366494.66/- (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख छियासठ हजार चार सौ चौड़ानवे तथा पैसे छियासठ मात्र) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. ऊपर नामित मार्टगेजर/गारंटर क्रम सं. 2: निल ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर नं. हमें स्वीकृत रूप में मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज 8.90% की दर से के साथ कुल रु. 13366494.66/- (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख छियासठ हजार चार सौ चौड़ानवे तथा पैसे छियासठ मात्र) की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम मार्टगैजर/गारन्टर जिन्होंने सरफैसी अधिनियम, के अंतर्गत प्रवर्तनीय गैर-कृषि प्रतिभूतियां दी हैं के लिये गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. हम, पुनः दीपा नागपाल पत्नी स्व. श्री गुलशन कुमार एवं जतिन नागपाल, पुत्र स्व. श्री गुलशन कुमार को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
8. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
10. क्रम सं. 2 के अंतर्गत वर्णित गारन्टरों निलः ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभूत करने के लिए व्यक्तिगत गारन्टी दी है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भुगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसूली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ-साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है।
11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन, ओवरसीज बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-23701209
ई–नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए कीबकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **22.01.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

कर्जदार (बी)/गारंटर (रों) (जी)/ कार्पोरेट गारंटर (रों) (सीजी)/ का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) / वृद्धि राशि	बकाया राशियां जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	ई–नीलामी की तिथि व समय	प्राधिकृत अधिकारी
मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड, एच–1455, सैक्टर–एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली–110040 और निम्नलिखित निदेशक / गारंटर्स : मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड, एच–1455, सैक्टर–एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली – 110040 और: रोपड़ रोड, घेरोवाल बैरियर के पास, गाँव बेहरामपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश – 174101, 1. श्री रतीश गोयल पुत्र श्री रवि प्रकाश गोयल (निदेशक एवं गारंटर्स) ए–96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, और: I–50, 1–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052, 2. श्री रवि प्रकाश गोयल पुत्र श्री हरि देव गोयल, (गारंटर), ए–96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 और: I–50, I–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052, 3. श्रीमती संतोष गोयल पत्नी श्री रवि प्रकाश गोयल, I–50, I–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052 और: ए–96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034	प्लॉट नं. 1455, ब्लॉक–एच डीएसआईआईडीसी, नेरला, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रवि प्रकाश गोयल के नाम पर है। क्षेत्रफल 418.6 वर्ग गज	₹ 250.00 लाख ₹ 25.00 लाख ₹ 1.00 लाख	रु. 11,48,34,435.73 दिनांक 30.03.2017 तक साथ में उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर ब्याज, आकिस्मक खर्चे, लागत, प्रभार, इत्यादि सहित	22-01-2020 दोपहर 12.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार	श्री सुजीत कुमार मुख्य प्रबंधक मो. नं. 7017350652 किशन लाल सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 9001797028

अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय दिनांक **20-01-2020** अपरा 4.00 बजे तक या उस से पहले (हार्ड कॉपी) व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT
सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय 17-01-2020 अपरा 03.00 बजे से अपरा 05.00 बजे तक

भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रुप में खाता संख्या 65156762491,, भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–II, नई दिल्ली, आई एफ एस सी कोड SBIN0017891 में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो "भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–II, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देय हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तेः–
1. ई–नीलामी "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/s C1India Pvt. Ltd. हेल्पलाईन नं. 0124-4302020 to 24 के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	23.2 डि.से.	23.2 डि.से.	23.0 डि.से.	23.5 डि.से.
न्यूनतम	7.9 डि.से.	7.9 डि.से.	7.8 डि.से.	7.8 डि.से.

जेएनयू छात्रसंघ का आरोप

परीक्षा का बहिष्कार करने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की हिंसा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

जेएनयू छात्र संघ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं पर विद्यार्थियों को पीटने का आरोप लगाया है। आरोप है कि परीक्षाओं के बहिष्कार में शामिल एक विद्यार्थी को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रोड से बुरी तरह से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं, परिषद की ओर से इस आरोप का खंडन किया है।

छात्र संघ की ओर से जारी बयान के मुताबिक जेएनयू के आम विद्यार्थियों के साथ एबीवीपी हिंसा कर रहा है। एक वायरल वीडियो के मुताबिक बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा। इसी तरह स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस के सामने भी एक घटना सामने आई है। विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी इन घटनाओं को देखते हुए कि अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रशासन की ओर से ऐसा करने के लिए कहा गया है। छात्र संघ ने सभी विद्यार्थियों से एकजुट होने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने आम लोगों से भी उनकी सहायता करने की अपील की है।

जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष ने कहा कि परिषद का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी हिंसा में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि परीक्षाएं सुचारु रूप से संपन्न हों ताकि विद्यार्थियों का भविष्य दाव पर न लगे। वाम छात्र संगठन गलत तरीके से परीक्षाएं रोक रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने वाम संगठनों पर आरोप लगाया कि परिषद के कार्यकर्ताओं को पीटने की लगातार धमकियां मिल रही हैं।

विद्यार्थियों और पुलिस पर अवमानना की कार्रवाई की मांग

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने दिल्ली हाई कोर्ट से विद्यार्थियों और पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की है। अदालत की ओर से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खंड के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन से रोक के आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है।

जेएनयू ने याचिका दायर कर दावा किया कि विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट के नौ अगस्त 2017 के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक खंड के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन किया, जिससे रोजाना का कामकाज प्रभावित हुआ। विश्वविद्यालय का कामकाज 28 अक्तूबर से ही बाधित है। जेएनयू ने यह दावा भी किया कि पुलिस ने विश्वविद्यालय के अंदर कार्रवाई नहीं की। इस तरह पुलिस ने भी आदेश का उल्लंघन किया है।

विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि पुलिस का वहां से विद्यार्थियों को हटाने का प्रयास विफल रहा और मांग की कि अवमानना करने वालों (छात्र और पुलिस) पर अदालत अवमानना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।

जेएनयू ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक को निर्देश देने की मांग की कि विद्यार्थियों और उनके नेताओं को प्रशासनिक खंड के पास 100 मीटर की दूरी से हटाने और उनके अवमाननापूर्ण कृत्यों को रोकने में जेएनयू की मदद करें।

जेएनयू के विद्यार्थी छात्रावास शुल्क वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों और पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई की तारीख शुक्रवार के लिए तय की गई है।

जेएनयू के अधिकारियों को पुलिस दे सुरक्षा : अदालत

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस को जेएनयू के कुलपति, रजिस्ट्रार सहित प्रशासनिक कर्मचारियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने को कहा ताकि वे मुख्य कार्यालय में घुस सकें, जिसे प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने बाधित कर रखा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश तब जारी किया जब अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विद्यार्थियों के प्रदर्शन के कारण प्रशासनिक खंड में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अदालत को स्थिति के बारे में बताया गया। इससे पहले अदालत ने पूछा कि जेएनयू ने दो प्रोफेसरों की संलिप्तता वाले यौन उत्पीड़न के मामले में अब तक अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किया है।

ट्रेनों की अनुपलब्धता के कारण तीर्थ यात्रा योजना स्थगित : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को ट्रेनों की अनुपलब्धता के कारण कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने सरकार को ट्रेन उपलब्ध करा पाने की अपनी अक्षमता के बारे में अवगत करा दिया है। सिसोदिया ने कहा कि ऐसे में ट्रेनों के उपलब्ध होने या कुछ और वैकल्पिक इंतजाम होने तक योजना स्थगित रहेगी। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 12 धार्मिक परिक्षेत्रों में मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान कराती थी।

सचिवालय में बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा

फोटो : अरुष चोपड़ा

योजना सफलतापूर्वक चल रही है। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने के लिए योजना शुरू की गई है। योजना रेलवे के सहयोग से चल रही थी। रेलवे के साथ दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के लिए समझौता किया है। रेलवे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है कि वे अभी तीर्थ यात्रा योजना के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे ने ट्रेन उपलब्ध न कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। रेलवे ने लिखा कि अभी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी, दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा तब तक स्थगित रहेगी, जब तक रेलवे ट्रेन उपलब्ध नहीं कराता है या फिर दिल्ली सरकार कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती है। बकौल सिसोदिया अब तक 32828 यात्री यात्रा कर चुके हैं। अब तक कुल 63432 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण किया है। इसमें से 32828 लोग यात्रा कर चुके हैं। 30877 यात्री अभी लंबित सूची में शामिल हैं, जिन्होंने पंजीकरण किया हुआ है। सिसोदिया ने बताया कि सबसे ज्यादा रामेश्वरम यात्रा पर यात्री गए हैं।

घरेलू श्रेणी के उद्योगों को पुनर्स्थापित करने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे छोटे उद्योग जो घरेलू उद्योगों की श्रेणी में नही आते उन्हें दिल्ली सरकार से फ्लैटिड फैक्ट्री बना कर पुनर्स्थापित करने की मांग की गई है। उत्तरी निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने दिल्ली सरकार से उन उद्योंगो के लिए फ्लैटिड फैक्ट्री बनाने की मांग की जो घरेलू उद्योगों की श्रेणी में नहीं आते है। उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे इन उद्योगों को फ्लैटिट फैक्ट्री बना कर वह पुनर्स्थापित किया जा सके, जिससे दिल्ली सरकार इन उद्योगों पर लटक रही सीलिंग की तलवार और हजारों लोगों को बेरोजगार होने से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि यहा कार्य दिल्ली सरकार का है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यदि दिल्ली सरकार ने इस ओर सकारात्मक कार्रवाई की होती तो गत दिनों दिल्ली में हुए हादसे से बचाया जा सकता था।

अवैध कारखानों की सीलिंग शुरू

अनाज मंडी अग्निकांड के बाद निगम ने सख्ती बरतते हुए अवैध कारखाने की सीलिंग और नोटिस देना शुरू कर दिया है। दक्षिणी निगम में नौ दिसंबर से बुधवार 11 दिसंबर तक के सर्वे में चार कारखाने सील किए गए। 45 खाली पाया गया और 13 को नोटिस जारी किया गया।

खबरों में शहर

बुजुर्ग दंपति को बंधक बना लाखों के गहनों चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 दिसंबर।

सेक्टर- 68 गढ़ी चौखंडी की ग्रीन कॉलोनी के एक मकान में चोरों ने बुजर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर लिए। छह दिसंबर को हुई वारदात की घटना को दर्ज कराने के लिए बुजुर्ग दंपति को चार दिनों तक थाने के चक्कर काटने पड़े, तब भी पुलिस तैयार नहीं हुई। जब उनके वकील बेटे ने दबाव बनाया तो थाना फेज थ्री पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

नागरिक संशोधन विधेयक को डूसू का समर्थन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) ने नागरिकता संशोधन विधयेक (कैब) -2019 का हार्दिक स्वागत किया है। दशकों तक अपने धर्म के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों का मानवीय आधार पर यह वाजिब हक है कि उन्हें सुरक्षित और धार्मिक सहिष्णु राष्ट्र की नागरिकता मिले। डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक लाने के कदम का डूसू स्वागत करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को जिस तरह सताया गया उसका सीधा प्रमाण वहां के अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई है।

हथियार के बल पर दूध व्यापारी से लूट करने वाले गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

द्वारका इलाके में दूध सप्लाई करने वाले व्यापारी से बंदूक के बल पर दिनदहाड़े साढ़े चार लाख रुपए लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक राष्ट्रीय स्तर का बॉडी बिल्डर रह चुका है। पुलिस उसके अन्य साथियों के बारे में दबिश दे रही है।

दमकलकर्मियों को दो-दो लाख रुपए का इनाम

जनसता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

दिल्ली सरकार ने अगस्त में दक्षिणपूर्वी दिल्ली के जाकिर नगर में आग लगने की घटना में 13 लोगों को बचाने वाले चार दमकलकर्मियों को दो-दो लाख रुपए का इनाम दिया है।

अनाज मंडी हादसे में मालिक का बहनोई गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अनाज मंडी अग्निकांड में भवन के मालिक के बहनोई को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार से ही उसकी तलाश की जा रही थी। रविवार तड़के यहां एक भवन में चल रहे कारखाने में लगी आग में 43 लोगों की मौत हो गई थी। भवन के मालिक रेहान और प्रबंधक फुरकान को घटना के बाद रविवार रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने कहा था कि उनसे पूछताछ में पता चला कि इमारत के एक हिस्से का मालिक रेहान का बहनोई सुहेल था।

नसबंदी को लेकर पुरुष आज भी गलतफहमी के शिकार : डॉ. शबीह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

नसबंदी को लेकर अब भी पुरुषों को तमाम गलतफहमी है। इस वजह से पुरुष नसबंदी कराने से डरते हैं। यह बात गौतम बुद्ध नगर में पुरुषों की नसबंदी करने वाली महिला शल्य चिकित्सक डॉ. शबीह मजहर ने कही। भंगेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉ. शबीह ने छह महीने में करीब 50 पुरुषों की नसबंदी की है। हालांकि महिलाओं के मुकाबले नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या पांच फीसद से भी कम है। डॉ. शबीह ने बताया कि घर संभालना हो या परिवार नियोजन का मुद्दा हो, हरदम समाज का तबका महिलाओं को आगे कर देता है। नसंबदी के मामले में पुरुषों की भागीदारी बहुत कम है।

पोल खोल अभियान में युवा मोर्चा ने किया दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा ने पोल खोल अभियान के तहत संगम विहार क्षेत्र में प्रदर्शन किया। इसकी अगुआई युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव ने की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार की विफलताओं पर जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन में पूर्व विधायक विजय जौली, पूर्व विधायक डॉ एससीएल गुप्ता, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष महेश मिश्रा समेत मंडल के मोर्चा पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सुनील यादव ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तब से दिल्ली का विकास रुक गया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने आज तक एक भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री आज भी वहीं पुराना राग अलाप रहे हैं और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव का समय नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, साफ पानी को लेकर खोखले वादे कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

ऐक्टू ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल के खिलाफ विरोध जताया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

अनाजमंडी में हुई भयावह आगजनी की घटना को लेकर बुधवार को ऐक्टू की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के समक्ष विरोध जताया गया। इसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आए मजदूरों ने हिस्सा लिया। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से आई महिला मजदूर शकुंतला देवी ने कहा कि फैक्ट्री में काम करते हुए हम लोगों के साथ कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिसपर कोई सुनवाई नहीं होती। फैक्ट्री में शौचालय जाने तक की सुविधाएं भी नहीं होती है। सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए।

ऐक्टू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों कि हालत यह है कि वो या तो भूख से मर रहे हैं या सीवर और फैक्ट्री के अंदर जहरीली गैस और आगजनी से मर रहे हैं। मजदूरों की इस हालत की सरकारें जिम्मेदार हैं। जिसने एक के बाद एक श्रम कानूनों को रिफॉर्म के नाम पर खत्म कर दिया और मालिकों को लगातार छूट दी है। उसका नतीजा ये है कि अनाजमंडी, फिल्मिस्तान फैक्ट्री में मरने वालों की संख्या लगभग सौ से कम नहीं है। पिछले दिनों फैक्ट्री से लेकर सीवर में मजदूरों की जो मौतें हुई हैं, उसकी संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। ऐक्टू दिल्ली के अध्यक्ष संतोष रॉय ने कहा कि खुलेआम मालिकों को यह छूट मिल रही है कि को बिना किसी क्लियरेंस के फैक्ट्री चलाएं। दिल्ली में खुलेआम श्रम कानूनों की धज्जी उड़ाई जा रही है। हमारी साफ मांग है कि इन मजदूरों तथा उनके परिवारों को कम से कम पचास लाख मुआवजा मिले।

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमत्रित हैं:-

1. एनआईटीः ईई/सीडी 03/एनआईटी 32/2019-20

हैडः 4217 अनधिकृत कालोनियों का विकास

कार्य का नामः लक्ष्मी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एसी-58 में ए-ब्लॉक मंडावली फाजलपुर साइड नालियों और सड़क के फुटपाथ का सुधार (पंजीकृत संख्या-1597)। अनुमानित लागत 80,10,337.00 रु. धरोहर राशिः 1,60,207.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधिः 120 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 17.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_185114_1) निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाइट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3
DIP/Shabdarth/1111/19-20

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा
रचना बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008, दूरभाष 011-25758124, ई-मेलः iob1977@iob.in

शुद्धिपत्र

यह गलती से फाईनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिंदी) में सरफेसी सूचना हेतु 10.12.2019 को प्रकाशित विज्ञापन में संबंध में है जो निम्नलिखित हैः चल आस्ति का विवरण अग्रवत हैः प्रथम तल, B-77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 पर सम्पत्ति में स्थित इनवेन्ट्री कृपया इस प्रकार पढ़ेंः अचल आस्ति सम्पत्ति का विवरण प्रथम तल, B-77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

स्थानः नई दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी
दिनांकः 12.12.2019 — इंडियन ओवरसीज बैंक

आज के कार्यक्रम

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : सरोद वादन, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे से।

प्रदर्शनी

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, 5 ए, रिंग रोड लाजपत नगर 4, सुबह 10 बजे से, 21 दिसंबर तक।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 30.12.2019** को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि को हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना कारण बताये निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक खुद सम्पत्ति खरीदने हेतु बोली लगाने को स्वतंत्र हैं।

क्र. सं.	ऋणी एवं शाखा का नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी जमा की जायेगी एवं आईएफएससी कोड	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति-दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।							
1.	**शाखा : क्लॉक टॉवर, देहरादून** **ऋणी:** मैसर्स वल्लभ क्रिएशन, प्रोपराइटर श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन, दुकान नाम-डब, दुकान नं0 10/11, मैडोज प्लाजा कॉलेक्स, राजपुर रोड, देहरादून **प्रोपराइटर/ऋणी: 1. श्री नमन जैन** पुत्र स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 4737 जैन मन्दिर रोड, निकट सुन्दर नगर पुलिस स्टेशन, सुन्दर नगर तरफ सैदान, लुधियाना पंजाब, **2. श्री नमन जैन** पुत्र स्व0 श्री आशु जैन C/o **श्रीमती मनिषा जैन** पत्नी स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 11, शरमन वाटिका, हमबरान रोड, लुधियाना **गारन्टर्स: 1. श्री नीरज जैन**, 4736 जैन मन्दिर रोड, निकट सुन्दर नगर पुलिस स्टेशन, सुन्दर नगर तरफ सैदान, लुधियाना पंजाब **2. श्री नीरज जैन** C/o श्रीमती मनिषा जैन पत्नी स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 11, शरमन वाटिका, हमबरान रोड, लुधियाना **3. श्री नीरज जैन** पुत्र श्री यमन लाल जैन, बी-59, ईस्ट ज्योति नगर, निकट शाहदरा नई दिल्ली-110093	25.04.2019 रु0 **2,02,19,681.68** + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2019 से	बंधक संपत्ति के सभी भाग आवासीय सम्पत्ति एम.सी. नं0 B-XXIV -4736/1, माप 200 वर्ग गज, निहित खसरा नं0 144,खसरा नं0 874/943, जामाबंदी वर्ष 2007-08, स्थित मौजा तरफ सैदान हदबस्त नं0 172, स्थित सुन्दर नगर, तहसील व जिला लुधियाना। सीमायें:- उत्तर: श्री रंजीत की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, दक्षिण: मनिषा जैन की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पूर्व: रोड, साइड माप 30 फीट, पश्चिम: मकान सह प्लॉट नं0 10 साइड माप 30 फीट	सांकेतिक	रू0 129.6 लाख / रू0 12.97 लाख / रू0 2 लाख	27.12.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या 3713003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0371300)	30.12.2019 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
2.	**शाखा: नयागांव, देहरादून** श्री राम पाल यादव पुत्र श्री बाबू राम यादव एवं श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री राम पाल यादव, निवासी: 105, मिस्सार वाला डोईवाला, देहरादून	25.04.2015 रु0 **11,46,794/-** + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2010 से	बंधक सम्पत्ति सर्वेयित स्वामी श्री रामपाल यादव पुत्र श्री बाबू राम भूमि 241min (नया नं0 241/1) माप 0.05 एकड़ अथवा 202.50 वर्ग मीटर, स्थित मरखाम ग्रांट मजरा प्रेम नगर, परगना परवा दून जिला देहरादून। सीमायें:-पूर्व: गली एवं श्री हरि का मकान, पश्चिम: श्रीमती सुमित्रा देवी की भूमि, उत्तर: श्रीमती सुमित्रा देवी की भूमि, दक्षिण: श्री भिकू का मकान एवं श्री राम चंद की भूमि	सांकेतिक	रू0 7.15 लाख / रू0 0.72 लाख / रू0 0.2 लाख	27.12.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या 1664003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0166400)	30.12.2019 प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक
3.	**शाखा:- तिलक रोड देहरादून** **ऋणी:** मेसर्स शुभरिका कंटेनर, कार्यालय: खसरा संख्या 477 इंडस्ट्रियल एरिया कालवाला तहसील नरेंद्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल। 249137, श्री अमित जैन पुत्र श्री विनेन्द्र कुमार जैन **(पार्टनर/ऋणी/बंधकर्ता)** श्रीमती शुभारिका जैन पत्नी श्री अमित जैन, श्रीमती निर्मल जैन पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार जैन **(पार्टनर)** सभी निवासी गण 560 पुर्नीम कॉलोनी संजय मार्ग नयी मंडी मुजफ्फरनगर-211001	03.12.2018 रू0 **1,32,44,363.12** +ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2018 से	दृष्टिबंधक प्लॉन्ट एवं मशीनरी और अचल **आस्तियां। सम्पत्ति स्वामी- मेसर्स शुभरिका कंटेनर**	भौतिक	रू0 18.5 लाख / रू0 1.85 लाख / रू0 0.2 लाख	27.12.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या 1087003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0108700)	30.12.2019 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

ई-नीलामी के लिये नियम व शर्तें : विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट **https://etender.pnbnet.in:8443 , www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in** पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है। ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चो सहित वसूल की जायेगी। सभी स्टैचुअरी बकाया/ अटेंडेंट शुल्क/ अन्य बकाया/ पंजीकृत शुल्क, स्टैम ड्यूटी, टैक्स आदि (जीएसटी सहित), खरीदारों को वहन करना होगा।

दिनांकः 11.12.2019 — स्थान – देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

'भारतीय जिजीविषा का पर्याय हैं दया प्रकाश सिन्हा के नाटक'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

वाणी प्रकाशन एवं संस्कार भारती की साझेदारी में दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों का संग्रह 'नाट्य-समग्र' (तीन खंडों में) का लोकार्पण बुधवार को हुआ। प्रोफेसर चंदन कुमार ने कहा कि दया प्रकाश सिन्हा की किताब इतिहास और सत्ता को समझने की चिंता है। यह भारतीय जिजीविषा का पर्याय है। रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर ने कहा कि 'अशोक' नाटक की भूमिका मैंने लिखी है। 'कथा एक कंस की' का नाट्य केंद्र राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पूर्व इलाहाबाद में स्थापित होता है। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नाटक एक जीवंत व्यवस्था है, दिशा भी देती है। कार्यक्रम की अध्यक्ष मृदुला सिन्हा ने कहा कि नाटक एक ऐसी विधा है जिसे हम

अकेले नहीं देखते। सामूहिकता की यह विधा नाटक ही है जो हमें आपस में जोड़ती है। दया प्रकाश सिन्हा इतिहास को वतर्मान में खोजते हैं। संस्कार भारती के अध्यक्ष राजेश जैन चेतन ने कहा कि जहां दया प्रकाश सिन्हा को लिख दिया वहां संस्कार भारती समझो लिख दिया। वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण माहेश्वरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।

www.readwhere.com

एनआरसी : मुसलिम अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें

कर्नाटक में इमामों और मौलवियों ने मस्जिदों से की अपील

बंगलुरु, 11 दिसंबर (भाषा)।

देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने की संभावना को देखते हुए कर्नाटक में मस्जिदों ने मुसलिमों को अपने दस्तावेज दुरुस्त रखने को कहा है। इमामों और मौलवियों ने मुसलिमों से अपील की है कि अगर उनके दस्तावेज में कुछ भी गड़बड़ी है तो वे उसे ठीक करा लें।

लोगों को उनके दस्तावेज तैयार रखने और गलतियों को सुधारने में मदद के लिए बंगलुरु में जामिया मस्जिद में तीन महीने पहले एक नागरिक केंद्र भी खोला गया था। बंगलुरु में जामिया मस्जिद के इमाम मकसूद इमरान ने बुधवार को बताया कि भारत के हर नागरिक के लिए अपना दस्तावेज दुरुस्त कराना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए जामिया मस्जिद के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है जिसमें हम मुसलिमों को अपने रिकॉर्ड पूरी तरह से दुरुस्त रखने की सलाह देते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने जामिया मस्जिद में नागरिक केंद्र की भी स्थापना की है, जहां हम लोगों से कुछ दस्तावेज तैयार रखने और उनमें कोई गलती तो नहीं है, यह सुनिश्चित करने को कहते हैं। इमाम ने कहा कि कभी-कभी आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों में नाम में अंतर होता है। इन गलतियों को सुधार लेना चाहिए नहीं तो भविष्य में समस्या हो सकती है।

> इमामों और मौलवियों ने मुसलिमों से अपील की है कि अगर उनके दस्तावेज में कुछ भी गड़बड़ी है तो वे उसे ठीक करा लें। लोगों को उनके दस्तावेज तैयार रखने और गलतियों को सुधारने में मदद के लिए बंगलुरु में जामिया मस्जिद में तीन महीने पहले एक नागरिक केंद्र भी खोला गया था।

इमरान ने दावा किया कि इस मुहिम का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है इसलिए एनआरसी को लेकर डरने या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरसी कोई मुद्दा नहीं है। यह किसी रूप में हमें प्रभावित नहीं करेगा। हुकूमत के पास पैसे ज्यादा हैं तो खर्च करे।बस्वेश्वरनगर के रहने वाले मोहम्मद शहनाज ने भी इस बात की पुष्टि की कि इलाके की मस्जिद ने मुसलिमों को अपने दस्तावेज तैयार रखने और कोई गलती होने पर उसे सुधारने को कहा है।

झारखंड में दो दिसंबर को एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उन्होंने समूचे देश में एनआरसी लागू करने के लिए अंतिम समय सीमा 2024 तय की है।

सीआइएससीई ने बारहवीं और दसवीं का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआइएससीई) ने बारहवीं कक्षा (आइएससी) और दसवीं कक्षा (आइसीएसई) की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कार्यक्रम के मुताबिक बारहवीं की परीक्षाएं अगले साल तीन फरवरी और दसवीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। बारहवीं की परीक्षाएं 31 मार्च और दसवीं की परीक्षाएं 30 मार्च को समाप्त होंगी। परिणाम मई 2020 में जारी किए जाएंगे। सीआइएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव गैरी अराथून की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बारहवीं कक्षा में जिन विद्यार्थियों को पास प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। वे विद्यार्थी एक विषय की कम्पार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे जबकि उन्होंने अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास की हो। यह परीक्षा जुलाई में आयोजित होगी

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

इक्विटी शेयरधारकों के लिये सूचना

कंपनी की इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए) द्वारा अधिसूचित निवेश शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 यथा संशोधित (नियमावली) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है। इस नियमावली में अन्य बातों के अलावा ऐसे सभी दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाता में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिए लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश का दावा अथवा भुगतान नही किया गया है।

कंपनी द्वारा घोषित वर्ष 2012-13 का अंतरिम लाभांश नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार उस कोष में अंतरण के लिये नियत है।

लाभांश (वर्ष)	लाभांश के घोषणा की तिथि	आईईपीएफ सस्पेंस खाता में शेयरों का अंतरण
अंतरिम (2012-13)	12.02.2013	20.03.2020 के बाद

कंपनी ने आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरण के लिये नियत शेयरों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराते हुए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट /आर एंड टीए के पास उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर ऐसे संबंधित शेयर धारकों को व्यक्तिगत सूचना(एं) भेज दी है जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त अथवा दावा-रहित रहा है। ऐसे शेयर धारकों और आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरण के लिये नियत शेयरों के विवरणों को अपनी वेबसाइट www.sail.co.in पर कंपनी ने अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है की आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरित किये जाने के लिये नियत शेयरों के विवरणों की जांच के लिये उपरोक्त वेबसाइट पर शीर्षक 'Investors Relations' देखें।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है की अपने दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें। अधिक विवरणों के लिये शेयरधारक उसके पंजीकृत कार्यालय में (अथवा investor.relation@sail.in पर ईमेल) द्वारा कंपनी से अथवा उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट **(पता: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट: स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, पहला तल, एफ -65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, टेली: 91 1141406149)** से संपर्क करें) अथवा admin@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा इस सूचना के 30 दिनों के भीतर कंपनी के पास दावा-रहित लाभांश के लिये वैध दावे दाखिल करें। यदि नियत तिथि तक कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिये नियत प्रक्रिया का अनुसरण कर आगे कोई भी सूचना दिए बिना संबंधित शेयरों का आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरित कर देगी।

लेकिन, शेयर धारक नियमावली के अनुसार तथा उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों को जमा कर ऐसे शेयरों पर उपचयित सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों दोनों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते है। इस संदर्भ में शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विवरणों को भी देख सकते हैं।

नियमावली के अनुसार दावा- रहित लाभांश राशि तथा आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नही किया जा सकता है।

कृते स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
हस्ता /-
(एम बी बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि 11 दिसबर, 2019

पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नम्बर L27109DL1973GOI006454, वेबसाइट: www.sail.co.in
हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

UJJIVAN
UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
Build a Better Life

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED

The Bank was incorporated as Ujjivan Small Finance Bank Limited on July 4, 2016 at New Delhi as a public limited company under the Companies Act, 2013, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("**RoC**"). Our Promoter, Ujjivan Financial Services Limited ("**UFSL**") was granted the in-principle approval to establish a small finance bank ("**SFB**"), by the Reserve Bank of India ("**RBI**"), pursuant to its letter dated October 7, 2015. Subsequently, UFSL received the final approval for our Bank to carry on the SFB business in India, pursuant to a letter dated November 11, 2016 issued by the RBI. Our Bank commenced its business with effect from February 1, 2017 and was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 3, 2017 issued by the RBI. For further details, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 133 of the Prospectus dated December 5, 2019 ("**Prospectus**").

Registered Office: Plot No. 2364/ 8, Khampur Raya Village, Shahi Kampur, Main Patel Road, New Delhi 110 008, India. **Tel:** +91 11 3043 2121
Corporate Office: Grape Garden, No. 27, 3rd 'A' Cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru 560 095, Karnataka, India. **Tel:** +91 80 4071 2121
Website: www.ujjivansfb.in, **Contact Person:** Chanchal Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** ipo@ujjivan.com; **Corporate Identity Number:** U65110DL2016PLC302481

OUR PROMOTER: UJJIVAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

The Bank has filed the Prospectus dated December 5, 2019 with the RoC, and the Equity Shares are proposed to be listed on the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**" and together with NSE, the "**Stock Exchanges**"), and trading is expected to commence on or about December 12, 2019.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 202,702,702 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹37* PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹27 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹7,459.46 MILLION* ("ISSUE"). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF 20,270,270# EQUITY SHARES, AGGREGATING TO ₹709.46 MILLION, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE UFSL SHAREHOLDERS ("UFSL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION"). THE UFSL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION DID NOT EXCEED 10% OF THE ISSUE. THE ISSUE LESS THE UFSL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE SHALL CONSTITUTE 11.73% AND 10.56%, RESPECTIVELY, OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE BANK.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE ISSUE PRICE IS ₹37* PER EQUITY SHARE AND IS 3.7 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

** The Bank has, in consultation with the BRLMs, undertaken a Pre-IPO placement of 71,428,570 Equity Shares for cash consideration aggregating to ₹2,500 million.*

 # A discount of ₹2 per Equity Share was offered to Eligible UFSL Shareholders Bidding in the UFSL Shareholder Reservation Portion ("UFSL Shareholder Discount").

ISSUE PRICE: ₹ 37 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 37 PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE IS 3.7 TIMES OF THE FACE VALUE

Risks to Investors:

- **The three Book Running Lead Managers associated with the Issue have handled 35 public issues in the past three years out of which 10 closed below the issue price on listing date.**
- **The Price/ Earnings ("PE") ratio based on diluted EPS for Fiscal 2019 for the Issuer at the upper end of the Price Band is as high as 30.83 as compared to the average industry peer group PE ratio of 29.64.**
- **The Issue Price at the upper end of the Price Band is ₹ 37 per Equity Share.**
- **Weighted Average Return on Net Worth for Fiscal 2017, Fiscal 2018 and Fiscal 2019 is 4.88%.**
- **The Net Asset Value per Equity Share of the Bank as on March 31, 2019 is ₹12.64 and as on September 30, 2019 is ₹ 13.84.**

BID/ISSUE PERIOD:
OPENED ON: MONDAY, DECEMBER 2, 2019
CLOSED ON WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019
ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019

The Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Issue was allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") ("**QIB Portion**"), our Bank may, in consultation with the BRLMs, allocated 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third was reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not more than 15% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Issue was made available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids having been received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBs and Eligible UFSL Shareholders Bidding in the UFSL Shareholder Reservation Portion) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts were blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "*Issue Procedure*" on page 332 of the Prospectus.

The Issue received 1,560,440 applications for 20,55,31,09,600 Equity Shares resulting in 101.39534 times subscription as disclosed in Prospectus. The details of the applications received in the Issue from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders and QIBs are as under (before technical rejections):

Sl. no	Category	No. of Applications applied	No. of Equity Shares	Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
A	Retail Individual Bidders	14,92,075	86,02,24,000	1,82,43,243	47.15302	31,81,80,67,035
B	Non Institutional Bidders	4,706	13,26,38,12,000	2,73,64,864	484.70228	4,90,76,11,00,600
C	Eligible UFSL Shareholders Bidding in the UFSL Shareholder Reservation Portion	63,444	9,44,06,800	2,02,70,270	4.65740	3,32,50,85,200
D	Qualified Institutional Bidders (Excluding Anchor Investors)	170	6,23,30,17,600	5,47,29,731	113.88723	2,30,62,16,51,200
E	Anchor Investors	45	10,16,49,200	8,20,94,594	1.23820	3,76,10,20,400
	Total	15,60,440	20,55,31,09,600	20,27,02,702	101.39534	7,60,28,69,24,435

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE and NSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	% Cumulative Total
1	36	1,58,80,400	0.08	1,58,80,400	0.08
2	37	19,79,52,17,600	96.22	19,81,10,98,000	96.30
3	CUTOFF	76,14,45,600	3.70	20,57,25,43,600	100.00
	TOTAL	20,57,25,43,600	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being NSE on December 9, 2019.

A. Allotment to Retail Individual Bidders (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at cut-off or at the Issue Price of ₹37 per Equity, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 45.28640 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 1,82,43,243 Equity Shares to 45,608 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
400	12,61,189	87.83	50,44,75,600	61.06	400	35 : 1102	1,80,22,400
800	79,042	5.50	6,32,33,600	7.65	400	35 : 1102	10,04,000
1200	29,298	2.04	3,51,57,600	4.26	400	35 : 1102	3,72,400
1600	12,144	0.85	1,94,30,400	2.35	400	35 : 1102	1,54,400
2000	11,536	0.80	2,30,72,000	2.79	400	35 : 1102	1,46,400
2400	5,799	0.40	1,39,17,600	1.68	400	35 : 1102	73,600
2800	5,159	0.36	1,44,45,200	1.75	400	35 : 1102	65,600
3200	2,282	0.16	73,02,400	0.88	400	35 : 1102	28,800
3600	1,135	0.08	40,86,000	0.49	400	36 : 1135	14,400
4000	4,486	0.31	1,79,44,000	2.17	400	35 : 1102	56,800
4400	844	0.06	37,13,600	0.45	400	27 : 844	10,800
4800	1,727	0.12	82,89,600	1.00	400	55 : 1727	22,000
5200	21,366	1.49	11,11,03,200	13.45	400	35 : 1102	2,71,600
					1	43 : 5552	43
TOTAL	14,36,007	100.00	82,61,70,800	100.00			1,82,43,243

Please Note : 1 additional Share shall be allotted to 43 Allottees from amongst 5552 Successful Applicants from the categories 800-5200 (i.e.excluding successful applicants from Category 400) in the ratio of 43 : 5552.

B. Allotment to Non Institutional Bidders (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders, who have bid at the Issue Price of ₹ 37 per Equity Share or above, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 473.33419 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 27,364,864 Equity Shares to 1,450 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
5600	1169	25.99	65,46,400	0.05	400	35 : 1169	14,000
6000	292	6.49	17,52,000	0.01	400	9 : 292	3,600
51351200	1	0.02	5,13,51,200	0.40	108488	1 : 1	1,08,488
54051200	3	0.07	16,21,53,600	1.25	114192	1 : 1	3,42,576
54054000	7	0.16	37,83,78,000	2.92	114198	1 : 1	7,99,386
54200000	5	0.11	27,10,00,000	2.09	114507	1 : 1	5,72,535
54400000	2	0.04	10,88,00,000	0.84	114930	1 : 1	2,29,860
59459200	1	0.02	5,94,59,200	0.46	125618	1 : 1	1,25,618
60300000	1	0.02	6,03,00,000	0.47	127394	1 : 1	1,27,394
60400000	1	0.02	6,04,00,000	0.47	127605	1 : 1	1,27,605
60800000	1	0.02	6,08,00,000	0.47	128450	1 : 1	1,28,450
60810800	58	1.29	3,52,70,26,400	27.23	128473	1 : 1	74,51,434
62440000	2	0.04	12,48,80,000	0.96	131916	1 : 1	2,63,832
64054000	1	0.02	6,40,54,000	0.49	135325	1 : 1	1,35,325
64736000	1	0.02	6,47,36,000	0.50	136766	1 : 1	1,36,766
64864800	1	0.02	6,48,64,800	0.50	137038	1 : 1	1,37,038
65008000	2	0.04	13,00,16,000	1.00	137356	1 : 1	2,74,712
65400000	1	0.02	6,54,00,000	0.50	138201	1 : 1	1,38,201
65600000	1	0.02	6,56,00,000	0.51	138623	1 : 1	1,38,623
65675600	8	0.18	52,54,04,800	4.06	138755	1 : 1	11,10,040
65878000	1	0.02	6,58,78,000	0.51	139211	1 : 1	1,39,211
Total	4498	100.00	12,95,27,25,600	100.00			2,73,64,864

C. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹ 37 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 113.88723 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e. 2,736,487 Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 51,993,244 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the Net QIB portion is 54,729,731 Equity Shares, which were allotted to 170 successful applicants.

Category	FIs/Banks	FPIs	ICs	MFs	Others	Total
QIB (excluding Anchor Investors)	1,56,55,671	1,41,62,157	29,09,761	56,76,124	1,63,26,018	5,47,29,731

D. Allotment to Anchor Investors

The Bank, in consultation with the BRLMs, have allocated 82,094,594 Equity Shares to 45 Anchor Investors at the Anchor Investor Offer Price of ₹ 37 per Equity Share in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB Portion.

Category	FIs/Banks	FPIs	ICs	AIFs	MFs	Others	Total
Anchor Investors	-	41,519,200	6,080,400	5,777,200	28,717,794	-	82,094,594

E. UFSL Shareholder Reservation Portion (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the UFSL Shareholders under UFSL Shareholder Reservation Portion, who have bid at cut-off or at the Issue Price of ₹ 37 per Equity Share (less discount of ₹ 2), was finalized in consultation with the NSE. This category has been subscribed to the extent of 3.87533 times. The total number of Equity Shares Allotted in UFSL Shareholder category is 20,270,270 Equity Shares to 44,083 successful applicants.

The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
400	22,409	50.83	89,63,600	11.41	400	1 : 47	89,63,600
800	5,739	13.02	45,91,200	5.84	417	1 : 1	23,93,163
					1	17 : 141	692
1200	2,054	4.66	24,64,800	3.14	435	1 : 1	8,93,490
1600	985	2.23	15,76,000	2.01	452	1 : 1	4,45,220
2000	891	2.02	17,82,000	2.27	469	1 : 1	4,17,879
2400	497	1.13	11,92,800	1.52	487	1 : 1	2,42,039
2800	705	1.60	19,74,000	2.51	504	1 : 1	3,55,320
3200	370	0.84	11,84,000	1.51	521	1 : 1	1,92,770
3600	174	0.39	6,26,400	0.80	539	1 : 1	93,786
4000	474	1.08	18,96,000	2.41	556	1 : 1	2,63,544
4400	181	0.41	7,96,400	1.01	573	1 : 1	1,03,713
4800	733	1.66	35,18,400	4.48	590	1 : 1	4,32,470
5200	4,223	9.58	2,19,59,600	27.95	608	1 : 1	25,67,584
5600	4,648	10.54	2,60,28,800	33.13	625	1 : 1	29,05,000
TOTAL	44,083	100.00	7,85,54,000	100.00			2,02,70,270

Please Note : 1 additional Share was allotted to Category 800 in the ratio 17 : 141.

The basis of allotment of Equity Shares was approved by the Designated Stock Exchange, being NSE, and the Stakeholders Relationship Committee of the Bank on December 10, 2019 has allotted the Equity Shares to successful Bidders. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on December 9, 2019 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on December 11, 2019. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on December 10, 2019 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Bank is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and NSE, and trading is expected to commence on or about December 12, 2019.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

These details of the Allotment made shall be hosted on the website of Registrar to the Issue, KFin Technologies Private Limited at www.karisma.karvy.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

KFINTECH
KFin Technologies Private Limited*
Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032.
Tel: +91 40 6716 2222, **E-mail:** einward.ris@karvy.com, **Investor grievance e-mail:** USFB.ipo@karvy.com
Website: www.karisma.karvy.com, **Contact Person:** Murali Krishna, **SEBI Registration No.:** INR000000221
*Formerly known as Karvy Fintech Private Limited

For **UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Bengaluru
Date : December 11, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED.

Ujjivan Small Finance Bank Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its equity shares ("**Equity Shares**") and has filed a prospectus ("**Prospectus**") with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, Kotak Mahindra Capital Company Limited, IIFL Securities Limited and JM Financial Limited, at www.investmentbank.kotak.com, www.iiflcap.com and www.jmfl.com respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "*Risk Factors*" on page 22 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A and referred to in the Prospectus as "U.S. QIBs", For the avoidance of doubt, the term "U.S. QIBs" does not refer to a category of institutional investor defined under applicable Indian regulations and referred to in the Prospectus as "QIBs") in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

एलसीआरडी डिवीजन/ नई दिल्ली
द फेडरल टावर्स
ऊपरी भूतल, 2/2, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008
फोन नं.: 011- 40733980, 40733978
ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

1. श्रीमती प्रियंका जैन, पत्नी श्री सचिन जैन, 2. श्री सचिन जैन, पुत्र श्री रमण कुमार जैन, 3. श्री सौरभ जैन, पुत्र श्री रमण कुमार जैन, 4. श्रीमती दिव्या जैन, पत्नी श्री सौरभ जैन, 5. श्री रमण कुमार जैन, पुत्र श्री तरसेम चंद जैन, 6. श्रीमती सुनीता जैन, पत्नी श्री रमण कुमार जैन, सभी निवासी: बीएच-433, मदरडेयरी के निकट, ईस्ट शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088

आप में 1 ने ऋणधारक के रूप में तथा 2रे से छठे तक ने सह-ऋणधारकों/गारन्टरों के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद हमारी बैंक की कनॉट सर्कस शाखा से साख सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए श्रीमती प्रियंका जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रीमती दिव्या जैन ने अधोलिखित अचल संपत्तियों के संदर्भ में 20.4.2018 को गिरवी द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:-

गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण

साढ़े तीन मंजिल के बिल्डिंग तथा उस पर सभी सुधारों के साथ ईस्ट शालीमार बाग, दिल्ली-110088 की ले आउट प्लान में स्थित ब्लॉक बीएच, माप 70 वर्ग मी. में आवासीय प्लॉट नं. 434 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट नं. 433, पश्चिम: प्लॉट नं. 435, उत्तर: सर्विस लेन, दक्षिण: 5 मी. चौड़ा रोड

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि आपकी फेडरल होम एक्स्ट्रागैन-ओडी ऋण खाता 11055600004460 के अंतर्गत 2.11.2019 को रु. 1,35,93,197/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख तिड़ानवे हजार एक सौ सत्तानवे मात्र) तथा आपकी फेडरल होम प्लस टॉप अप इक्विटी ऋण खाता 11057600003112 के अंतर्गत 21.10.2019 को रु. 28,37,673/- (रुपये अट्ठाइस लाख सैंतीस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) अर्थात् कुल रु. 1,64,30,870/- की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बैंक की कनॉट सर्कस शाखा के लिये बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर-प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है

जनसत्ता

12 दिसंबर, 2019

पर्यावरण की खातिर

वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के पैमाने पर भारत की स्थिति भले अच्छी न हो, लेकिन जलवायु संकट को लेकर सजगता के मामले में भारत दुनिया के दस देशों में शुमार हो गया है। इन दिनों स्पेन की राजधानी मेड्रिड में जलवायु संकट पर चल रहे सम्मेलन 'कॉप 25' में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत को उन पहले दस देशों में रखा गया है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जलवायु संकट पर अब तक हुए वैश्विक सम्मेलनों में भारत ने जो प्रतिबद्धता जताई है, उस पर गंभीरता से काम हो रहा है और पेरिस समझौते व क्योटो समझौते पर अमल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। धरती का जलवायु संकट अकेला भारत का खड़ा किया हुआ नहीं है, यह पूरी दुनिया के देशों, खासतौर से विकसित देशों के कृत्यों और लापरवाही का नतीजा है। इसलिए भारत चाह कर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता और न ही अपने हितों की अनदेखी कर सकता है। संतोष की बात यह है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में भारत की जो भागीदारी है, उसमें हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दुनिया ने इस बात को माना भी है।

सीसीपीआइ तैयार करते वक्त सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि संबंधित देश कोयले की खपत को कम करने सहित ऐसे क्या उपाय कर रहे हैं जिनसे जहरीली गैसों का उत्सर्जन न हो। भारत ने पिछले कुछ समय में इस दिशा में जो काम किया है वह उसके निर्धारित लक्ष्य से पंद्रह फीसद ज्यादा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर देखें तो कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए कई देशों ने गंभीरता दिखाई है। अब तक जो सत्तावन देश सबसे ज्यादा कार्बन उगल रहे थे, उनमें इकतीस देशों ने इसे कम करने के लिए दूसरे विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है और ऐसे तरीके ईजाद किए हैं जिनसे कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हालांकि भारत सहित दूसरे विकासशील देशों के लिए यह कोई आसान काम नहीं है। भारत के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि कोयले के इस्तेमाल को एकदम से बंद कर दिए जाए। भारत में न सिर्फ घरेलू स्तर पर, बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर कोयले का उपयोग हो रहा है। बिजली उत्पादन तो एक तरह से कोयले पर ही निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में आज भी ईंधन रूप में कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। पर पिछले एक दशक में करोड़ों परिवारों पर गैस मुहैया करवा कर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया है। अगले तीन साल में चालीस फीसद बिजली नए ऊर्जा स्रोतों से बनाने का लक्ष्य रखा है।

सवाल है कि दुनिया के अमीर देश क्या कर रहे हैं जलवायु संकट से निपटने के लिए। सीसीपीआइ की रिपोर्ट बता रही है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब जैसे अमीर और ताकतवर देशों का रिकार्ड सबसे ज्यादा बदतर है। अमेरिका ने तो पेरिस समझौते से अपने को अलग ही कर लिया। जाहिर है, वह अपने हितों से कोई समझौता नहीं कर रहा। अब तक होता यही आया है कि दुनिया का पर्यावरण बिगाड़ने के लिए विकसित देश विकासशील देशों को ही निशाना बनाते आए हैं। ऐसे में भारत का रुख साफ है कि वह विकसित देशों के दबाव के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयास जारी रखेगा। क्या यह अमेरिका जैसे देशों के लिए सबक नहीं है!

कसता शिकंजा

पाकिस्तान में बुधवार को आखिरकार हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्त-पोषण के आरोप तय हो गए। लेकिन इससे पहले वहां की सत्ता के रुख में जिस तरह का ऊहापोह और उतार-चढ़ाव देखा गया था, उससे साफ था कि अनेक सबूत होने के बावजूद हाफिज सईद को गंभीर आरोपों के तहत कठघरे में खड़ा करने में सरकार को हिचक हो रही है। अब पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत में जब उसके खिलाफ आरोप तय हुए हैं तब भी संभावना यही है कि इसके पीछे वहां की सरकार की इच्छाशक्ति नहीं रही होगी, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय दबाव का नतीजा होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उप-अभियोजनक जनरल अब्दुर्रऊफ ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की दलील देते हुए कहा कि हाफिज सईद और तीन अन्य लोग आतंकवाद के वित्त-पोषण में शामिल हैं। पंजाब आतंकवाद विरोधी विभाग ने इससे संबंधित ठोस सबूत भी पेश किए। हालांकि बीते शनिवार को इसी अदालत में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, उससे यह आशंका खड़ी हो गई थी कि शायद एक बार फिर हाफिज को बख्श देने की भूमिका बनाई जा रही है, क्योंकि संबंधित अधिकारी इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई में भी एक सह-आरोपी को पेश करने में नाकाम रहे थे।

गौरतलब है कि जब भारत की ओर से लगातार कूटनीतिक कवायदों के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दबाव बनाया, तब पाकिस्तान के अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और उसकी सहयोगी शाखा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ जांच शुरू की थी। हालांकि इन आरोपों की लगभग पुष्टि पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस जांच में भी आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के लिए इन ट्रस्टों का इस्तेमाल किए जाने के तथ्य उजागर हुए। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि सबूतों और तथ्यों के बावजूद पाकिस्तान की ओर से हाफिज सईद और उसके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इतनी शिथिलता क्यों बरती गई। अब कोई चारा नहीं होने पर तीन आतंकियों सहित हाफिज सईद पर आतंक के वित्तपोषण के आरोप तय हुए हैं। यों पाकिस्तान का अब तक का जो रुख रहा है, उसमें अब वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यही प्रचारित करने की कोशिश करेगा कि हाफिज सईद के खिलाफ कसा गया ताजा शिकंजा सरकार की आतंकवाद विरोधी नीतियों का हिस्सा है। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने के प्रति इतना ही ईमानदार है, तो हाफिज के मसले पर इस फैसले तक पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा!

हाफिज सईद और आतंकवाद के संबंध में शायद ही कोई तथ्य छिपा रहा है। खासतौर पर मुंबई पर आतंकी हमले के मामले में ये आरोप लंबे समय से तथ्यगत रूप से सामने थे कि उस घटना सहित दूसरी आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को हाफिज सईद के संगठनों ने धन मुहैया कराए थे और मुख्य साजिशकर्ता भी वही था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस हमले में एक सौ छियासठ लोग मारे गए थे, उसके जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के प्रति पाकिस्तान ने कभी ईमानदारी से कोई ठोस पहलकदमी नहीं की। जबकि भारत की ओर से जुटाए गए सबूत इस बात की साफ गवाही थे कि वह हमला पाकिस्तान स्थित ठिकानों से संचालित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया था कि उसकी सीमा में आतंकी गतिविधियों को पनाह दी जाती है। लेकिन बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच इस मुद्दे पर पाकिस्तान को रक्षात्मक होना पड़ा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि न केवल भारत के हितों के मद्देनजर, बल्कि खुद पाकिस्तान को अपनी सीमा में भी शांति और सहजता के लिए आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने की जरूरत है।

कल्पमेधा

जहां डींग हांकना खत्म होती है, वहीं से प्रतिष्ठा की शुरुआत होती है।

– यंग

मानसिक दबाव में जवान

अभिजीत मोहन

इसमें कोई दो राय नहीं कि जवानों के आत्महत्या करने और नौकरी छोड़ने के पीछे पारिवारिक तनाव बड़ा कारण है। लेकिन दूसरे कारण भी हैं जो जवानों को विचलित करते रहते हैं। सच तो यह है कि नौकरी की कठिन सेवा शर्तें भी जवानों की परेशानी और आत्महत्या की बड़ी वजह है। कुछ वर्षों से सेना द्वारा नौकरी की सेवा-शर्तें एवं वेतन में व्याप्त विसंगतियों को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है। कठिन सेवा शर्तें कई किस्म की परेशानियां खड़ी कर रही हैं।

कुछ दिन पहले नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के एक जवान ने अपने ही छह साथी जवानों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। दो दिन पहले झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों में संघर्ष के दौरान गोलियां चलीं, जिसमें दो जवान मारे गए। ये घटनाएं विचलित करने वाली हैं। इन घटनाओं के कारण जो भी रहे हों, लेकिन इतना तय है कि हमारे अर्धसैनिक बलों की हालत अच्छी नहीं है। ये घटनाएं बता रही हैं कि सुरक्षा बलों के ज्यादातर जवान बुरी तरह अवसादग्रस्त और मानसिक दबाव में हैं, इसलिए इनके भीतर कहीं न कहीं गहरा असंतोष पनप रहा है। इसके कारण चाहे पारिवारिक हों अथवा विभागीय, लेकिन गौर करें तो साथी जवानों पर हमले और हत्याओं की घटनाएं नई बात नहीं हैं। कुछ साल पहले औरंगाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के एक जवान ने अपने ही चार साथियों को गोलियों से उड़ा दिया था। इसी तरह झारखंड के सरायकेला में एक जवान ने अपने असिस्टेंट कमांडेट सहित छह जवानों को मार डाला था। हत्यारोपी जवान अवसाद से पीड़ित था।

आमतौर पर आत्महत्या की प्रवृत्ति उन जवानों में सर्वाधिक देखी जाती है जो सीमा पर पहरा देते हैं या जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करते हैं। अक्सर इन कार्यों में जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी, आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के कारण पिछले तीन वर्षों में सुरक्षा बलों के तकरीबन चार सौ से अधिक जवानों ने जान गंवाई है। इनमें सबसे अधिक जवान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के शहीद हुए हैं। इस बल ने 2015 से 2017 के दरम्यान एक सौ सड़सठ जवानों को खोया है। अपने साथी जवानों की शहादत को देख कर अन्य जवानों का विचलित होना स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिकों की मानें तो इनमें से कुछ जवान अवसाद में चले जाते हैं। गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में जवानों की आत्महत्या और अवसाद के कई कारण गिनाए थे, जिसकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अर्ध सैनिक बलों के चार सौ से अधिक जवानों ने आत्महत्या की और साथ ही अपने साढ़े तीन दर्जन से अधिक साथियों को निशाना बनाया। ध्यान दें तो आत्महत्या और साथियों को निशाना बनाने के अलावा बड़ी संख्या जवान नौकरी भी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जवान अपनी नौकरी की सेवा शर्तों को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं हैं।

आमतौर पर अर्धसैनिक बलों के उच्चाधिकारी यह दलील देते हैं कि जवानों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मूल कारण उनका पारिवारिक तनाव है, न कि नौकरी के दौरान उपजने वाला मानसिक दबाव। इसमें कोई दो राय नहीं कि जवानों के आत्महत्या करने और नौकरी छोड़ने के पीछे पारिवारिक तनाव बड़ा कारण है। लेकिन दूसरे कारण भी हैं जो जवानों को विचलित करते रहते हैं। सच तो यह है कि नौकरी की कठिन सेवा शर्तें भी जवानों की परेशानी और आत्महत्या की बड़ी वजह है। कुछ वर्षों से सेना द्वारा नौकरी की सेवा-शर्तें एवं वेतन में व्याप्त विसंगतियों को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है। कठिन सेवा शर्तें कई किस्म की परेशानियां खड़ी कर रही हैं।

केवल सीआरपीएफ की ही बात करें तो अस्सी प्रतिशत जवानों को पिछले दो दशक से एक जगह पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं मिल पाई है और वे समय-समय पर मिलने वाली प्रोन्नति से भी वंचित हैं। सच कहें तो उनका जीवन खानाबदोशों की तरह हो गया है। सरकार को समझना होगा कि वे भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी मानवीय संवेदनाएं प्रभावित करती हैं। उनके मन में भी अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा होती है। माना कि उनके कंधे पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। यह भी सही है कि उन्हें उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों से लेकर दुर्गम क्षेत्रों में भेजा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन सरकार और सेना के उच्च अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जवानों की भावनाओं का ख्याल रखें और उन्हें उचित पोषण के अलावा जरूरत पड़ने पर छुट्टियां दें, ताकि वे सामाजिक समारोहों में शामिल हो सकें। अगर उन्हें समय-समय पर छुट्टियां मिलती रहें तो वे अवसाद में जाने से बचेंगे। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात ये है कि जवानों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलना, प्रतिकूल जमीनी हालात से समझौता करना, बेहद नमी और गर्म जलवायु में सामंजस्य स्थापित करना होता है। उन्हें विषम परिस्थितियों में भोजन और पानी के बिना भी कई-कई दिनों तक रहना पड़ता है। घने जंगल और पथरीले रास्तों के बीच जानलेवा मच्छरों और अन्य कीटों की मौजूदगी उनकी जान पर बन आती है।

हालांकि सरकार ने पिछले कुछ समय में जवानों की इन समस्याओं पर गौर किया है और कुछ कदम उठाए भी हैं। जैसे जवानों में व्याप्त मानसिक तनाव दूर करने के लिए 'सहयोग और मिलाप' जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस पहल से जवानों में आत्महत्या करने और सहकर्मियों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि 2016 में सेना में आत्महत्या के संदिग्ध मामलों की संख्या एक सौ चार थी, जो 2017 में घट कर पचहत्तर और 2018 में अस्सी तक आ गई थी। इसी अवधि में सेना में भी सहकर्मियों की हत्या के मामलों में भी काफी कमी आई है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस अवधि में यह संख्या क्रमशः दो, एक और एक थी। इसी तरह 2016 में नौसेना में आत्महत्या के संदिग्ध मामलों की संख्या छह थी, जो 2017 में पांच और 2018 में आठ दर्ज की गई। अच्छी बात यह रही कि इस अवधि में नौसेना में सहकर्मियों की हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया। वायुसेना की बात करें तो 2016 में आत्महत्या के संदिग्ध मामलों की संख्या उन्नीस थी, जो 2017 में इक्कीस और 2018 में सौलह दर्ज की गई। 2016 में वायुसेना में सहकर्मियों की हत्या का केवल एक मामला सामने आया, जबकि 2017 और 2018 में ऐसा एक भी मामला देखने को नहीं मिला। अब जब सरकार जवानों में हत्या-आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की मदद दे रही है तो निःसंदेह उनके स्वभाव में बदलाव आएगा। अकसर देखा-सुना जाता था कि जवान कपड़े और भोजन को लेकर नाराजगी जताते थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है जवानों को पहले के बजाए अब बेहतर कपड़े, गुणवत्तापरक भोजन, विवाहितों के लिए आवास और यात्रा जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि उनमें किसी तरह का अवसाद न पनपे।

अर्धसानिक बलों के जवान उचित खानपान न मिलने, छुट्टियां न मिलने जैसी शिकायतें सोशल मीडिया पर भी करते रहे हैं। जवानों की इस प्रवृत्ति देश व समाज में गलत संदेश जा रहा था। गौर करें तो अभी गत वर्ष पहले देखने-सुनने को मिला था कि सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने खराब खाने को लेकर अपना वीडियो जारी किया, वहीं सीआरपीएफ का एक जवान एक वीडियो में अद्धसैनिक बल के जवानों को सेना के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं देने की मांग कर रहा था। हालांकि अब सरकार ने देर से ही सही, पर जवानों की सुध ली है और कुछ इस तरह का वातारवरण निर्मित कर रही है जिससे कि जवान आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं और न ही अवसादग्रस्त होकर अन्य साथियों को निशाना बनाएं।

नेकी का चेहरा

सुरेशचंद्र रोहरा

दुनिया मेरे आगे

हमारे शहर में एक 'नेकी की दीवार' है, जहां शहर के लोग अपने पुराने कपड़े, जूते, चप्पलें सहित ऐसी शय जो काम की नहीं रही, आकर छोड़ जाते हैं। नेकी की दीवार पर अपनी बेकाम हो चुकी चीजों को छोड़ कर हमें शांति की अनुभूति होती है। एक दफा घर पर मैंने भी शायद कुछ नेकी का काम किया था। मेरे और मेरी पत्नी के कुछ पुराने कपड़े, बच्चों की पुरानी उपयोग में नहीं आ रही चीजों को फेंकने की जगह कुछ लोगों को मैं बुला लाया और उन्हें अपनी पसंद की काम की चीजों को ले जाने का अनुरोध किया। पांच-छह पुरुष, महिलाओं ने सारी चीजें आपस में बांट ली। मुझे सुखद अनुभूति के साथ यह भी प्रतीत हुआ कि कहीं मुझसे कुछ गलत काम तो नहीं हो गया है!

क्या यह नेकी का काम है? शायद नहीं! मैंने अपनी बेकार की चीजों को अगर किसी को बांट दिया, तो यह नेकी का काम किस अर्थ में यह हुआ? यह तो आत्म-छलना, प्रवंचना से आगे कुछ भी नहीं है। मैं सोचता रहा। उद्विग्न होकर विचार करता रहा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। किसी ने कहा कि आपने बड़ा ही नेक काम किया, जरूरतमंदों को अपनी चीजें बांट दी। मगर मेरा जमीर यह स्वीकार करने तैयार नहीं हुआ कि इसमें मेरी कुछ नेकी का काम है।

ऐसी ही संकल्पना 'नेकी की दीवार' की अनुभूत होती है। राजधानी रायपुर सहित हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में 'नेकी की दीव ार' बना दी गई है, जहां लोग अपनी पुरानी चीजें छोड़ कर खुशी महसूस करते हैं। कई जगहों पर काफी राशि खर्च कर बनाई गई ऐसी 'नेकी की दीवारों' की भव्यता देख कर आंखें चौंधिया जाती हैं। एक जगह तो पचास लाख का भवन है, तो तीस लाख की सजावट की गई है। अब यह 'नेकी की दीवार' है, जहां लोग आते हैं, अपने बेकार हो चुके सामान दे जाते हैं, जिन्हें नगर निगम बाद में जरूरतमंद लोगों या परिवारों के पास पहुंच कर छोड़ जाता है।

दरअसल, यह नेकी की दीवार की संकल्पना का भदेस स्वरूप है। हम हर अच्छी प्रेरणादायी घटना को बिगाड़ कर, उसकी बुनियादी सोच के साथ एक तरह से उसकी भावना की हत्या कर देते हैं। 'नेकी की दीवार' की भावना बेशक बेहद उदात्त है। एक श्रेष्ठ सोच और भावना का प्रतिफल है। मगर हम इसमें जब सरकार, नगर निगम, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ देते हैं तो यह अपनी मूल सोच को खो देता है। 'नेकी की दीवार' आम आदमी की पहल का नतीजा है। यह आम आदमी द्वारा क्रियान्वित हो तो बेहतर प्रतिसाद, उच्च भावना का प्रदर्शन माना जा सकता है। मगर सरकार, नगरीय निकाय इस काम को करने लगे तो यह अपना मूल स्वभाव छोड़ देता है। यह अनुभूति मुझे 'नेकी की दीवार' के आसपास कुछ समय व्यतीत करने के बाद शिद्दत से हुई।

मुझे लगा कि पचास लाख या एक करोड़ रुपए खर्च कर-के जब सरकार 'नेकी की दीवार' का संचालन करने लगे तो यह 'नेकी की दीवार' कहां रही! करोड़ों के खर्च की शोभा के साथ पुराने कपड़े या जरूरत के सामान बांटना। उसका तो मूल स्वभाव ही बदल गया! नेकी की दीवार का मूल है उत्स है सादगी और मनुष्य का श्रेष्ठतम भाव। अगर करोड़ों खर्च करके किए गए आयोजन के तहत पुराने और छोड़े गए कपड़े या सामान बांटे जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। भले ही कल्याण कार्य या उदात्तता का प्रदर्शन हो जाए।

बचपन में सुना था पिता से कि 'नेकी कर दरिया में डाल'। इसमें 'नेकी कर'' तो समझ में आ गई, मगर 'दरिया में डाल', मेरी बाल सुलभ बुद्धि अनुभूत नहीं कर सकी थी। लंबे समय तक यह कहावत मेरे मन-मस्तिष्क में उमड़ती-घुमड़ती रही और आखिरकार अब समझ में आया। लेकिन लगता है कि आज भी बहुतों को यह कहावत समझ में नहीं आई है और वे आत्मप्रवंचना में उलझे हुए हैं। भारी राशि खर्च कर किए गए इस आयोजन के पैसों से नए कपड़े खरीदे और बांटे जा सकते थे। लेकिन किसी दिखावे के आयोजन से लोगों का भला चाहे जिस सीमा में हो, लेकिन सच यह है कि बिचौलिए अफसर और नेताओं को मलाई खाने को मिल जाती है। आखिर क्या वजह है कि भव्यता और शान के बीच खड़ी 'नेकी की दीवार' के पास जाने वाले गरीब लोग हिचकने लगते हैं, वहां रखी गई चीजें लेने में हीनभाव महसूस करने लगते हैं। जरूरत इस बात की है कि 'नेकी की दीवार' के आयोजन को उसकी मूल संकल्पना के साथ उतारा जाए! लोग मदद करना चाहते हैं तो उस मदद में एक गरिमा हो, उसके प्रति सम्मान हो, जिसकी मदद की जा रही है। जिन सामानों का उपयोग हमारे पास नहीं है, वे किसी और के उपयोग में आएं, तो अच्छा है। लेकिन अगर हम उस मदद में गरिमा को साथ में रखें तो 'नेकी की दीवार' अपनी वास्तविक भावना के साथ जमीन पर उतर सकेगी।

महंगी शिक्षा

अगर हम औपचारिक शिक्षा के इतिहास में जाएं तो सर्वप्रथम चार्टर एक्ट, 1813 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के शिक्षा के लिए एक लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। लेकिन इस एक लाख रुपए को किस प्रकार से खर्च करना है, यह विचार करते हुए 1835 में लार्ड मैकाले ने छनन सिद्धांत के तहत शिक्षा देने का सुझाव दिया, जिसमें शिक्षा अभिजात्य लोगों को दिया जाना तय हुआ। फिर बाद में यह फैसला लिया गया कि शिक्षा आम जन तक सीधी पहुंचे, इसलिए 1854 में वुड डिस्पैच आयोग बनाया गया, जिसे शिक्षा के इतिहास में मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

भारत की आजादी के बाद बहुत सारे आयोग बने, जिसमें जन शिक्षा को नया रूप देने के साथ ही साथ निजीकरण के दरवाजे को भी खोल दिया गया, जिसमें शिक्षा को बेचा और खरीदा जाने लगा। लेकिन अगर हम गांधीजी की शिक्षा संकल्पना की बात करें तो उसमें हमेशा अंत्योदय यानी समाज में अंतिम पायदान पर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। 1964 में कोठारी आयोग और 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनी संस्तुति में कहा कि शिक्षा का बजट जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का कम से कम छह प्रतिशत करने की सिफारिश की, लेकिन सरकारें कभी भी इसको चार प्रतिशत से आगे खर्च नहीं कर पाईं।

हमेशा शिक्षा को हाशिये पर रखा गया है। अगर आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो नई शिक्षा नीति में समग्र शिक्षा की बात कही गई है, क्योंकि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को संस्थाओं की फीस के अलावा छात्रावास, मेस की फीस और पठन-पाठन संबंधित खर्चों का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय का फीस वृद्धि न्यायोचित नहीं है। इससे समाज में रहने वाले गरीब लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, सामाजिक विविधता भी खत्म हो जाएगी। शिक्षा सिर्फ आभिजात्य वर्ग के लिए ही होगी तो शायद हम वही मैकाले के शिक्षा संकल्पना के छनन सिद्धांत में वापस लौट जाएंगे। इसलिए हमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाना चाहिए। हमारा संविधान भी शिक्षा के लिए अवसरों की समानता की बात करता है।

● *शैलेश मिश्र, बीएचयू, वाराणसी*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कब जागेंगे

संपादकीय 'लापरवाही की लपटें' (9 दिसंबर) पढ़ा। दिल्ली में एक चार मंजिला अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगने की दर्दनाक घटना में लगभग तैंतालीस लोगों की मौत और कइयों के झुलसने के समाचार ने हर किसी को दुखी कर दिया है। साथ ही यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बार-बार इस तरह के हादसों के बाद भी सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती! करोलबाग में उपहार सिनेमा और सूरत के एक कोचिंग संस्थान की आग अभी आंखों के सामने है। मुआवजा इस दर्दनाक घटना पर मरहम लगाने का विकल्प नहीं हो सकता, पर लापरवाही पर पर्दा डालने का तरीका जरूर हो सकता है। अब इस हादसे पर प्रशासन डंडा पीटेगा, घटना के बाद सतर्कता बरतने और बचाव की बातें की जाएंगी, लेकिन जैसे ही घटना की तपिश कम होती है, आम लोगों की जिंदगी को फिर उसी मोड़ पर कराहने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई भी कार्रवाई और कितना भी मुआवजा किसी मारे गए व्यक्ति के परिवार को हुई क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। हम कब जागेंगे?

● *साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर*

संवेदनहीनता की इंतहा

आज के भारत की राजनीतिक जमात प्राचीन समय में फ्रांस में उस दौर की याद दिला रही है, जब वहां पड़ी भयंकर अकाल जनता भूखों तिल-तिल कर मरने लगी, तब वहां की जनता के कुछ प्रतिनिधि उस समय की फ्रांस की तत्कालीन महारानी से इस दुखद और कारुणिक स्थिति के बारे में बताने गए। जब वे लोग महारानी के राजदरबार में पहुंचे, तब एक व्यक्ति डरते-डरते महारानी से अपने कांपते होठों से बोला कि 'महारानी साहिबा ! बाहर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, लोग रोटी न मिलने से तिल-तिल कर मर रहे हैं।'

विलासिता और ऐशो-आराम में जिंदगी जीने वाली फ्रांस की महारानी चहक कर बोली- 'लोग रोटी के लिए क्यों मर रहे हैं? वे ब्रेक 'केक'क्यों नहीं खाते! ह्य आज 2019 में भारत में सत्ता के कर्णधारों की मानसिक स्थिति क्या प्राचीनकाल के उस फ्रांस की महारानी जैसी नहीं हो गई है? देश की वित्त मंत्री कितनी आसानी से यह कह देती हैं- 'मैं इतना लहसन-प्याज नहीं खाती हूं। इसलिए घबराएं नहीं! मैं ऐसे परिवार से आई हूं, जहां प्याज का मतलब ही नहीं रखते हैं।' अब प्रश्न यह है कि भारत की वित्त मंत्री क्या देश की जनता की समस्याओं को केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित रखती हैं तो क्या उन्हें ऐसे बयान देना चाहिए था?

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

कसौटी पर एकता

नागरिकता संशोधन विधेयक जब संसद से पास होकर पूरी तरह कानून बन जाएगा, तब क्या भारत की अनेकता में एकता पर सवाल नहीं उठेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, उनकी जगह पर खुद को रख कर देखना होगा और जवाब मिल जाएगा। जो हो, इस बिल के पारित होने के बाद जब यह कानून का रूप ले लेगा, तब भारत में जो परिवर्तन होगा, उसे तो हम समझ जाएंगे, लेकिन भारत के बाहर यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, उन पर इसका क्या असर होगा, इसे भी समझना जरूरी होगा। इस बिल को अपनाने के साथ कहीं हम जिन्ना की 'टू नेशन थ्योरी' यानी 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' को तो नहीं अपना रहे?

इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि इसका परिणाम अंत में आम आदमी को ही भुगतना है। इस बिल के पास होने के बाद भविष्य में एक बहुत बड़ी आबादी की अदला-बदली की नौबत आ सकती है। किसे कहां भेजा जा सकेगा या कहां किस रूप में रखा जाएगा, ये सवाल जटिल हालात पैदा करेंगे। उम्मीद है कि यह समूचा प्रकरण देश में किसी वैसे अदृश्य विभाजन की शक्ल न ले, जिसके बाद देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच आए।

● *भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत, हरियाणा*

www.readwhere.com

खेल कार्यक्रम

पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड एकदिवसीय श्रृंखला (महिला)	12 दिसंबर
रग्बी सेवेंस	13 दिसंबर-15 दिसंबर
फिन्न गोल्ड कप	13-21 दिसंबर
विश्व स्कवाश टीम चैंपियनशिप	15-21 दिसंबर
विश्व ताइक्वांडो ग्रैंडस्लैम	18-20 दिसंबर

जन्मदिन

युवराज सिंह	12 दिसंबर
जीव मिल्खा सिंह	15 दिसंबर
बाइचुंग भूटिया	15 दिसंबर
गीता फोगाट	15 दिसंबर
नीरज चोपड़ा	24 दिसंबर

कुंद पड़ गई पाकिस्तान की पेस फैक्टरी!

संदीप भूषण

विश्लेषण

आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टैस्ट मैचों की श्रृंखला में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने टीम को लेकर मंथन जरूर शुरू कर दिया होगा। यह प्रारूप बिलकुल अगल है लेकिन 2020 टी-20 विश्व आस्ट्रेलिया में ही खेला जाना है और उस लिहाज से कंगारूओं की धरती पर पाकिस्तान का यह प्रदर्शन नए कोच और मुख्य चयनकर्ता मिस्बाह उल हक के लिए चिंता का विषय है। 90 के दौर की यह दिग्गज टीम आज बेहतर प्रतिभा की तंगी की शिकार है। कभी 'पेस आर्मी' के लिए मशहूर पाक के पास आज अनुभवी तेज गेंदबाजों को कमी है। क्रिकेट पंडितों ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है कि उसकी 'पेस फैक्टरी' अब बंद हो गई। ऐसे में टी-20 के लिए मजबूत और बेहतर टीम तैयार करना मिस्बाह के लिए कड़ी चुनौती होगी।

किसी भी टीम की काबिलियत का आंकलन उसके टैस्ट मैचों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। पाकिस्तान को लगातार छह टैस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। उसने पिछले 22 टैस्ट मैचों में से 15 गंवाए हैं। यह सिर्फ टैस्ट मैचों की बात नहीं है, एकदियवसीय और टीम-20 मैचों में भी उसे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। इसके लिए उसके बल्लेबाजों के साथ गेंदबाज भी जिम्मेदार हैं और इन सब से ज्यादा कसूरवार पाक की घरेलू क्रिकेट व्यवस्था है। कभी वकार युनिस, इमरान खान, वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों से सजी टीम के पास आज एक भी अनुभवी प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज नहीं है। आस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर में टैस्ट श्रृंखला हार इसी का नतिजा है। कोच ने शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद मुसा और नसीम शाह पर भरोसा दिखाकर उन्हें टीम में शामिल किया ताकि तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार मिले लेकिन आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने इनकी एक न चली। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये अभी अनुभवहीन हैं।

तेज गेंदबाजी आक्रमण में न अनुभव न दम : आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी आक्रमण में दम नजर नहीं आता। मोहम्मद आमीर को छोड़ दें तो अन्य गेंदबाजों के पास कुल मिलाकर भी 50 टैस्ट मैचों का अनुभव नहीं है। आमीर के नाम टैस्ट में 119 विकेट है। वहीं 61 एकदिवसीय में उन्होंने 81 विकेट चटकाए हैं। टी-20 में उन्होंने 48 मैचों में 59 विकेट अपनी झोली में डाले हैं। युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद मुसा के पास मात्र एक टैस्ट और एक टी-20 मैच खेलने का अनुभव है। इसमें उन्हें कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ। मध्यम तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन ने अब तक पांच टैस्ट खेले हैं जिसमें उन्हें इतने ही विकेट भी मिले हैं। चार टी-20 में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए हैं। एक अन्य खिलाड़ी नसीम अब्बास शाह के पास भी महज एक टैस्ट मैच का अनुभव है और इतने ही विकेट भी उन्होने अपने नाम किया है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही अनुभवहीन गेंदबाजों के साथ पाकिस्तान टीम आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टी-20 विश्व कप में चुनौती पेश करेगी।

निरंतरता भी एक बड़ी चुनौती : इसमें कोई दो-मत नहीं कि पाकिस्तान के पास नए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जमात है लेकिन वह कितने दिन खेल पाएंगे यह कह पाना काफी मुश्किल है। चोट या अन्य चिकित्सा संबंधी कारणों से तो हर टीम का खिलाड़ी बाहर होता है लेकिन पाक के ज्यादातर खिलाड़ी विवादों में फंसकर टीम से बाहर हो जाते हैं। उनके मुख्य कोच और चयनकर्ता के पास इस समस्या का हल निकालने की भी चुनौती है। हसन अली और शाहीन शाह जैसे ऊर्जावान और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निरंतर टीम में बनाकर रखना पाक के लिए टेढी खीर है। शाह ने अपने पांच टैस्ट मैचों की सात पारियों में 17 विकेट के साथ साबित किया है कि वे काफी आगे जा सकते हैं। हसन अली ने भी नौ टैस्ट मैच में 31 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है।

घरेलू प्रारूप में मैचों की कमी भी समस्या : 90 के दौर में हीरो रहे टीम की हालत अचानक ही ऐसी नहीं हो गई। 92 विश्व कप विजेता टीम जब 2019 विश्व कप में उतरी तब जो खिलाड़ी पाक टीम में शामिल थे उनके पास 796 प्रथम श्रेणी मैचों का ही अनुभव था। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 1433, श्रीलंका के 974 और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने 957 प्रथम श्रेणी मैचों में हिस्सा लिया था। एक मजबूत स्थानापन्न तैयार करने के लिए प्रथम श्रेणी मैचों से प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव दिलाना टीम मैनेजमेंट का काम होता है। पाक क्रिकेट बोर्ड इस मोर्चे पर भी नाकाम रहा है।

हसन अली

31

बल्लेबाजों को नौ टैस्ट मैच में पवेलियन भेजा है हसन अली ने

शाहीन शाह

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभव की कमी

2009 में श्रीलंकाई टीम के बस पर हमले के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट को कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय टीमों ने वहां जाने से मना कर दिया। साथ ही भारत के साथ तनवापूर्ण रिश्ते ने भी पाक क्रिकेट का काफी नुकसान कराया। आलम यह है कि 2019 विश्व कप में खेल रहे उनके खिलाड़ी ने 1402 टी-20 मैच ही अपने प्रोफाइल में दर्ज किए। वहीं भारतीय खलाड़ियों के नाम 2115, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के नाम 1729, इंग्लैंड के नाम 1708 और आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के नाम 1502 टी-20 मैच दर्ज हैं। पाक टीम में शोएब मलिक, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ही अनुभवी खिलाड़ी थे।

ओड़ीशा-एनई और गुजरात-बॉम्बे के मुक्केबाज होंगे आमने-सामने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली

बिग बाउट

बिग बाउट लीग में गुरुवार को दो मुकाबले खेले जाएंगे। ओड़ीशा वॉरियर्स को नॉर्थ ईस्ट राइनोस से और बॉम्बे बुलेट्स को गुजरात जायंट्स से भिड़ना है। मुकाबले आइजी खेल परिसर के केडी जाधव हॉल में आयोजित किए जाएंगे।

इन चारों टीमों में गुजरात जायंट्स ही एकमात्र ऐसी टीम है, जो अभी तक हारी नहीं है। ओड़ीशा वॉरियर्स की टीम पंजाब पैंथर्स और गुजरात जायंट्स से अपने मुकाबले गंवा चुकी है जबकि बंगलुरु ब्रालर्स को 6-1 से हराकर उसने लीग में अपनी स्थिति सुधार ली है। ज्यादा मुक्केबाजों की सफलता के बराबर अंक मिलने के नियम का सबसे ज्यादा फायदा ओड़ीशा वॉरियर्स को हुआ है। वहीं उसके खिलाफ उतरने वाली नॉर्थ ईस्ट राइनोस ने बंगलुरु ब्रालर्स को हराया है जबकि गुजरात जायंट्स के हाथों उसे कड़े संघर्ष में 3-4 से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बॉम्बे बुलेट्स को पंजाब पैंथर्स से पराजय हाथ लगी जबकि उसने बंगलुरु ब्रालर्स को 5-2 हराया।

ओड़ीशा और नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों का 69 किलोग्राम वर्ग का मुकाबला होगा जहां ओड़ीशा की ओर से उसके उज्बेकिस्तानी मुक्केबाज जांखोगीर राखोमोनोव उतरेंगे तो वहीं एनई की ओर से मंदीप जांगड़ा चुनौती रखेंगे। राखोमोनोव बेशक पिछले मुकाबलों में मनोज कुमार से हारे हैं लेकिन दुर्योधन सिंह नेगी और दिनेश डागर को हराने के बाद वह लय में आते दिख रहे हैं। वहीं मंदीप जांगड़ा ने दिनेश डागर और आशीष कुलहेरिया को हराकर अपनी बढ़िया फॉर्म का परिचय दिया है।

गुजरात जायंट्स और बॉम्बे बुलेट्स के बीच होने वाले मुकाबले में सबकी निगाहें 57 किलो के बैंटमवेट मुकाबले पर टिकी होंगी जहां बॉम्बे के लिए कविंदर सिंह बिष्ट और गुजरात के लिए मोहम्मद हसामुद्दीन की जगह टीम में शामिल किए गए चिराग के बीच रोचक संघर्ष देखने को मिल सकता है। चिराग इस लीग की खोज साबित हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ पिछले मुकाबले में उज्बेकिस्तानी मुक्केबाज खालाकोव को हराया है बल्कि इससे पहले वह एनई के मोहम्मद ईताश को भी शिकस्त दे चुके हैं। उन्हें बिग बाउट लीग की एक सनसनी कहा जा रहा है। वहीं कविंदर सिंह बिष्ट ने विश्व चैंपियनशिप में दो साल पहले देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले गौरव बिधूड़ी को हराकर सनसनी फैला दी थी।

जनसत्ता के पाक्षिक खेल पेज के लिए लेख भेजें
Khel.jansatta@expressindia.com

शानदार

चैंपियंस लीग ग्रुप एच मुकाबले में गेंद को कब्जे में लेने की कोशिश में चेल्सी और लिली के खिलाड़ी।

श्रेष्ठता के शिखर पर मेस्सी

सुरेश कौशिक

दिलचस्प

सर्वश्रेष्ठ - हर फुटबॉल खिलाड़ी के साथ यह शब्द नहीं जुड़ सकता। लेकिन दुनिया में आज दो फुटबॉलर ऐसे हैं जिनकी कलाकारी ऐसी गजब की है कि उसके सामने सभी नतमस्तक हैं। ये खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के लियोनल मेस्सी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बीते सप्ताह दोनों सम्मानित हुए। फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन ने जहां पेरिस में बैलोन डी ओर गोल्डन बॉल के लिए मेस्सी को चुना तो वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतालवी लीग के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने।

गोल्डन बॉल पाने की होड़ एक दशक से भी ज्यादा समय से मेस्सी और रोनाल्डो के बीच चल रही है। 2008 के बाद सिर्फ 2018 ऐसा साल था जब बैलोन डी ओर अवार्ड इन दोनों में से किसी को भी नहीं मिला। दोनों के खाते में पांच-पांच गोल्डन बॉल थी। लेकिन इस बार श्रेष्ठता का सिक्सर लगाकर मेस्सी आगे निकल गए हैं।

होड़ शुरू हुई 2008 में जब रोनाल्डो पहली बार बैलोन डी ओर गोल्डन बॉल जीतने में सफल रहे। लेकिन अगले चार साल (2009 से 2012) जादू मेस्सी का चला और उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। फिर दमदार प्रदर्शन की बारी रोनाल्डो की थी। अगले पांच में से चार साल यह सम्मान रोनाल्डो के नाम गया। रोनाल्डो 2013, 2014, 2016 और 2017 में गोल्डन बॉल के विजेता बने। जो ब्रेक 2015 में आया उसमें बाजी मेस्सी मार गए। अब चार साल बाद अर्जेंटीना के सुपर स्टार ने ग्रैंड वापसी की।

मेस्सी की रेकार्ड छठी सफलता इस बात को दर्शाती है कि उनके खेल का जादुई टच अभी बना हुआ है। बेशक राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना और क्लब एफसी बार्सीलोना में उनको कुछ मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि उनके गोलों की बदौलत टीम को विजयश्री मिली। खास तौर पर बार्सीलोना क्लब के लिए। जब टीम का प्रदर्शन गड़बड़ाता है तो शुरू होता है निराशा का दौर। ऐसे में उस दौर से निकलना चुनौती भरा होता है। पिछले साल कोपा अमेरिका के सेमी फाइनल में ब्राजील के हाथों अर्जेंटीना की हार चुभने वाली थी। फिर तीसरे स्थान के लिए चिली के साथ मुकाबले में संचालन को लेकर की गई टिप्पणी मेस्सी को भारी पड़ी। और निलंबन भुगतना पड़ा। पर इसका असर मेस्सी ने 2019 में नहीं पड़ने दिया। मैदान पर उपस्थिति का अहसास कराकर उन्होंने श्रेष्ठता साबित की।

इस बार रोनाल्डो नहीं, लिवरपूल के लिए खेलने वाले डच खिलाड़ी वर्जिल वान दिज्क उनके लिए चुनौती बने। मात्र सात अंकों से दिज्क बैलोन डी ओर गोल्डन बॉल पाने से रह गए। महाद्वीपीय वोटों में जहां लियोनेल मेस्सी को 686 वोट मिले, वहीं दिज्क को 679 वोट प्राप्त हुए। यूरोप और एशिया में वोटों के मामले में दिज्क आगे रहे लेकिन अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका मेस्सी के पक्ष में रहे। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो 476 वोट पाकर इस दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गए। खैर, दिज्क ने स्वीकारा कि मेस्सी एक महान खिलाड़ी हैं। उनकी महानता को सलाम किया जाना चाहिए। कोई तो है जो आपसे बेहतर है। फुटबॉल वैसे तो टीम गेम है पर मैच खिलाड़ी विशेष के कौशल से भी जीते जाते हैं। इसके गवाह हैं मेस्सी और रोनाल्डो। यह कोई नई बात नहीं। बीते समय में पेले, माराडोना, प्लातीनी, रोनाल्डो, मार्को वान बेस्टन जैसे खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीमों के लिए मैच जिताऊ साबित हो चुके हैं। मौजूदा समय में टीम में मेस्सी और रोनाल्डो की उपस्थिति को सफलता से जोड़ा जा सकता है। इस साल बार्सीलोना मेस्सी की कप्तानी में लगातार तीसरी बार ला लीगा चैंपियन बना। कुल मिलाकर मेस्सी के नाम दस ला लीगा खिताब हो गए हैं।

टीम उनकी खूबियों को अच्छी तरह जानती है। अगर अधिकांश समय मैच में मेस्सी ऑफ कालर भी दिख रहे हों तो उनमें किसी भी क्षण अपने खेल स्तर को उठाकर मैच का नक्शा बदलने की क्षमता है। गोल बनाने की कला में वह फ्री किक का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मेस्सी के पास कलाकारी है, गेंद नियंत्रण है, गति के साथ गेंद को लेकर बढ़ना, पासों को लेना-देना और स्वार्थरहित खेल से गोल बनाना और बनवाना जैसी कलाओं से वह पूर्ण खिलाड़ी दिखते हैं।

मेस्सी ने अपने खेल स्तर को बनाए रखा है। पर उनकी टीम बार्सीलोना का स्तर गिरा है। इससे मेस्सी पर काफी बोझ आ गया है। पर इसके बावजूद मेस्सी बार्सीलोना क्लब के इतिहास के सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्लब की ओर से उप ट्रॉफियां जीती हैं। बार्सीलोना के लिए सर्वाधिक 346 मैच जीतने का रेकार्ड भी उन्हीं के नाम है। 2019 में 54 मैचों में उन्होंने 46 गोल बनाए। क्लब की ओर से बने 17 गोलों में उनकी भूमिका रही। उनकी पत्नी की सीख है - सपने लेना कभी मत छोड़ो। हमेशा खेल को बेहतर करने पर ध्यान दो और पूरा मजा लूटो।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

लियोनल मेस्सी

गोल्डन बॉल की होड़

गोल्डन बॉल पाने की होड़ एक दशक से भी ज्यादा समय से मेस्सी और रोनाल्डो के बीच चल रही है। 2008 के बाद सिर्फ 2018 ऐसा साल था जब बैलोन डी ओर अवार्ड इन दोनों में से किसी को भी नहीं मिला। दोनों के खाते में पांच-पांच गोल्डन बॉल थी। लेकिन इस बार श्रेष्ठता का सिक्सर लगाकर मेस्सी आगे निकल गए हैं।

संसद में उठा जीएसटी मुआवजे का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मद में केंद्र पर विभिन्न राज्यों के क्षतिपूर्ति बकाए का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास के मद्देनजर अविलंब बकाया राशि जारी करे। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके अलावा शून्यकाल व प्रश्नकाल भी नहीं हुआ।

संसद में नौ राज्यों के विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। इन राज्यों का क्षतिपूर्ति बकाया 70 हजार करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया है। पखवारा भर पहले पांच राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। इससे पहले पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बैठक कर इस बाबत विस्तृत ब्योरा तैयार किया था। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा समेत सभी से बातचीत और दस्तावेजों के आधार पर जनसत्ता ने अपने 22 नवंबर के अंक में इस बारे में विस्तार से खबर छापी थी। तब से राज्यों ने वित्त मंत्रालय के समक्ष दो बार यह मुद्दा उठाया है। कार्य स्तर पर कुछ नहीं होने की वजह से बुधवार को संसद में हंगामा हुआ।

लोकसभा में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और तेलंगाना के राजनीतिक दलों के सदस्य अपने हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ही शिवसेना और टीआरएस के सदस्यों ने 'वी वांट जीएसटी' और 'हमें चाहिए जीएसटी का बकाया' के नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल आगे बढ़ाया।

द्रमुक के टीआर बालू ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नमा नागेश्वर राव, शिवसेना के विनायक राउत समेत अन्य सांसदों ने अपने-अपने राज्यों के बकाए का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर, राज्यसभा में हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे टीआरएस सहित अन्य दलों का कहना था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नुकसान की भरपाई नहीं की है। इस पर विपक्षी की सदस्यों ने हंगामा और सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

शुरू में पांच राज्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, केरल और राजस्थान के वित्तमंत्रियों ने दिल्ली में मुलाकात कर इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर दबाव बनाया और अपने संयुक्त मांग पत्र में केंद्र पर कुल 41000 करोड़ रुपए के भुगतान का दावा किया। अब नौ राज्यों की दावेदारी 70 हजार करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गई है।

मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू, अधिसूचना जारी

मणिपुर चौथा राज्य है, जहां पर इनर लाइन परमिट लागू हुआ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्तखत करने के साथ इनर लाइन परमिट (आइएलपी) व्यवस्था बुधवार को मणिपुर में लागू कर दी गई। इसके दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की थी कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में पूर्वोत्तर के राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए आइएलपी को मणिपुर में लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

आइएलपी व्यवस्था वाले राज्यों में देश के दूसरे राज्यों के लोगों सहित बाहरियों को अनुमति लेनी पड़ेगी। भूमि, रोजगार के संबंध में स्थानीय लोगों को संरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है, जहां पर आइएलपी को लागू किया गया है।

बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन 1873 के अंतर्गत आइएलपी व्यवस्था लागू की गई थी। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन 1873 की धारा दो के तहत अन्य राज्यों के नागरिकों को इन तीनों राज्यों में जाने के लिए आइएलपी लेना पड़ता है। आइएलपी व्यवस्था का मुख्य मकसद मूल आबादी के हितों की रक्षा के लिए तीनों राज्यों में अन्य भारतीय नागरिकों की बसावट को रोकना है।

विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर में हर तरफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रस्तावित कानून आइएलपी व्यवस्था वाले राज्यों और संविधान की छठी अनुसूची के तहत शासित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। संविधान की छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद् और जिले बनाए गए। स्वायत्त परिषदों और जिलों को कुछ कार्यकारी और विधायी ताकतें मिली हुई हैं।

नगालैंड में दीमापुर अब आइएलपी के दायरे में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

नगालैंड सरकार ने इनर लाइन परमिट (आइएलपी) व्यवस्था को दीमापुर तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। राज्य का वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर ही केवल एक ऐसा जिला था, जो आइएलपी व्यवस्था के तहत नहीं आता था।

इस बाबत जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, 1873 की धारा 2 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों और जनता के हित में, नगालैंड के राज्यपाल को तत्काल प्रभाव से दीमापुर के पूरे जिले को इनर लाइन व्यवस्था के तहत लाने में खुशी हो रही है।' राज्य कैबिनेट ने आइएलपी को दीमापुर तक बढ़ाने के प्रस्ताव को 15 फरवरी को मंजूरी दी थी।

अधिसूचना के अनुसार 21 नवंबर, 1979 के बाद जिले में प्रवेश करने वाले सभी गैर-मूलवासियों को 9 दिसंबर से 90 दिनों के भीतर आइएलपी प्राप्त करना होगा। इसमें कहा गया है कि जो लोग 21 नवंबर, 1979 से पहले बसे हुए हैं या राज्य में आए थे और जो लगातार यहां रह रहे हैं, उन्हें आइएलपी व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा।

आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हाफिज सईद पर आरोप तय

पेज 1 का बाकी

आतंकवादी समूहों पर लगाम कसे और सईद जैसे आतंकवादियों पर कानूनी शिकंजा कसे।

पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण के आरोपों में पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में 23 प्राथमिकी दर्ज की थीं और जमात -उद-दावा प्रमुख को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ये मामले लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में अल-अंफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबाल ट्रस्ट सहित ट्रस्ट या गैरलाभ संगठनों (एनपीओ) के नाम पर बनाई गई संपत्ति/संपत्तियों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन एकत्रित करने के लिए दर्ज किए गए हैं।

इकबाल मिर्ची परिवार की 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क

पेज 1 का बाकी

बंगले और जमीन (पांच एकड़ से अधिक) शामिल हैं। संघीय जांच एजंसी ने कहा कि संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो अस्थायी आदेश जारी किए गए। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपए है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मिर्ची ने ये संपत्तियां 'अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर' अर्जित की थी। ईडी ने हाल में मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। मिर्ची की लंदन में 2013 में मौत हो गई थी।

हैदराबाद मुठभेड़ : जांच के लिए पूर्व जज की नियुक्ति पर विचार

पेज 1 का बाकी

लिए नियुक्त करने का है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस घटना की जांच करने वाले पूर्व न्यायाधीश को दिल्ली में रहकर काम करना होगा। पीठ ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश से इस घटना की जांच करने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

अदालत ने इस मुठभेड़ की विशेष जांच दल से स्वतंत्र जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिकाओं को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए संबंधित पक्षकारों के वकीलों से कहा कि वे नियुक्ति के लिए पूर्व न्यायाधीशों के नामों के बारे में सुझाव दें। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और वकील कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने मुठभेड़ के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन किया है और सारे मामले को पहले ही राज्य सीआइडी के सुपुर्द कर दिया है।

संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने के लिए शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने दायर की है। जबकि दूसरी याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। मणि और यादव की जनहित याचिका में दावा किया गया है कथित मुठभेड़ फर्जी है और इस घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दायर की जानी चाहिए।

तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि ये आरोपी पुलिस के साथ हुई फायरिंग में मारे गए। यह घटना सवेरे करीब साढ़े छह बजे हुई जब जांच की प्रक्रिया के दौरान उन्हें वारदात की पुनर्रचना के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था। इन चारों आरोपियों को हैदराबाद के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर गोली मारी गई थी। जहां 27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का जला हुआ शव मिला था।

मणि और यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि कोई भी निर्दोष महिला से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में संलिप्त आरोपियों का समर्थन नहीं करेगा लेकिन जांच एजंसी और पुलिस आयुक्त जैसे उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा इन आरोपियों को अदालत से सजा मिले बगैर ही कानून अपने हाथ में लेकर मुठभेड़ में मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से इस मुठभेड़ की जांच कराने का अनुरोध किया है

नागरिकता बिल को संसद की मंजूरी

पेज 1 का बाकी

मांगा था। सभापति वेंकैया नायडू ने इस विधेयक पर मतदान कराया। राज्यसभा में हुई लंबी बहस के बाद गृह मंत्री ने विपक्ष के हमलों का जवाब भी दिया। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है। विपक्ष के सदस्यों ने इस कानून पर मतदान की मांग की थी। विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भी भेजने की मांग की थी। प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को मतविभाजन के बाद 99 के मुकाबले 124 मतों से खारिज किया गया। एक सांसद को सभापति ने बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने की अनुमति दी थी। इसलिए मसविदे को प्रवर समिति को भेजने की मंजूरी नहीं दी गई। विधेयक के लिए विभिन्न सदस्यों से 14 संशोधन आए थे।

अमित शाह ने बताया कि उत्पीड़न के शिकार मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए मौजूदा कानूनों में प्रावधान हैं। अब तक 566 मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नागरिकता के लिए मुसलिमों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि विधेयक तीन देशों में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका से आए तमिलों की समस्याओं के हल के लिए विगत में कानून बनाए गए, अब तीन अन्य देशों से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर पर उन्होंने जवाब दिया कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन सबसे बड़ी गलती थी। इससे पैदा हुए मुद्दों का, बाद की सरकारों ने हल नहीं किया। इसलिए देश के विभाजन के कारण इस विधेयक की जरूरत पड़ी।

अमित शाह ने जवाब में शिवसेना के विरोध पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नागरिकता विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वे अब इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक नागरिकता प्रदान करने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं।

गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह प्रस्तावित कानून न्यायालय में सही पाया जाएगा क्योंकि इसे संविधान द्वारा प्रदत अधिकारों के तहत संसद ने पास किया है। विधेयक पर चर्चा में कई विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताया था और आशंका जाहिर की थी कि यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं पाएगा।

शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक लाखों शरणार्थियों को यातनापूर्ण नरक जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है जो लोग हमारे देश में आए, उन्हें नागरिकता मिलेगी। शाह ने दावा किया कि सीएबी बंगाल सहित पूरे देश में लागू होगा। अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव वाला नहीं है। तीन देशों के अंदर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है जो घुसपैठिए नहीं, शरणार्थी हैं। इसी प्रकार असम की चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असम समझौते के उपबंध छह का अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि असम में पंद्रह साल कांग्रेस सरकार रही, वहां के प्रतिनिधि देश के दस साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए समिति गठित की है। कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के बयान कई बार घुल-मिल जाते हैं। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया, वैसे ही बयान आज इस सदन में दिए गए। उन्होंने कहा कि हवाई हमले और अनुच्छेद 370 के बारे में कांग्रेस के बयान पाकिस्तान के बयान की तरह ही हैं।

पुनर्विचार याचिकाओं पर आज विचार करेगी शीर्ष अदालत

पेज 1 का बाकी

न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इन पुनर्विचार याचिकाओं पर चैंबर में विचार करेगी। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं। फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई चूंकि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके स्थान पर संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शामिल किया गया है।

अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्यसूची के अनुसार संविधान पीठ चैंबर में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करेगी। इनमें से नौ याचिकाएं तो इस मामले के नौ पक्षकारों की हैं। जबकि शेष पुनर्विचार याचिकाएं तीसरे पक्ष ने दायर की हैं। इस मामले में सबसे पहले दो दिसंबर को पहली पुनर्विचार याचिका मूल वादी एम सिद्दिक के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद रशिदी ने दायर की थी। इसके बाद छह दिसंबर को मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर कीं। इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त है।

इसके बाद नौ दिसंबर को दो पुनर्विचार याचिकाएं और दायर की गई थीं। इनमें से एक याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा की थी। जबकि दूसरी याचिका 40 से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से दायर की। संयुक्त याचिका दायर करने वालों में इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायक, मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर और जॉन दयाल शामिल हैं। हिंदू महासभा ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करके मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को आबंटित करने के निर्देश पर सवाल उठाए हैं। महासभा ने फैसले से इस अंश को हटाने का अनुरोध किया है जिसमें विवादित ढांचे को मस्जिद घोषित किया गया है। विदित हो कि 14 मार्च, 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ मूल मुकदमे के पक्षकारों को ही मामले में अपनी दलीलें पेश करने की इजाजत होगी। पीठ ने इस मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

असम और त्रिपुरा में उग्र प्रदर्शन, सेना उतारी गई

पेज 1 का बाकी

यात्रा से पहले पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। दोनों नेता इस यात्रा के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर में मारे गए जापानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। गुवाहाटी में आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दोनों प्रधानमंत्री विष्णुपुर जिले के मैबम लोटपा चिंग में भारत शांति स्मारक का दौरा करेंगे।

पूर्वोत्तर में अप्रिय स्थिति के मद्देनजर जगह-जगह सेना को तैयार रहने के आदेश जारी किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, सेना की एक-एक टुकड़ी को त्रिपुरा के कंचनपुर और मनु में तैनात किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में एक अन्य टुकड़ी उतारी गई। बोंगाईगांव समेत कई अन्य इलाकों में सेना को तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में तैनाती के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में तैनात किए गए सीआरपीएफ के जवानों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इन जवानों को असम भेजा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को असम भेजा जा रहा है। इनमें से पांच कंपनियां पहुंच गई हैं। इनके अलावा मणिपुर के लिए रवाना की गई सात अन्य कंपनियों को असम जाने का निर्देश जारी किया गया है।

जगह-जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों की खबरें हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। गुवाहाटी में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की ओर बढ़ते देखे जाने के बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हिंसक झड़पों के दौरान छात्रों ने जीएस रोड पर अवरोधक को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए।

असम के तिनसुकिया संभाग में कई संगठनों द्वारा रेल रोको अभियान के मद्देनजर भारतीय रेल ने कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। रेलवे ने इस वजह से 12 और 13 दिसंबर को 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं 10 ट्रेनों के परिचालन को आंशिक रूप से रोक दिया गया है। तनसुकिया से अधिकारियों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार जिले में सेना तैनात की गई है और वे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इससे पहले एक रक्षा प्रवक्ता ने शिलांग में कहा था कि त्रिपुरा में सेना की दो टुकड़ियां तैनात की गई है।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प से अव्यवस्था का आलम है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जैसे स्थानों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। जोरहाट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, बोंगाईगांव, नगांव, सोणितपुर और कई अन्य जिलों में सुबह लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। सड़कों पर टायर जलाए गए हैं। वाहनों और ट्रेन की आवाजाही रोकने के लिए सड़कों और पटरियों पर लकड़ियों के कुंदे रख दिए गए हैं। डिब्रूगढ़ में चौलखोवा में रेलवे पटरियों और सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जिले के मोरन में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और रबड़ की गोलियां चलाई गईं।

चल रहे हंगामे के मद्देनजर गुवाहाटी विश्वविद्यालय, कॉटन विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में बुधवार को होने वाली परीक्षाएं टाल दी गईं। कॉटन विश्वविद्यालय के छात्र सोमवार रात से ही राज्य की राजधानी में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं।

भारत में वृद्धि दर का अनुमान अब 5.1 फीसद

पेज 1 का बाकी

ने सितंबर में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 के लिए 6.5 फीसद और 2020-21 में 7.2 फीसद रहने का अनुमान जताया था। उसने कहा कि अनुकूल नीतियों के कारण आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में मजबूत होकर 6.5 फीसद पर पहुंच जाने का अनुमान है।

एडीबी ने एशियाई विकास परिदृश्य 2019 के एक अनुपूरक में कहा कि एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के 2018 में डूब जाने से वित्तीय क्षेत्र में जोखिम के उभार और ऋण उपलब्धता की तंगी के कारण दक्षिण एशिया में भारत की वृद्धि दर 2019-20 में कम होकर 5.1 फीसद पर आ जाने का अनुमान है। उसने कहा कि इसके साथ ही खराब फसल से ग्रामीण क्षेत्र की बदहाल स्थिति और रोजगार की धीमी वृद्धि दर ने उपभोग को प्रभावित किया है। अनुकूल नीतियों के कारण वृद्धि दर के 2020-21 में बढ़कर 6.5 फीसद पर पहुंच जाने का अनुमान है।

एडीबी ने सितंबर में भी वृद्धि दर का अनुमान 2019-20 के लिए सात फीसद से घटाकर 6.5 फीसद कर दिया था और 2020-21 के लिए 7.2 फीसद रहने का अनुमान जताया था। एडीबी ने दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2019-20 के लिए 6.2 फीसद से घटाकर 5.1 फीसद और 2020-21 के लिए 6.7 फीसद से घटाकर 6.1 फीसद कर दिया है। उसने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और वैश्विक आर्थिक नरमी के कारण चीन की आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 2019-20 में 6.1 फीसद और 2020-21 में 5.8 फीसद पर आ सकती है। एडीबी ने पहले इनके क्रम से 6.2 फीसद और छह फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया था

नागरिकता विधेयक पर विपक्ष बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा : मोदी

पेज 1 का बाकी

से भागने पर मजबूर हुए लोग लंबे समय से अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे और प्रस्तावित कानून के अमल में आने पर उन्हें स्थायी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि विधेयक को लेकर भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है और वे सब इसे उजागर करें। उन्होंने कहा कि संसद के बाद लोगों को भी इसके बारे में तथ्य बताने की जरूरत है। उनकी टिप्पणी को नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के विरोध के संदर्भ में देखा जा रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि यह देश को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे आगामी बजट के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों की राय लें और इसके बारे में वित्त मंत्री को बताएं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री बीएस येदियुप्पा और प्रदेश नेतृत्व को बधाई भी दी। मोदी ने कहा कि कर्नाटक उपचुनाव में हमारी पार्टी ने दो सीट ऐसी जीती हैं, जिन्हें वह पहले कभी नहीं जीत पाई थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जीत के लिए हम सभी को प्रदेश की जनता का खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। उन्होंने पार्टी सांसदों से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी की जयंती अच्छे तरीके से मनाने को कहा।

बैठक में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की छह महीने की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका 'एक शानदार शुरुआत' भी सांसदों को दी गई और उनसे सरकार के कार्यों को जनता के समक्ष ले जाने को कहा गया। इसमें कहा गया है कि बड़े वादे पूरे किये, बड़ी उम्मीदों को छूआ। इसमें 13 बिन्दुओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर 'गंभीर' श्रेणी में

पेज 1 का बाकी

पहुंच गया जो 0-60 की सुरक्षित सीमा से चार गुणा ज्यादा था। पीएम 2.5 इतने सूक्ष्म कण होते हैं, जो फेफड़ों और यहां तक कि रक्तप्रवाह तक पहुंच सकते हैं। अंतिम बार पीएम 2.5 का इतना खतरनाक स्तर 16 नवंबर को दर्ज किया गया था। 0-50 श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक को 'खराब', 51-100 में 'संतोषजनक', 101-300 में 'मध्यम', 201-300 में 'खराब', 301-400 में 'बेहद खराब' और 401-500 में 'गंभीर' माना जाता है। वहीं, 500 से ऊपर के एक्यूआइ को 'अति गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शहर में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री नीचे था और अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नानावटी आयोग ने तत्कालीन मोदी सरकार को दी क्लीन चिट

पेज 1 का बाकी

आक्रोशित हो गया और आखिरकार उन्होंने मुसलिमों पर और उनकी संपत्तियों पर हिंसक हमले किए।' आयोग ने यह भी कहा कि उसे दंगों के संबंध में 'किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दल या ऐसे किसी संगठन' के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'आयोग के समक्ष आए सबूतों के आधार पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विहिप और बजरंग दल के स्थानीय सदस्यों ने अपने-अपने इलाकों में हुई घटनाओं में भाग लिया।'

आयोग ने कहा कि राज्य में गोधरा के बाद हुए दंगे पूर्व नियोजित या हिंसा फैलाने के लिए नहीं हुए थे। उसने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ इन आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उसने गोधरा के बाद हुए दंगों पर आंख मूंद ली थी।

आयोग ने तीन पूर्व आइपीएस अधिकारियों संजीव भट्ट, राहुल शर्मा और आरबी श्रीकुमार की विश्वासनीयता पर भी सवाल उठाए जिन्होंने आरोप लगाया था कि दंगों में मोदी सरकार की भूमिका थी। उसने कहा कि सबूतों को बारीकी से खंगालने के बाद यह कहना संभव नहीं है कि पुलिस की ओर से कोई लापरवाही बरती गई थी। हालांकि, यह काफी जरूरी था कि राज्य के पास अनुशासित पुलिस बल होना चाहिए था जो यह सुनिश्चित करता कि समाज का सामंजस्य व शांति भंग न हो। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में सबूतों पर विचार करते हुए हमने पाया कि पुलिस की गैर मौजूदगी व उनके पर्याप्त संख्या में न होने से भीड़ का हिंसा करने के लिए हौसला बढ़ा।' आयोग ने अमदाबाद शहर में सांप्रदायिक दंगों की कुछ घटनाओं पर कहा, 'पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य, तत्परता नहीं दिखाई जो आवश्यक था।' नानावती आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आयोग के गठन के बाद जांच या कार्रवाई रोक दी गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में मीडिया संयम के साथ काम करे और अगर वह अपनी हदें पार करती दिखे तो उसके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा कि मीडिया को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह घटनाओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण खबरें छापने और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने में शामिल न हो। आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर 2009 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। आयोग ने 18 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी।

भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में गुजरात हाई कोर्ट में कहा था कि वह अगले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। वह पूर्व आइपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जनहित याचिका पर जवाब दे रही थी जिसमें राज्य सरकार को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। राज्य के पूर्व डीजीपी श्रीकुमार ने नवंबर 2015 में मुख्यमंत्री पटेल को आवेदन देकर पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने नानावती आयोग के समक्ष हलफनामे दाखिल किए थे और गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान राज्य सरकार की 'निष्क्रियता' पर सवाल उठाए थे।

फरवरी 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधरा ट्रेन में आग लगाने की घटना और उसके बाद राज्य में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग की घोषणा की थी। बाद में सरकार ने आयोग को पुनर्गठित किया था जिसमें उसके अध्यक्ष के तौर पर न्यायाधीश नानावती और गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केजी शाह सदस्य थे। न्यायाधीश शाह के निधन के बाद न्यायाधीश मेहता आयोग के सदस्य बने

नई दिल्ली

www.readwhere.com

चिन्मयानंद प्रकरण : पीड़िता जेल से रिहा

शाहजहांपुर 11 दिसंबर (भाषा)।

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की कथित आरोपी पीड़िता को हाई कोर्ट इलाहाबाद से जमानत मंजूर होने के बाद बुधवार को जिला जेल से रिहा कर दिया गया।

जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि चिन्मयानंद से पांच करोड रुपए की रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर होने के बाद पीड़िता की रिहाई का आदेश जेल पहुंचा। इसके बाद पीड़िता को उसके पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। रंगदारी मांगने की आरोपी कानून की छात्रा के अधिवक्ता सरदार कलविंदर सिंह ने बताया कि पीड़िता को 25 सितंबर को एसआइटी ने उसके रंग महिला स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता की जमानत चार दिसंबर को मंजूर कर ली थी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद जमानत संबंधी आदेश यहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमबीर की अदालत में दाखिल किया गया। इसके बाद एक-एक लाख के दो जमानती के प्रपत्र दाखिल किए गए जिनका सत्यापन आज होकर न्यायालय पहुंचा तो अदालत ने पीड़िता को रिहा करने का आदेश जेल भेजा। स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में पीड़िता के अलावा उसके साथी संजय, विक्रम और सचिन भी बंद है जिनमें से विक्रम की जमानत भी कोर्ट से मंजूर हो गई है परंतु उसे अभी रिहा नहीं किया गया है। स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता को विशेष जांच दल (एसआइटी) ने आरोपी बनाते हुए उसे 25 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला : शिवसेना

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना के राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी विवादित नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर उच्च सदन में हुए मतदान के दौरान अनुपस्थित रही क्योंकि सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। देसाई ने कहा कि शिवसेना ने विधेयक पर मतदान से पहले राज्यसभा से बर्हिगमन किया।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना निविदा सूचना सं0 ETC/MU/T-197/2019-20 एवं ETC/MU/T-203/2019-20 के सम्बन्ध में सूचित करना है पर्याप्त निविदा उद्धरण (बिड) प्राप्त न होने के फलस्वरूप उक्त निविदा को दिनांक 26.12.2019 तक विस्तारित किया जाता है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/ डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक/No. 2511/वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर (MZN)/दिनांक/DATED 11.12.2019

श्रीराम हाउसिंग फाइनांस लि.
पंजी कार्यालयः आफिस नं. 123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600001
प्रधान कार्यालयः 3 लेवल, वॉकृतहार्ड्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051, टेलीः 022 42410400, 02246603100, वेबसाईटः shriramhousing.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत श्रीराम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (एसएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना ऋणधारकों जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को जारी कर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 10 दिस. 2019 को अधोहस्ताक्षरी में उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिककब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण
श्री अशोक पाण्डेय, पुत्र श्री मुंशी पाण्डेय एवं श्रीमती ममता देवी, पत्नी श्री अशोक पाण्डेय, सभी का पताः मकान सं. एसएल-544 सी, शताब्दी नगर, अब्दुल्लापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001	उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ 5.9.2019 को ऋण खाता सं. SHLFMERT0000198 में रु. 818685/- (रुपये आठ लाख अठारह हजार छः सौ पच्चासी मात्र) मांग सूचना तिथिः 12.9.2019 सांकेतिक कब्जा तिथिः 10.12.2019	सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. ई-271, सेक्टर-4 सी, पॉकेट ई, शताब्दी नगर, आवासीय योजना मेरठ सिटी मेरठ में स्थित, माप 50 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः 5 मी./मकान सं. 314, दक्षिणः 5 मी./रास्ता 7.50 मी. चौड़ा, पूर्वः 10 मी./मकान सं. 270, पश्चिमः 10 मी./मकान सं. 272

एतद्द्वारा आम जनता को सतर्क करने के लिए सूचित किया जाता है कि ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति एसएचएफएल के कानूनी सांकेतिक कब्जे में है तथा ऋणधारक अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति इस सूचना की प्राप्ति के बाद एसएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप में व्यवसाय अथवा स्वत्व त्याग नहीं करेंगे।

स्थानः मेरठ (उत्तर प्रदेश) **हस्ता./-**
तिथिः 12.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
श्रीराम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank
इंड रिटेल प्रोसेसिंग सेन्टर - गाजियाबाद
डी-37/2, सेक-50, नोएडा-201301
फोनः 0120 2502364

परिशिष्ट IV (नियम 8(1))
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.12.2018 जारी कर मै. बूनहाउस कीपिंग सर्विसेस, एफ-159/160, भूतल, गली नं. 5, पाण्डव नगर, दिल्ली-110091 (ऋणधारक) तथा श्री बलबीर सिंह तोमर पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी केएच-192, शिवपुरी, सेक्टर-9, विजय नगर, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.) (पार्टनर एवं गारन्टर) तथा श्रीमती राजवती, पत्नी श्री बलबीर सिंह तोमर निवासीः केएच 192, शिवपुरी, सेक्टर-9, विजय नगर, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.) (पार्टनर गारन्टर एवं मार्टगैजर) तथा श्री श्री कृष्णा निवासी 1053/52, शिवपुरी, त्यागी मार्केट, सेक्टर-9, विजय नगर, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.) जिनका हमारी बैंक में खाता है, को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1612940/- (रुपये सोलह लाख बारह हजार नौ सौ चालिस मात्र) तथा 21.12.2018 से भुगतान की तिथि तक उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 9 दिस. 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.11.2019 को रु. 1506864/- (रुपये पन्द्रह लाख छः हजार आठ सौ चौंसठ मात्र) के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत तथा अन्य चार्जेज के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा। हम आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा नियमों) के प्रति आकर्षित करते हैं जिसमें प्रतिभूतियों के विमोचन के आपके अधिकारों का उल्लेख है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 192 मिन, ग्राम डुण्डा हेड़ा, वर्तमान म्यूनिसिपल नं. 1011, मोहल्ला- शिवपुरी कॉलोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.) में आवासीय सम्पत्ति माप 100 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः
पूर्वः 18 फीट रास्ता — उत्तरः सुभाष त्यागी का प्लॉट
पश्चिमः सुभाष त्यागी का प्लॉट — दक्षिणः विक्रेता का प्लॉट

तिथिः 9.12.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नोएडा — **इंडियन बैंक, आईआरपीसी, नोएडा**

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 7781826 (रवि पाल उदार)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की रवि पाल उदार, श्री धरम पाल उदार, एच नं. 510, मास हाउसिंग सोसायटी, प्लॉट नं. 24, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, रचना उदार, एच नं. 510, मास हाउसिंग सोसायटी, प्लॉट नं. 24, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, मै. जनक मेडिकोज, पार्टनर रवि पाल उदार एवं रचना उदार, बी-9 (बेस्मेन्ट), शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से 18 फरवरी, 2019 को रु. 2,68,23,040.40 (रुपए दो करोड़ अड़सठ लाख तेईस हजार चालिस एवं पैसे चालिस मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर 27 दिसम्बर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 18 फरवरी, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 2,68,23,040.40 (रुपए दो करोड़ अड़सठ लाख तेईस हजार चालिस एवं पैसे चालिस मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 27 दिसम्बर, 2019 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 26 दिसम्बर, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य रु.	धरोहर राशि (रु.)
ग्राम मलाड उत्तर, तालुका बोरिवली, मुम्बई उप शहरी जिला के सीएसटी नं. 596 (विशेष रूप से विवरण बिक्री प्रलेख तिथि 20 सित. 2017 में दिया गया है, में अवस्थित, पड़ी एवं विद्यमान शॉप नं. 01, भूतल, द मलाड जागृति को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., साईनाथ रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400706, माप 483 वर्ग फीट (निर्मित) पूर्वः मच्छी मार्केट पश्चिमः साई नाथ रोड उत्तरः शॉप लेन दक्षिणः आंतरिक सड़क	भौतिक	रु. 24300000/- (दो करोड़ तैंलालिस लाख मात्र)	रु. 24,30,000/- (रुपए चौबीस लाख तीस हजार)

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 27 दिसम्बर, 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposal-hub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ **"टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि."** के पक्ष में **देय मुम्बई में भुगतान योग्य** डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 16 **दिसम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से** 5.00 **बजे सायं** तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा उस समय तक जमा की गई सभी राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, नामः क्लाइन्ट सर्विस डेलीवरी (सीएसडी) हमारे बिक्री पार्टनर से ई-मेल आईडीः csd@disposalhub.com, टेली. नं. 91 1244 233933, मोबाईल नं. 91 9810029926 से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री पवन कुमार, ई-मेल आईडीः pawan.kumar@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7045531142 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://www.tatacapital.com/tcfsl.html** में दी गई लिंक देखें।

स्थानः मुम्बई — **हस्ता./-**
तिथिः 12.12.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

SBI
विपणन एवं सप्रेषण विभाग, कॉरपोरेट केन्द्र,
स्टेट बैंक भवन, 8वां तल, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने पब्लिक रिलेशन एजेंसी के चयन हेतु 'प्रस्ताव के लिए निवेदन' (आरएफपी) जारी किया है (आरएफपी न. सीसी/एम एंड सी/2019-20/03). कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर विजिट करें. विस्तृत आरएफपी दस्तावेज के लिए **'प्रोक्योरमेंट न्यूज'** विभाग देखें. भविष्य में इस संबंध में होनेवाली घोषणाओं, यदि की जाती है, के लिए कृपया वेबसाइट देखते रहें.

हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(विपणन परिचालन)

स्थानः मुंबई
दिनांकः 12.12.2019

एलसीआरडी/डिवीजन/नई दिल्ली
द फेडरल टावर्स
ऊपरी भूतल, 2/2, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008,
फोन नं. 011-40733980, 40733978
ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

श्री कृष्ण पाल, पुत्र श्री रतन सिंह, निवासीः 100, त्रिवेणी कॉलोनी, शिव मंदिर के निकट, बख्तावरपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110036, साथ हीः द एडिशनल प्रिंसपल चीफ कंजर्वेटर कार्यालय, विकास भवन, ब्लॉक ए, दूसरा तल, आईपी इस्टेट, आईटीओ, दिल्ली

आप में 1 ने ऋणधारक के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद हमारे बैंक की हौज खास शाखा से साख सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः-

हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण

ब्रेण्ड न्यू मारुति ईईसीओ 7 सीटर कार, कलर सिल्की सिल्वर मैटैलिक, पंजीकरण सं. डीएल6सीक्यू 3382, चैसिस नं. MA3ERLF1S00524518, 8.3.2017 को परिवहन विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली, सराय काले खान, दिल्ली में पंजीकृत

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक के हौज खास शाखा में आपकी कार ऋण खाता 19807400000243 के अंतर्गत 6.11.2019 को रु. 1,56,947/- (रुपये एक लाख छप्पन हजार नौ सौ सैंतालिस मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर-प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 6.11.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 9.55% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 1,56,947/- (रुपये एक लाख छप्पन हजार नौ सौ सैंतालिस मात्र) की उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइनमेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

यह सूचना 8 नवम्बर, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

आज, दिनांक 11 सितंबर, 2019 को — **द फेडरल बैंक लि. के लिए**
नाम एवं पदनाम (प्राधिकृत अधिकारी)

इण्डियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK
गुड़गाँव शाखा-0403
यादव भवन, ओल्ड रेलवे रोड,
गुड़गाँव, हरियाणा-122001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.9.2019 जारी कर ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों श्री हरिन्दर कौशिक, श्री गगन कौशिक, श्री गौरव कौशिक एवं मै. कौशिक ट्रेडर्स, म्यूनिसिपल नं. 3503/38, (पुराना नं. 2085/11), चिराग हॉस्पीटल एवं सूरज मेमोरियल पब्लिक स्कूल के निकट, विशाल गार्डन, राजेन्द्र पार्क, गुड़गाँव, पिन-122001 (हरियाणा) (यहां के बाद "ऋणधारकों" के रूप में वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 15.8.2019 को रु. 9,72,381.19 (रुपये नौ लाख बहत्तर हजार तीन सौ इक्यासी तथा पैसे उन्नीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद की गई वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर रु. रु. 9,72,381.19 (रुपये नौ लाख बहत्तर हजार तीन सौ इक्यासी तथा पैसे उन्नीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 10,06,033.65 (रुपये दस लाख छः हजार तैंतीस एवं पैसे पैंसठ मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति विवरण

अधोलिखित में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

सुविधा का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
1. मार्टगैज	म्यूनिसिपल नं. 3503/38 (पुराना नं. 2085/11), निकट चिराग, हॉस्पीटल एवं सूरज मेमोरियल पब्लिक स्कूल, विशाल गार्डन, राजेन्द्र पार्क, गुड़गाँव, पिन-122001 (हरियाणा) में स्थित आवासीय सम्पत्ति का इक्विटैवल मार्टगैज, विस्तारः कवर्ड एरिया 121 वर्ग यार्ड्स, स्वामी का नामः श्री हरिजन्दर सिंह **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तरः सम्पत्ति सं. 3504/31, पूर्वः सम्पत्ति सं. 3504/31, दक्षिणः सी.सी. रोड, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति।

तिथिः 12.12.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः गुड़गाँव — **इंडियन ओवरसीज बैंक**

एफ 6 कैपिटल एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन
प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

तथा

एफ 6 कैपिटल एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन में है, के मामले में

आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25.11.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

GATI LIMITED

CIN: L63011TG1995PLC020121

Registered Office: Plot No. 20, Survey No. 12, Kothaguda, Kondapur, Hyderabad, Telangana - 500084; Tel. No.: 040-7120 4284; Fax No.: 040-2311 2318; Email id: investor.services@gati.com; Website: www.gati.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,17,42,615 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("OFFER SHARES"), REPRESENTING 26% OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF GATI LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM ALL THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY BY ALLCARGO LOGISTICS LIMITED ("ACQUIRER") AT A PRICE OF ₹ 75 PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") ("OFFER" OR "OPEN OFFER") IN TERMS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS")

This detailed public statement (**"DPS"**) is being issued by Inga Ventures Private Limited (**"Manager" or "Manager to the Offer"**), for and on behalf of the Allcargo Logistics Limited, the Acquirer, to the Public Shareholders of the Target Company pursuant to and in compliance with Regulations 13(4), 14(3) and 15(2) of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the public announcement (**"PA"**) submitted on December 05, 2019 with BSE Limited (**"BSE"**), National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and the Target Company at its registered office and with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) on December 05, 2019 in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms would have the meaning assigned to them hereinbelow:

"EPS" shall mean earnings per share.

"Equity Shares" shall mean fully paid-up equity shares of the Target Company of face value of ₹ 2/- each.

"Expanded Voting Share Capital" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as the 10th working day from the closure of the tendering period for the Offer. This includes (i) existing voting share capital of 10,86,12,637 Equity Shares (ii) 1,33,33,340 Equity Shares to be allotted by the Target Company to the Acquirer in terms of the SSA (as defined below), subject to the approval of the shareholders of the Target Company and other statutory/regulatory approvals and (iii) 1,41,000 employee stock options already granted, or which shall vest prior to March 12, 2020.

"Public Shareholders" shall mean all the equity shareholders of the Target Company excluding (i) Acquirer; (ii) parties to the SPA and SSA (as defined below); and (iii) any persons acting in concert or deemed to be acting in concert with the persons set out in (i) and (ii).

"SEBI Act" shall mean the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and subsequent amendments thereto.

"SPA" shall mean Share Purchase Agreement dated December 05, 2019 entered among Allcargo Logistics Limited (**"Acquirer"**), Mahendra Kumar Agarwal, TCI Finance Limited and Mahendra Investment Advisors Private Limited (**"Sellers"**) and the Target Company (**"Confirming Party"**) for purchase of up to 1,03,85,332 Equity Shares (includes 16,71,666 Equity Shares held in demat form by Mr. Mahendra Kumar Agarwal are stated to be attached pursuant to Order dated December 05, 2019 of the Additional Family Court, City Civil Court, Hyderabad as communicated by an email dated December 07, 2019 received from Ms. Neera Agarwal and up to 9,67,000 Equity Shares of the Target Company which pursuant to the order of the Hon'ble High Court at Kolkata are to be restored to TCI Finance Limited, and which would form part of Sale Shares (as defined below) if restored prior to the Completion Date as defined in SPA) at a price of ₹ 75 per Equity Share (**"SPA Shares"**), for a total consideration of up to ₹ 77,88,99,900.

"SSA" shall mean share subscription agreement dated December 05, 2019 entered into among the Acquirer, Target Company and some of the existing members of promoter and promoter group of the Target Company viz. Mahendra Kumar Agarwal, TCI Finance Limited and Mahendra Investment Advisors Private Limited prescribing the details of the Preferential Allotment approved by the board of directors of the Target Company vide board resolution dated December 05, 2019 (**"Board Resolution"**), authorizing the issuance and allotment of 1,33,33,340 Equity Shares at a price of ₹ 75 per Equity Share (**"SSA Shares"**), to the Acquirer by way of a preferential allotment (**"Preferential Allotment"**) for a total consideration of ₹ 1,00,00,00,500.

"Stock Exchanges" shall mean BSE and NSE.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER: Allcargo Logistics Limited

(i) Acquirer, is a public listed Company. It was originally incorporated under the name All Cargo Movers (India) Private Limited on August 18, 1993 as Private Company, under the Companies Act, 1956 (registration no. 11-73508). The name of the Acquirer was changed to "Allcargo Movers (India) Private Limited" on June 25, 2004 and thereafter to "Allcargo Global Logistics Private Limited" on December 08, 2005. Subsequently, on January 17, 2006 it was converted into Public Limited Company and its name was changed to "Allcargo Global Logistics Limited" and thereafter on July 29, 2011 the name was further changed to its present name i.e. "Allcargo Logistics Limited".

(ii) The Corporate Identification Number of Acquirer is L63010MH2004PLC073508, its registered office is situated at 6th Floor, Avashya House, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098 Maharashtra, India

(iii) The principal activity of the Acquirer along with its subsidiaries is providing integrated logistics solutions. It offers specialized logistics services across 4 business segments: Multimodal Transport Operations, Container Freight Station Operations, Project & Engineering Solutions and and Logistics Park.

(iv) The Acquirer is not part of any Group.

(v) The issued and the paid up capital of the Acquirer is ₹ 49,13,91,048. Shashi Kiran Shetty is the major shareholder of the Acquirer, holding 62.56% of the issue and paid up capital of the Acquirer.

(vi) The names of the promoter and promoter group of Acquirer as disclosed by it to the Stock Exchanges under Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"SEBI LODR, 2015"**), as of September 30, 2019 are as follows:

Individuals : Shashi Kiran Shetty, Arathi Shetty, Adarsh Sudhakar Hegde, and Priya Adarsh Hegde

Others : Shashi Kiran Shetty (A trustee of Shloka Shetty Trust)

(vii) There is no person acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Open Offer in terms of Regulation 2(1)(q) of the SEBI (SAST) Regulations.

(viii) The equity shares of the Acquirer are listed on BSE and NSE.

(ix) As of the date of this DPS, the Acquirer and directors and key employees of the Acquirer do not have any interest in the Target Company. However, the Acquirer has entered in to SPA and SSA with Target Company and also proposes to provide Inter Corporate Deposit to the Target Company.

(x) Further, as on the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer on the board of the Target Company.

(xi) The Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

(xii) The Key Financial Information of the Acquirer based on the audited consolidated financial statements for the financial years ended March 31, 2017, March 31, 2018, March 31, 2019 and unaudited limited reviewed consolidated financial statement for period ended September 30, 2019:

(Amount ₹ in Lakhs, except for EPS)

Particulars	Financial year ended March 31, 2017	Financial year ended March 31, 2018	Financial year ended March 31, 2019	As at and for the 6 month Period ended September 30, 2019
	Audited	Audited	Audited	Unaudited
Total Income	5,62,868	6,08,831	6,92,867	3,70,556
Profit After Tax	17,801	22,988	23,518	12,873
EPS (basic and diluted)	9.25	6.97	9.85	5.17
**Networth/ Shareholder Funds	1,81,294	1,98,155	2,01,948	2,14,402

***calculated as per the Companies Act, 2013*

*(**Source:** Certificate dated December 05, 2019 issued by Sanjiv Mehta (Membership No.: 034950, partner of Shapana Mehta & Associates LLP, Chartered Accountants (Firm Registration No.: 112350W/W-100051).*

B. INFORMATION ABOUT THE SELLERS:

(i)

Name of the Sellers	Changes in the name in the past	Nature of the Entity/ Individual	Registered Office (residential address, if individual)	Part of the Promoter Group of the Target Company	Name of the Group	Name of the Stock Exchange in India or Abroad, where listed (if applicable)	Shares or voting rights held in the Target Company before entering into an agreement with Acquirer
Mahendra Kumar Agarwal	NA	Individual	2A, 8-2-415/1, Road No.4, Banjara Hills, Hyderabad - 500034	Yes	NA	NA	#Up to 22,07,703
TCI Finance Limited	On November 20, 1992 name was changed from Bhoruka Finance Limited to TCI Finance Limited	Public Limited Company. Listed on BSE and NSE	Plot No.20, Survey No. 12, 4th Floor Kothaguda, Kondapur, Hyderabad, Telangana-500081	Yes	NIL	BSE and NSE	*Upto 51,49,635
Mahendra Investment Advisors Private Limited	Nil	Private Limited Company	1-7-293, M G Road, Secunderabad -500003	Yes	NIL	NA	Up to 30,27,994

 # wherefrom 16,71,666 Equity Shares held in demat form by Mr. Mahendra Kumar Agarwal are stated to be attached pursuant to Order dated December 05, 2019 of the Additional Family Court, City Civil Court, Hyderabad as communicated by an email dated December 07, 2019 received from Ms. Neera Agarwal.

** includes shares up to 9,67,000 Equity Shares of the Target Company which pursuant to the order of the Hon'ble High Court at Kolkata are to be restored to TCI Finance Limited, and which would form a part of the Sale Shares if restored prior to the Completion Date as defined in SPA*

(ii) The Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act or any other regulation made under the SEBI Act.

C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY: GATI LIMITED

(i) The Target Company is presently known as Gati Limited. There has been no change in the name of the Target Company in the last three years. Below are the details of change of name of the Target Company since its incorporation:

Sr. No	Name change of the Target Company	Date of Incorporation/ Change of Name	Registrar of Companies
1.	Gati Corporation Limited	April 25, 1995	Registrar of Companies, Andhra Pradesh
2.	Gati Limited	October 24, 2000	Registrar of Companies, Andhra Pradesh

(ii) The registered office of the Target Company is situated at Plot No. 20, Survey No. 12, Kothaguda, Kondapur Hyderabad, Telangana 500084, India. The Corporate Identification Number of the Target Company is L63011TG1995PLC020121.

(iii) The Target Company is primarily engaged, directly or indirectly through its subsidiaries, in the business of express distribution (surface, air and rail parcel), supply chain management solutions, value-added transportation solutions, e-commerce logistics, cold chain logistics, freight forwarding segments, operation of fuel stations, domestic and international trading, and logistics parks.

(iv) The Equity Shares of the Target Company are presently listed on BSE and NSE. The ISIN of Equity Share of the Target Company is INE152B01027. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on both the exchanges within the meaning of explanation provided in Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

(v) The Key Financial Information of the Target Company basedonthe audited consolidated financial statements for the financial year ended March 31, 2017, March 31, 2018and March 31, 2019 and unaudited limited reviewed consolidated financial statement for period ended September 30, 2019are as follows:

(Amount in ₹ Lakhs except EPS)

Particulars	Financial year ended March 31, 2017 (Audited)	Financial year ended March 31, 2018 (Audited)	Financial year ended March 31, 2019 (Audited)	Period ended September 30, 2019 (Unaudited Limited reviewed)
Total Income	1,70,138	1,81,432	1,87,915	90,180
Profit/(Loss) after Tax	1,716	3,910	2,303	(852)
Earnings per Equity Share (Basic)	1.22	3.33	1.69	#(0.95)
Earnings per Equity Share (Diluted)	0.91	3.33	1.69	#(0.95)
Net worth*	23,671	33,384	33,212	31,104

*(**Source:** Certificate dated December 05, 2019 issued by Anurag Singhi (Membership No.: 066274, partner of Singhi & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No.: 302049E).*

** Not annualised*

 # calculated as per the Companies Act, 2013

D. DETAILS OF THE OFFER:

i. The board of directors of the Target Company, at its meeting held on December 05, 2019, subject to *inter alia* receipt of the approval from the shareholders of the Target Company and receipt of statutory/regulatory approvals, approved the preferential issue of 1,33,33,340 Equity Shares (**"Subscription Shares"**), representing 10.92% of the Expanded Voting Share Capital, to the Acquirer at a price of ₹ 75 per Equity Share, aggregating ₹ 1,00,00,00,500/- (**"Subscription Amount"**), to be paid in cash (**"Preferential Allotment" or "Preferential Issue"**). In relation to the said Preferential Issue, on December 05, 2019, the Target Company, certain members of the existing promoter and promoter group of the Target Company viz. Mahendra Kumar Agarwal, TCI Finance Limited and Mahendra Investment Advisors Private Limited and the Acquirer entered into a SSA, under which the Target Company will, subject to *inter alia* receipt of shareholders' approval, receipt of statutory/regulatory approvals and fulfilment of certain other conditions precedent (unless waived by the Acquirer) issue and allot the Subscription Shares to the Acquirer.

ii. The Acquirer and all the Sellers have also entered into SPA pursuant to which the Acquirer has, subject to fulfilment of certain conditions precedent (unless waived by the Acquirer), agreed to acquire up to 1,03,85,332 Equity Shares (includes 16,71,666 Equity Shares held in demat form by Mr. Mahendra Kumar Agarwal are stated to be attached pursuant to Order dated December 05, 2019 of the Additional Family Court, City Civil Court, Hyderabad as communicated by an email dated December 07, 2019 received from Ms. Neera Agarwal and up to 9,67,000 Equity Shares of the Target Company which pursuant to the order of the Hon'ble High Court at Kolkata are to be restored to TCI Finance Limited, and which would form part of Sale Shares if restored prior to the Completion Date as defined in SPA) (**"Sale Shares"**), representing up to 8.51% of the Expanded Voting Share Capital at a price of ₹ 75 per Equity Share, aggregating up to ₹ 77,88,99,900/-.

iii. This Open Offer is mandatory offer made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to all the Public Shareholders of the Target Company for acquisition of up to 3,17,42,615 fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 2 each representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company (**"Offer Size"**) at a price of ₹ 75 per Equity Share (**"Offer Price"**) payable in cash and subject to the terms and conditions set out in this DPS and Letter of Offer (**"LOF"**), that will be sent to all the Public Shareholders of the Target Company.

iv. As of the date of this DPS, the Expanded Voting Share Capital is as follows:

Particulars	No. of Shares	% of Expanded Voting Share Capital
Fully paid up Equity Shares	10,86,12,637	88.96
Employee Stock Options (**"ESOPs"**) vested or which will vest prior to March 12, 2020	1,41,000	0.12
Equity Shares proposed to be issued and allotted under the Preferential Issue	1,33,33,340	10.92
Expanded Voting Share Capital	**12,20,86,977**	**100.00**

As of the date of this DPS, there are no: (i) partly paid-up equity shares; and (ii) outstanding convertible instruments (warrants/fully convertible debentures/partly convertible debentures) issued by the Target Company, apart from the ESOPs.

v. If the number of Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders under the Open Offer is more than the Offer Size, the Acquirer shall accept the Equity Shares received from the Public Shareholders on a proportionate basis in consultation with the Manager.

vi. To the best of the knowledge and belief of the Acquirer, as on the date of this DPS, there are no statutory or other approvals required to implement the Offer and transactions as envisaged under the SPA and SSA other than as indicated in Section VI of this DPS. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirer shall make the necessary applications for such statutory approvals. In the event that such statutory approvals are not granted/refused for any reason outside the reasonable control of the Acquirer, the Acquirer shall have the right to withdraw this Offer in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 (Two) working days (**"Working Day" has the meaning ascribed to it under Regulation 2(1)(zf) of the SEBI (SAST) Regulations)** of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE, NSE and the Target Company at its registered office.

vii. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

viii. This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the Public Shareholders of the Target Company in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

ix. This is not a competitive offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations.

x. The completion of the acquisition under the SPA and SSA is conditional as mentioned in 'Background of the Offer' Clause (iv) and (v). In the event these conditions are not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the SPA and SSA may be rescinded, and the Offer may be withdrawn, subject to applicable law. In any case in the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer (through the Manager) shall, within 2 (Two) working days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations. The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer as fully paid-up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

xi. All the Public Shareholders, including non-resident equity shareholders (non-resident Indians (**"NRIs"**), overseas corporate bodies (**"OCBs"**) and registered foreign portfolio investors (**"FIIs"**)), must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India (**"RBI"**), or any regulatory body) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not person resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.

xii. The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes, not to deal on their own account in the Equity Shares of the Target Company during the offer period.

E. Subsequent to the completion of the Offer, the Acquirer reserves the right to streamline/ restructure the operations, assets, liabilities and/or businesses of the Target Company through arrangement/reconstruction, restructuring, merger and/or sale of assets or undertakings, at a later date. The Acquirer may also dispose of or otherwise encumber any assets or investments of the Target Company through sale, lease, reconstruction, restructuring and/or re-negotiation or termination of existing contractual/operating arrangements, for restructuring and/or rationalising the assets, investments or liabilities of the Target Company, to improve operational efficiencies and for other commercial reasons. The Acquirer intends to sell or otherwise encumber the non core business assets of the Target Company. The board of directors of the Target Company will take decisions on these matters in accordance with the requirements of the business of the Target Company and in accordance with and as permitted by applicable law. Except as disclosed in this DPS, if the Acquirer intends to alienate any material asset of the Target Company outside the ordinary course of business within a period of 2 years from completion of the Offer, the Target Company shall seek the approval of its shareholders as per proviso to Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations, to the extent applicable.

F. Upon completion of the Open Offer, assuming full acceptances, the public shareholding of the Target Company will not fall below minimum level of public shareholding as required to be maintained as per Rule 19A(1) of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 as amended and Regulation 38 of the SEBI LODR, 2015.

G. Upon completion of the Open Offer, the Seller and the members of promoter and promoter group of the Target Company may be categorized in the public category of the Target Company, in accordance with Regulation 31A of the SEBI LODR, 2015.

H. Upon completion of the Open Offer, Acquirer shall be categorized as promoter of the Target Company, in accordance with Regulation 31A(5) of the SEBI LODR, 2015.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

(i) This Open Offer is being made in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations as a result of a direct substantial acquisition of Equity Shares and voting rights and control over the Target Company by the Acquirer, pursuant to the SPA and SSA.

(ii) The board of directors of the Target Company passed a Board Resolution on December 05, 2019 authorizing a Preferential Issue of 1,33,33,340 equity shares, representing 10.92% of the Expanded Voting Share Capital of the Company, to the Acquirer, at price of ₹ 75 per Equity Share, aggregating to ₹ 1,00,00,00,500/-. The Preferential Issue is subject to *inter alia* receipt of approval from the shareholders of the Target Company and receipt of necessary statutory/regulatory approvals. In relation to the said Preferential Issue on December 05, 2019, the Acquirer, Target Company and certain members of the existing promoter and promoter group of Target Company, entered into the SSA.

Furthermore, on December 05, 2019, the Acquirer has entered into a SPA with the Sellers. Pursuant to the SPA, the Acquirer has agreed to acquire up to 1,03,85,332 SPA Shares representing up to 8.51% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company at a price of ₹ 75 per Equity Share aggregating to a purchase consideration up to ₹ 77,88,99,900/- payable in cash as below:

Sr. No.	Name of the Seller	Number of Equity Shares	% of existing fully paid-up equity share capital and voting capital	% of Expanded Voting Share Capital
1.	Mahendra Kumar Agarwal	*Up to 22,07,703	2.03	1.81
2	TCI Finance Limited	*Up to 51,49,635	4.74	4.22
3	Mahendra Investment Advisors Private Limited	Up to 30,27,994	2.79	2.48

 # wherefrom 16,71,666 Equity Shares held in demat form by Mr. Mahendra Kumar Agarwal are stated to be attached pursuant to Order dated December 05, 2019 of the Additional Family Court, City Civil Court, Hyderabad as communicated by an email dated December 07, 2019 received from Ms. Neera Agarwal.

** includes shares up to 9,67,000 Equity Shares of the Company which pursuant to the order of the Hon'ble High Court at Kolkata are to be restored to TCI Finance Limited, and which would form a part of the Sale Shares if restored prior to the Completion Date as defined in SPA.*

(iii) The details of the Equity Shares to be (i) acquired under the SPA, by the Acquirer and (ii) issued and allotted pursuant to the SSA to the Acquirer, are as follows.

Sr. No.	Nature of transaction	Number of Equity Shares	% of Expanded Voting Share Capital
1.	SPA	Up to 1,03,85,332	Up to 8.51
2	SSA	1,33,33,340	10.92
	Total	**Up to 2,37,18,672**	**Up to 19.43**

(iv) Salient features of the SPA

a. Appointment of Acquirer's directors: Immediately after the expiry of 15 working days from the date of the Detailed Public Statement and prior to completion, the Sellers shall at option of Acquirer, procure that a board meeting of the Target Company is held at which 1 (one) nominee of the Acquirer is appointed as an additional director on the Board of the Target Company in terms of Regulation 24(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

b. Further on Completion Date as per SPA, the Sellers shall procure that a board meeting of the Target Company and its relevant subsidiaries are held at which resignation of Sellers and/or their nominees on the board of the Target Company and its subsidiaries and associate companies shall be accepted and directors nominated by Acquirer should be appointed as an additional directors on board of Target Company's subsidiaries and associates as per the SEBI (SAST) Regulations.

c. Non-Compete and Non Solicitation: The Sellers are subject to certain non - compete and non-solicit restrictions as set out in the SPA. No separate consideration is payable for the same.

Contd....

www.readwhere.com

d. Tradename: The Sellers shall be entitled to continue the use of tradename 'Gati' without any consideration in relation to the Permitted Companies (as defined in SPA) for a period of 24 (twenty-four) months from the Completion Date. For this purpose, the Acquirer shall cause Gati to provide no-objection letters to or enter into license agreements with the Sellers and the Permitted Companies.

e. Conditions to Completion: The Sellers having caused the Target Company to obtain, and the Target Company having obtained, necessary consents from its lenders in respect of the share sale and purchase transaction contemplated under the SPA.

(v) Salient features of the SSA

a. The obligation of the Target Company to allot the Subscription Shares to the Acquirer shall be subject to the transaction contemplated in the SPA having been consummated, except to the extent an order of a competent court against a Promoter restraining the consummation of sale of the whole or any part of the Sale Shares contemplated under the SPA on the ground of a legal challenge to the authority of such Promoter to consummate his/its part of the sale of all or any part of the Sale Shares under the SPA (**"Restraining Order Transaction"**).

b. Obligation of the Acquirer to subscribe to the Subscription Shares shall be conditional on the fulfillment of conditions precedent as set out in the SSA (unless waived by the Acquirer), which include, among other the following:

i. Obtaining the 'in-principle' approval from BSE and NSE for the issue and allotment of the Subscription Shares to Acquirer.

ii. Obtaining shareholders' approval for the Preferential Issue.

iii. Appointment of 1 (one) nominee of Acquirer as an additional director on the board of the Target Company, at any time after the expiry of 15 (fifteen) working days from the date of the Detailed Public Statement.

iv. Receipt of all waivers, permits and and third party consents (including but not limited to consents from lenders), as may be required by the Company for the consummation of the transactions contemplated in the SSA.

c. The board of the Target Company shall allot and issue Subscription Shares to Acquirer within 15 days from the date of passing shareholders resolution.

d. In the event that on the date of Completion, as per SSA there exists a Restraining Order Transaction in respect of SPA, the board of Target Company shall approve the appointment of such number of additional directors to be nominated by the Acquirer to form a majority of the board.

(vi) The payment to the shareholders that have validly tendered in the Offer will be made in cash.

(vii) The prime objective and purpose for the Acquirer to enter into the transactions contemplated is to achieve substantial acquisition of Equity Shares and voting capital, accompanied with effective management control over the Target Company.

(viii) Target Company has a Pan India network reach in surface express and Acquirer believes that this industry is expected to grow very fast in the next few years, with GST implementation acting as a catalyst. Acquirer is not in the express industry currently and wants to enter into it to create integrated logistics services. The Acquirer proposes to enter the express supply chain industry through this acquisition. Acquirer has an experience and history of entering into varied segments of logistics business and turning them around. Acquisition of the Target Company would help the Acquirer offer intermodal integrated supply chain solutions leveraging technology and 20000+ pin code network. Therefore the Acquirer intends to extend support to continue and expand the existing business activities in same line through exercising effective management over the Target Company. However, the Acquirer does not have any definitive future plans as on the date of this DPS.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

(i) The present and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of its acquisition are as follows:

Shareholding of the Acquirer	Shareholding as on the PA date	Equity Shares acquired between the PA date and the DPS date	Post Offer shareholding (as on 10th working day after closing of tendering period)
No. of Equity Shares	Nil	Nil	Up to 5,54,61,287
% of Expanded Voting Share Capital	N.A.	N.A.	Up to 45.43%

Post Offer shareholding includes: (i) Up to 1,03,85,332 Equity Shares representing up to 8.51% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company to be acquired under the SPA, (ii) 1,33,33,340 Equity Shares representing 10.92% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company to be acquired under the SSA and (iii) 3,17,42,615 Equity Shares representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company assuming full acceptance under the Open Offer.

(ii) Apart from the above, the Acquirer does not hold any Equity Share of the Target Company.

(iii) Further, the Acquirer may acquire the Equity Shares under the SPA and appoint new directors on the board of the Target Company subject to and in compliance with provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

IV. OFFER PRICE

(i) The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE and NSE. The Equity Shares have a Scrip Code 532345 on BSE and Scrip Symbol GATI on NSE.

(ii) The trading turnover in the Equity Shares based on the trading volumes during the twelve calendar months prior to the calendar month in which the PA is made i.e. December 01, 2018 to November 30, 2019 (both days included) on BSE and NSE was as under:

Stock Exchanges	No. of Equity shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA (A)	Total number of listed Equity Shares of the Target Company as on the date of PA i.e. December 05, 2019 (B)	Trading Turnover (as percentage of total listed Equity Shares) (A/B)
BSE	2,51,79,959	10,86,12,637	23.18%
NSE	18,39,83,056	10,86,12,637	169.39%

(Source: www.bseindia.com, www.nseindia.com)

(iii) Therefore, in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, the Equity Shares are frequently traded.

(iv) The Offer Price of ₹ 75 per Equity Share is justified in terms of Regulations 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following parameters:

Sr. No.	Particulars	Price (in ₹ per Equity Share)
A	The highest negotiated price per share for any acquisition of Equity Shares under the agreements attracting the obligation to make the Public Announcement of an Open Offer (i) SPA price per Equity Share (ii) SSA price per Equity Share	 75 75
B	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 weeks immediately preceding the date of PA	Nil
C	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks immediately preceding the date of the PA	Nil
D	The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of PA as traded on the stock exchange where maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	57.30
E	Where the shares are not frequently traded, price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share.	Not Applicable

(v) In view of the parameters considered and presented in the table above in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of ₹ 75/- per Equity Share is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations.

(vi) There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.

(vii) As on date of this DPS, there is no revision in Offer Price or Offer Size. The Offer Price or Offer Size may be subject to upward revision, if any, pursuant to the SEBI (SAST) Regulations or at the discretion of the Acquirer at any time prior to 1 (one) working day before the commencement of the Tendering Period in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall make corresponding increase to the escrow amounts in accordance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations and the Acquirer shall (i) make further deposits into the Escrow Account; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office of such revision.

(viii) In the event of acquisition of the Equity Shares by the Acquirer during the Offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer shall not acquire any Equity Shares, other than the SPA Shares and SSA Shares, between three working day prior to the commencement of the Tendering Period of this Offer and until the expiry of the Tendering Period of this Offer. An upward revision to the Offer Price or to the Offer Size, if any, on account of competing offers or otherwise, may be done at any time prior to the commencement of the last 1 (one) working day before the commencement of the Tendering Period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall (i) make further deposits into the Escrow Account; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform BSE, NSE, SEBI and the Target Company at its registered office of such revision.

(ix) If the Acquirer acquires Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations 2009, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

(i) The total consideration payable by the Acquirer to acquire up to 3,17,42,615 Equity Shares from all the Public Shareholders of the Target Company at the Offer Price of ₹ 75 per Equity Share, assuming full acceptance of the Offer, would be ₹ 238,06,96,125/- (**"Maximum Consideration"**).

(ii) In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has opened an Escrow Account under the name and style of **"ALLCARGO LOGISTICS LTD - GATI LTD OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT"** with Standard Chartered Bank, at their Fort Branch, (**"Escrow Banker"**) and made therein a cash deposit of ₹ 59,52,00,000/- (Rupees Fifty Nine Crores and Fifty Two Lakhs Only)in the account in accordance with the Regulation 17(3)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, being more than 25% of the Maximum Consideration payable to the Public Shareholders under the Open Offer. The cash deposit has been confirmed vide a confirmation letter dated December 9, 2019 issued by Standard Chartered Bank. In terms of agreement dated December 5, 2019 amongst the Acquirer, Manager to the Offer and Escrow Banker (**"Escrow Agreement"**), the Manager to the Offer has been duly authorized to operate and to realize the monies lying in the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, the cash in the Escrow Account shall be increased by the Acquirer in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

(iii) The Acquirer had been sanctioned irrevocable term loans (a) up to ₹ 145,00,00,000 (Rupees One Hundred Forty Five Crore only) (**"Term Loan 1"**) from Axis Finance Limited dated October 05, 2019 (b) up to ₹ 115,00,00,000 (Rupees One Hundred and Fifteen Crore only) (**"Term Loan 2"**) from Standard Chartered Investments & Loans (India) Limited dated October 25, 2019. Acquirer has also entered into term sheet dated December 04, 2019 with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited for issuance of Senior Listed, Secured, Rated, Redeemable, Non Convertible Debentures, as sole investor and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India will act as sole arranger to issue of ₹ 195,00,00,000 (Rupees One Hundred and Ninety Five Crore only) (**"NCDs"**). The Acquirer has given an undertaking to the Manager to the Offer to the effect that The Term Loan 1, Term Loan 2, NCDs (**"Firm Financing"**) are exclusively earmarked to fulfill the obligations of the Acquirer under the Offer and to acquire the Offer Shares tendered in the Offer. The Firm Financing is higher than the Maximum Consideration.

(iv) Mr. Sanjiv Mehta (Membership No.:034950), partner of M/s. Shaparia Mehta & Associates LLP, Chartered Accountants (Firm Registration No.:112350W/W-100051), having office at 804, A wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400013; Tel. No.: +91 62295100 vide his certificate dated December 05, 2019 has certified that the Acquirer has adequate resources to meet the financial requirements of the Open Offer.

(v) Based on the aforesaid confirmations received from the Chartered Accountants and the Escrow Banker regarding credit of escrow amount, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirer to implement the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The Manager to the Offer confirms that firm arrangement for the funds and money for payment through verifiable means are in place to fulfill the Offer obligation.

(vi) In terms of Regulation 22(2) and the proviso to Regulation 22(2A) of the SEBI SAST Regulations, subject to the Acquirer depositing in the Offer Escrow Account, cash of an amount equal to the entire Maximum Consideration, the Acquirer may, after the expiry of 21 (Twenty One) working days from date of this DPS, subject to fulfillment of the SPA Conditions and SSA Conditions (Background of the Offer), complete the acquisition of Sale Shares proposed to be acquired pursuant to the SPA and on allotment of SSA Shares.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

(i) To the best of the knowledge and belief of the Acquirer, as on the date of this DPS, there are no statutory or other approval(s) required to implement the Offer, except in-principal approval from the Stock Exchanges for listing of Equity Shares of the Target Company to be issued pursuant to Preferential Issue. If however any statutory or other approval(s) become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory or other approval(s).

(ii) In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the approvals (in relation to the acquisition of the Offer Shares) specified in this DPS as set out above or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the Acquirer shall have the right to withdraw the Open Offer. In any case in the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer (through the Manager) shall, within 2 (Two) working days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

(iii) All the Public Shareholders, including non-resident equity shareholders (NRIs, OCBs and FIIs) must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI or any regulatory body) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not person resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.

(iv) The Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 (Ten) working days from the date of closure of the Tendering Period to those Public Shareholders whose share certificates and/or other documents are found valid and in order and are accepted for acquisition.

(v) Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

(vi) In case of delay in receipt of any statutory approval(s) specified in this DPS or any other becoming applicable prior to completion of the Offer, SEBI has the power to grant extension of time to the Acquirer for payment of consideration to the Public Shareholders of the Target Company who have accepted the Offer within such period, subject to the Acquirer agreeing to pay interest for the delayed period if directed by SEBI in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable to forfeiture.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

This Open Offer is being made under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations and the Acquirer will comply with provisions of SEBI (SAST) Regulations as applicable.

	Activity	Date#	Day
1	Issue of PA	December 05, 2019	Thursday
2	Publication of DPS in newspapers	December 12, 2019	Thursday
3	Last date for Filing of draft letter of offer with SEBI	December 19, 2019	Thursday
4	Last date for public announcement of a competing offer	January 03, 2020	Friday
5	Last date for receipt of comments from SEBI on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	January 10, 2020	Friday
6	Identified Date*	January 14, 2020	Tuesday
7	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders	January 21, 2020	Tuesday
8	Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	January 24, 2020	Friday
9	Date of publication of advertisement for Offer opening	January 27, 2020	Monday
10	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	January 27, 2020	Monday
11	Commencement of tendering period (**"Offer Opening Date"**)	January 28, 2020	Tuesday
12	Closure of tendering period (**"Offer Closing date"**)	February 10, 2020	Monday
13	Last date of communicating of rejection/ acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted shares	February 26, 2020	Wednesday
14	Last date for publication of Post-Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	March 04, 2020	Wednesday

**Date falling on the 10th (Tenth) working day prior to commencement of the tendering period, for the purposes of determining the eligible shareholders of the Target Company to whom the letter of offer shall be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Tendering Period.*

#The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

(i) All Public Shareholders, holding the shares in dematerialized form, registered or unregistered, including the beneficial owners of the Equity Shares held in dematerialized form, are eligible to participate in the Offer at any time during the period from Offer Opening Date and Offer Closing Date (**"Tendering Period"**) for this Open Offer. Please refer to paragraph (xi) below for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.

(ii) Persons who have acquired Equity Shares but whose name does not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e. the date falling on the 10th (Tenth) working day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. Accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

(iii) The Open Offer will be implemented by the Acquirer through a stock exchange mechanism made available by Stock Exchanges in the form of a separate window (**"Acquisition Window"**), as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, BSE notice no. 20170202-34 dated February 2, 2017 and BSE notice no. 20170210-16 dated February 10, 2017, in each case as amended from time to time.

(iv) BSE shall be the designated stock exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.

(v) The Acquirer has appointed ITI Securities Broking Limited (**"Buying Broker"**) as its broker for the Open Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Open Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name	: ITI Securities Broking Limited
Communication Address	: A/2002, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 013
Contact Person	: Kuldeep Vashist
Tel. No.	: 022 40273741/9967604127
Email ID	: kvashist@itiorg.com

(vi) All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock brokers (**"Selling Broker"**) within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.

(vii) A separate Acquisition Window will be provided by the BSE Limited to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares only. The cumulative quantity of Equity Shares tendered shall be displayed on the Stock Exchange website throughout the trading session at specific intervals by the Stock Exchanges during the Tendering Period.

(viii) The Selling Broker would be required to place an order/bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Open Offer using the acquisition window of the BSE. Before placing the bid, the concerned Public Shareholder/ Selling Broker would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of Indian Clearing Corporation Limited (**"Clearing Corporation"**), by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation.

(ix) The Letter of Offer along with the form of acceptance-cum-acknowledgement would also be available at SEBI's website, www.sebi.gov.in, and Public Shareholders can also apply by downloading such form from the said website.

(x) No indemnity is needed from unregistered Public Shareholders.

(xi) Procedure to be followed by the Public Shareholders holding Equity Shares in physical form:

- As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. April 1, 2019.
- Accordingly, the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialized.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION

(i) The Acquirer and its directors accepts full responsibility for the information contained in this DPS (other than information regarding the Sellers, the Target Company and information compiled from publicly available sources or provided by the Sellers and the Target Company, which has not been independently verified by the Acquirer or the Manager to the Offer).

(ii) The Acquirer and its directors also accept full responsibility for their obligations under the Open Offer and shall be jointly & severally responsible for the fulfillment of obligation as laid down in the SEBI (SAST) Regulations.

(iii) In this DPS, all references to "Rupees" or "₹" are references to the Indian Rupee(s).

(iv) In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.

(v) This Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

Issued on behalf of Acquirer by the MANAGER TO THE OPEN OFFER

INGA

INGA VENTURES PVT. LTD.
1229, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg,
Opp. Telli Galli, Andheri (East),
Mumbai - 400 069, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22 2681 6003;
Fax No.: +91 22 2681 6020;
Email: gatiopenoffer@ingaventures.com;
Contact Person: Kavita Shah;
SEBI Registration Number: INM000012698

Registrar to the Open offer

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22 4918 6200;
Fax No.: +91 22 4918 6195;
Email id: gati.offer@linkintime.co.in;
Contact Person: Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

Transaction Advisor

SYSTEMATIX GROUP™
Investments Re-defined

SYSTEMATIX CORPORATE SERVICES LTD.
A/603-606, The Capital, Plot C 70,
G-Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, Maharashtra, India.

On behalf of the Acquirer
Allcargo Logistics Limited

Sd/-
Authorised Signatory

Place: Mumbai
Date : December 11, 2019

PRESSMAN

www.readwhere.com

रिसैट-2बीआर1 और नौ विदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया इसरो ने

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 11 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह 'रिसैट-2बीआर1' को नौ अन्य विदेशी वाणिज्यिक उपग्रहों के साथ बुधवार को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इन उपग्रहों को ले जाने वाले पीएसएलवी) ने तेज गर्जना के साथ धुएं का गुबार छोड़ते हुए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लांच पैड से अपराह्न तीन बज कर 25 मिनट पर उड़ान भरी।

'रिसैट-2बीआर1' को प्रक्षेपण के लगभग 16 मिनट बाद और अन्य उपग्रहों को लगभग पांच मिनट बाद उनकी अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया। इसरो प्रमुख के. सिवन और अन्य वैज्ञानिकों ने सभी 10 उपग्रहों के कक्षाओं में स्थापित होने पर एक-दूसरे को बधाई दी। बाद में, मिशन नियंत्रण केंद्र से सिवन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है जो संयोग से पीएसएलवी की 50वीं उड़ान का दिन है।

उन्होंने कहा, 'इसरो ने ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया है...मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 50वें पीएसएलवी ने 'रिसैट-2बीआर1' को 576 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक बेहद सटीक तरीके से स्थापित कर दिया है।' सिवन ने कहा कि 'रिसैट-2बीआर1' एक 'जटिल' उपग्रह है, लेकिन इसका निर्माण कम समय में ही कर लिया गया। उन्होंने कार्य में शामिल टीम की सराहना की।

सिवन ने कहा कि पीएसएलवी की भार ले जाने की क्षमता 860 किलो से बढ़ कर 1.9 टन तक हो गई है। यह अब तक 52.7 टन भार ले जा चुका है जिसमें 17 फीसद ग्राहक उपग्रह थे। उन्होंने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए मिशन को बड़ी सफलता बताया। इसरो प्रमुख ने भविष्य के मिशनों को लेकर विश्वास जताया कि इसरो की टीम हमेशा की तरह 'बड़ी सफलता' हासिल करेगी।

आज 628 किलोग्राम वजनी रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह 'रिसैट-2बीआर1' के प्रक्षेपण से पहले इस साल मई में रिसैट-2बी को कक्षा में स्थापित किया गया था। पीएसएलवी-सी 48 पर सवार 'रिसैट-2बीआर1' के साथ नौ विदेशी उपग्रहों को भी कक्षा में स्थापित किया गया। इनमें से अमेरिका के छह उपग्रह और इजराइल, इटली तथा जापान का एक-एक उपग्रह शामिल है। उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक प्रबंधन के तहत किया जा रहा है।

बीस से ज्यादा हत्या, लूट व रंगदारी में नामजद बदमाश गिरफ्तार

भागलपुर, 11 दिसंबर (जनसत्ता)।

पुलिस ने बीस से ज्यादा हत्या, लूट, रंगदारी व आर्म्स एक्ट के दर्ज मामलों में नामजद शातिर बदमाश अजय मिश्रा को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि यह काफी सालों से फरार था। और बीते चार नवंबर को उर्दू बाजार इलाके में हुई धुरी यादव हत्या में साजिशकर्ताओं में एक है। यह अपनी पहचान छुपा कर वहां रह रहा था। ऐसे यह मूल रूप से भागलपुर के कबीरपुर नाथनगर का रहने वाला है।

एसएसपी ने बताया कि यह अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सालों से फिराक में था। इसके भाई गुडल मिश्रा की हत्या 90 के दशक में हुई थी। उसकी हत्या में धुरी यादव को यह हत्यारों में एक मानता है। हालांकि चिरंजीवी उर्फ धुरी की हत्या विवादित करोड़ों की जमीन पर जबरन कब्जा और पुरानी रंजिश का नतीजा एसएसपी बताते हैं। मगर कहते है कि अजय मिश्रा ने ही धुरी के दुश्मनों को गोलबंद कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वैसे पुलिस में लिखवाई एफआइआर में किसी को नामजद नहीं किया है। लेकिन एसआइटी ने बारीकी से तकनीकी जांच में मिले साक्ष्य को कड़ी दर कड़ी जोड़ा है। विशेष जांच दल का नेतृत्व सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज कर रहे हैं।

एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार शातिर से गहन पूछताछ की गई है। जेल में बंद सूरज यादव को भी पुलिस ने रिमांड पर ले जानकारी हासिल की। उर्दू बाजार के राजकुमार को दबोचा। शक के घेरे में आए आधा दर्जन लोगों से पूछताछ कर तार जोड़े। मगर एक आरोपी सीमा कुमारी अब भी फरार है। जिसके यहां इन साजिशकर्ताओं की बैठक होती थी। वह इन बदमाशों और अजय मिश्रा के बीच की कड़ी मानी जा रही है। पुलिस धुरी हत्याकांड का खुलासा करने की कोशिश का दावा कर रही है और अजय मिश्रा की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है।

आइआइटी में एमटेक की शुल्क वृद्धि का निर्णय टला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने आइआइटी में एमटेक पाठ्यक्रम का शुल्क बढ़ाने का निर्णय फिलहाल टाल दिया है। मंत्रालय ने सितंबर में आइआइटी परिषद के शुल्क वृद्धि के फैसले को लागू करने की घोषणा की थी। इस मुद्दे पर अगली बैठक में फिर से चर्चा की जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विद्यार्थियों ने शुल्क वृद्धि के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया। हालांकि, एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की कि इसे क्यों टाला गया।इसी साल सितंबर में आइआइटी परिषद की बैठक में एमटेक के शुल्क को 900 फीसद तक बढ़ाते हुए दो लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का फैसला किया गया था। उस समय मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि एमटेक पाठ्यक्रम के तंत्र में सुधार के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों को मानते हुए यह निर्णय किया गया था। समिति की सिफारिश के मुताबिक सभी आइआइटी संस्थानों में बीटेक के शुल्क की तरह एमटेक का शुल्क भी एक समान होना चाहिए।

अमरूद तोड़ने पर बच्चे को पेड़ से बांध कर परेशान करने का वीडियो वायरल

जयपुर, 11 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान के दौसा जिले में एक खेत से अमरूद तोड़ने पर खेत मालिक द्वारा एक बच्चे को पेड़ से बांध कर कथित रूप से प्रताड़ित करने का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। इस संबंध में जिले के लालसोट थाना ने संज्ञान लेते हुए खेत मालिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने भी इस संबंध में दौसा जिला प्रशासन और पुलिस से घटना की वास्तविक रिपोर्ट मांगी है।

दौसा पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने बुधवार को बताया कि एक बच्चे ने एक खेत से अमरूद तोड़ लिया था। खेत मालिक ने उसे पकड़ कर प्रताड़ित किया। मंगलवार को इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। हमने मामले की जांच की और पाया कि घटना लालसोट पुलिस थाना क्षेत्र के पंचोटा की ढाणी में घटित हुई थी। लालसोट थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने मासूम को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है।

वीडियो में खेत मालिक बालक को एक पेड़ से बांधता दिख रहा है। वहीं खेत मालिक की पत्नी और अन्य लोग बच्चे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उधर, राज्य मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस से बुधवार को घटना की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई है।

निविदा सूचना

निविदा सं. यूबीआई/प्रि/152/2019 दिनांक 10 दिसंबर, 2019

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 की ओर से "शांतिकुंज अपार्टमेंट, 204 एनएससी बोस रोड, कोलकाता-700047 में यूबीआई ऑफिसर्स क्वार्टरों के बी एवं सी ब्लॉक की बाहरी मरम्मत एवं पेन्टिंग कार्य" के लिए मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। विज्ञापन का विवरण बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.unitedbank.co.in पर उपलब्ध है। हर प्रकार से संपूर्ण निविदाएं अधिकतम 26 दिसंबर, 2019 को अपराह्न 02:00 बजे तक अवश्य पहुँच जाएँ। शुद्धि-पत्र, यदि कोई रहा तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली-पूर्व बैठक 18 दिसंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निर्धारित की गई है।

उप महाप्रबंधक (परिसर)

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) United Bank of India (A Govt. of India Undertaking)
प्रधान कार्यालय : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001
www.unitedbank.co.in

शुद्धिपत्र

यह 11 दिसम्बर को जनसत्ता में प्रकाशित "मैसर्स बिमला मारू फैशन्स प्रा.लि." हेतु निर्मित एनसीएलटी सार्वजनिक सूचना के सन्दर्भ में है, उस विज्ञापन में 18वीं पंक्ति में सुनवाई की तिथि गलत ढंग से '24.07.2020' छप गयी जिसे "24.01.2020" पढ़ा जाए।

ह./-
सतीश कुमार माथुर
बिमला मारू फैशन्स प्रा.लि.
के परिसमापक
आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
मोबाइल नं. : 8175859618

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.

शुभम्

कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

अचल सम्पत्ति(यों) की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

नियम 8(6) तथा परिशिष्ट-IV-A के प्रावधानों के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (यहां के बाद कम्पनी के रूप में विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना उनमें प्रत्येक के समक्ष कॉलम (घ) में दर्शाई गई निर्दिष्ट तिथियों को जारी कर ऋणधारकों जिनके नाम नीचे कॉलम (ग) में दर्शाये गये हैं, को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम (ङ) में दर्शाई गई बकाया राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे कॉलम (द) में दर्शाई गई तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त बकाया राशि के लिए यहां नीचे कॉलम (ध) में वर्णित कम्पनी के पास गिरवी रखी गई सम्पत्ति स्वैच्छिक समर्पण प्राप्त किया/ अधिग्रहण कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे कॉलम (ध) में वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे कॉलम (न) में वर्णित राशि के लिए शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

अब, एतद् द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति की नीचे वर्णित प्रक्रिया तथा नियमों एवं शर्तों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में बोली आमंत्रित कर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष नीचे कॉलम (च) में वर्णित तिथि, समय तथा स्थान पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगीः

क्रम सं.	आवेदन संख्या	ऋणधारक का नाम एवं पता	धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि	कब्जा में ली गई सम्पत्ति	वर्तमान बकाया राशि	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.) (आ.मू. का 10%)	नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान
क	ख	ग	घ	ङ	त	थ	द	ध	न	च
1	KHI 1503_ 036089	शबाना अजीज, सिबगतुल्लाह अजीज, म.नं. पी-94/1, तीसरी मंजिल, बाटला हाउस, दिल्ली-110025	06/11/2017	रु. 5,73,726/-	प्लॉट नं. 88, खसरा नं. 291, एक्सटेंशन प्राइम सिटी, ग्राम-वेद पुरा, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-203207	रु. 8,33,469/-	31/12/2018	रु. 8,64,000/-	रु. 86,400/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
2	KHI 1411_ 029661	शबनम नूरानी, अनीस नूरानी, प्लॉट सं. 4, खसरा 385 & 387, ग्राम शोरखा, जाहिदाबाद, जी.बी. नगर-201301	18/02/2017	रु. 6,81,777/-	खसरा नं. 385 एवं 387, ग्राम-सोहरखा जाहिदाबाद, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-203205	रु. 8,92,437/-	26/07/2019	रु. 10,08,000/-	रु. 1,00,800/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
3	KHI 1509_ 045497	कृष्ण नन्दन कुमार, संजू देवी, ग्राम कुलेसरा, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-201301	29/03/2017	रु. 16,25,693/-	खेत सं. 255 का भाग, ग्राम कुलेसरा, परगना-दादरी, तहसील एवं जिला गौतम बुद्धनगर, उ.प्र.-201301	रु. 13,87,909/-	27/07/2019	रु. 12,96,000/-	रु. 1,29,600/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
4	SHB_1212 _ 003946	श्रीमती शहाना, श्री इस्लाम, मकान नं. 48, कैला भट्टा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	05/07/2016	रु. 13,45,375/-	प्लॉट सं. 66-A एवं 67-A, खसरा नं. 140, ग्राम शाहबेरी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ.प्र.	रु. 24,98,689/-	26/10/2016	रु. 5,58,000/-	रु. 55,800/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
5	KHI_1509_ 045586	प्रवीन कुमार, किरन, म.नं. बी-1, प्रथम तल, प्लॉट सं. 14, एलआईजी, खसरा नं. 1215 मिन, गणेशपुरी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201301	19/08/2016	रु. 12,83,257/-	फ्लैट सं. बी-1, प्रथम तल, प्लॉट सं. 14, खसरा नं. 1215, मिन आवासीय कॉलोनी, गणेशपुरी ग्राम पसोंदा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ.प्र.-121001	रु. 24,06,475/-	20/08/2019	रु. 9,72,000/-	रु. 97,200/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
6	KHI_1411_02 9960	मोहम्मद जावेद अहमद, फरीदा जावेद, म.नं. 828, गली नं. 30/3, निकट इन्दिरा चौक, जाफराबाद, दिल्ली-110053	05/11/2018	रु. 11,11,064/-	प्लॉट नं. डी-72, खसरा नं. 255 एवं 256, न्यू आनन्द विहार, ग्राम-सादुल्लाबाद, परगना लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	रु. 13,96,0171 -	31/10/2018	रु. 7,88,720/-	रु. 78,872/.	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
7	DEL_1409 _ 026500	मुस्लिम खान, शाहीन परवीन, ई-201, सुधीर एन्कलेवहकीकतपुर, खुदा बख्श, निकट डायमण्ड चौक, लोनी गाजियाबाद-201102	19/08/2016	रु. 13,58,052/-	प्लॉट नं. ई-410, ब्लॉक-ई, सुधीर एन्कलेव, ग्राम-हकीकतपुर उर्फ खुदाबास, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	रु. 23,85,529/.	31/07/2018	रु. 7,30,400/-	रु. 73,040/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
8	DEL_1212 _ 003743	योगिन्दर कुमार, रमेश कुमारी, मकान नं. एम-55, एम-ब्लॉक, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008	19/08/2016	रु. 7,77,921/.	फ्लैट नं. एस.एफ.-1, प्लॉट नं. डी. 7/12, डी.एल.एफ. अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	रु. 11,43,538/-	18/07/2019	रु. 7,20,000/-	रु. 72,900/.	30-12-2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
9	DEL_1408 _ 025693	मोहम्मद अनिशू रहबाब, सोनिया, बी-11, गली नं. 1बी, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, करावल नगर, दिल्ली-110094	19/08/2016	रु. 12,37,208/-	फ्लैट सं. बी-10, प्रथम तल (छत के अधिकार रहित) प्लॉट सं. बी-83, खसरा नं. 1212 मिन, हयात एन्कलेव, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.-201102 पर निर्मित	रु. 22,24,348/-	02/03/2019	रु. 8,73,180/-	रु. 87,318/-	30-12-2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
10	DEL_1502 _ 033971	मनोज कुमार, ज्योति चौधरी, C/o राज कुमार शर्मा, पुत्र पी.सी. शर्मा, म.नं. 135, सहकारी नगर, निकट अवन्तिका, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	18/02/2017	रु. 20,63,676/-	फ्लैट सं. एसएफ-3, खसरा नं. 28, सेकण्ड बैक साइड चिरंजीव विहार, ग्राम मेहरौली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	रु. 29,80,544/-	20/09/2019	रु. 13,55,850/-	रु. 1,35,585/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
11	SHB_1506_04 1142	असलम मोहम्मद, मीना, सेकण्ड हाउस समीम हलवाई वाली गली, अशोक विहार, लोनी, निकट लाल स्कूल, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	19/09/2016	रु. 6,94,854/-	प्लॉट सं. 1/5, खसरा नं. 302, ग्राम लोनी, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उ.प्र.)-201001 पर स्थित	रु. 8,98,777/-	18/07/2019	रु. 6,58,800/-	रु. 65,880/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
12	SHB_1304 _ 006646	श्री पुष्पेन्द्र कुमार, श्रीमती पूनम, म.नं. 877, कैला भट्टा-1, थाना विजय नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	05/07/2016	रु. 12,94,689/-	सम्पत्ति सं. 1015, राइट साइड, ग्राम कैला भट्टा, गाजियाबाद-201301-उ.प्र.	रु. 20,25,552/-	26.10.2016	रु. 9,51,200/-	रु. 95,120/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
13	SHB_1401_ 016281 _	श्री संजय जैन, संविता, म.नं. 39, बपरनाप न्यू विकास नगर, गाजियाबाद-201001	19/08/2016	रु. 6,55,147/-	म.नं. 39, प्लॉट सं.-27 एवं 28, खसरा नं. 4101, न्यू विकास नगर, फेज-III, परगना लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	रु. 7,69,209/.	27-11-2019	रु. 70,68,00/-	रु. 70,680/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
14	SHB_1509_ 045764	देश राज, अनुपमा सक्करवाल, सी-10/19, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	19/08/2016	रु. 12,88,769/.	फ्लैट सं. जीएफ-2, (रियर), भूतल, प्लॉट सं. सी, 10/19, डीएलएफ अंकुर विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	रु. 18,20,953/-	18/07/2019	रु. 10,20,701/-	रु. 1,02,070/-	30-12-2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
15	0PRV1706 000005006 105	सुशील कुमार सिंह, कंचन सिंह, ई-442, सेक्टर-11, प्रताप विहार, विजय नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201009	07/06/2019	रु. 11,42,027/-	फ्लैट सं. ई-442 भूतल, ब्लॉक ई, सेक्टर-11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	रु. 12,41,703/-	30-04-2019	रु. 6,37,500/-	रु. 63,750/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
16	SHB_1305 _ 007584	अभिषेक सिंह चौहान, श्रीमती प्रियंका, आई-2/191, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085	30/03/2019	रु. 8,38,935/-	प्लॉट सं. एफ 32 एवं एफ-33, फ्लैट सं. जीएफ 1, आर.एच.एस. बैक साइड पोर्शन, खसरा नं. 1218, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	रु. 9,59,558/-	31/01/2019	रु. 7,53,600/-	रु. 75,360/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन
17	SHB_1505 _ 038545	श्रीमती शकीला, फिदा हुसैन, 25/1882, खसरा नं. 4137, ग्राम पसोंदा, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.)-201001	19/08/2016	रु. 7,20,091/-	म.नं. 25/1882, खसरा नं. 4137 मिन, ग्राम-पसोंदा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201005	रु. 13,57,921/-	03/07/2019	रु. 8,63,680/-	रु. 86,368/-	15-01-2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न, 302, तृतीय मंजिल, प्लॉट सं. 04, एलएसएल मार्केट, न्यू राजधानी एन्कलेव, विकास मार्ग, निकट प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन

टिप्पणी : कम्पनी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में उपरोक्त सम्पत्तियों पर कोई अधिभार नही है।

नीलामी बिक्री सूचना के नियम एवं शर्तें :

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तेः बोलियों के आमंत्रण द्वारा सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम एवं शर्तेः

1. क्रम सं. 1 से 17 की सम्पत्ति का निरीक्षण 20.12.2019 को 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक किया जा सकता है।
2. यह बिक्री सरफैसी अधिनियम/नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा यहाँ नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों के साथ ही साथ इच्छुक/भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों की शर्तों के अधीन होगी।
3. शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में देय स्थानीय स्तर पर भुंगतान योग्य धरोहर राशि भुगतान के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ मुहरबंद लिफाफे में बोलियाँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालया में जमा की जायेगी। धरोहर राशि भुगतान पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को अपने पहचान के प्रमाण/केवाईसी दस्तावेजों तथा निवास के प्रमाण जैसे पास्पोर्ट, आधार कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसैन्स की एक प्रति तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा।
4. क्रम सं. 1 से 7, 10 से 13 तथा 15 से 17 के लिये धरोहर राशि भुगतान के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13.01.2020 को या इससे पूर्व तथा क्रम सं. 8, 9 एवं 14 के लिए 28.12.2019 को या इससे पूर्व 10 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक है।
5. किसी भी स्थिति में सम्पत्ति को प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष दर्शाई गयी आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
6. बिक्री की तिथि को प्राप्त की गई बोलियों को खोला जायेगा तथा उच्चतम बोलीदाता की बोली, कम्पनी द्वारा स्वीकार की जायेगी बशर्ते वह आरक्षित मूल्य से ऊपर हो। फिर भी, नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित बोलीदाता को न्यूनतम रु. 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) तक अपनी बोली को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा तथा उच्चतम बोली मूल्य के प्रस्ताव की स्थिति में कम्पनी को उसे स्वीकार करने का अधिकार होगा। उसके बाद क्रेता को नीलामी की समाप्ति के तत्काल बाद धरोहर राशि भुगतान समायोजित करने के बाद 25% (पच्चीस प्रतिशत) बिक्री मूल्य अधोहस्ताक्षरी के पास जमा करना होगा तथा उस राशि की प्राप्ति पर कम्पनी बोली की स्वीकृति की पुष्टि करेगी। वह जो भी उचित एवं उपयुक्त समझें उन नियमों एवं शर्तों पर प्राधिकृत अधिकारी अपनी एकाकी इच्छा पर समय की बढ़ोतरी के अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं। यदि नीलामी की समाप्ति के तत्काल बाद उच्चतम बोलीदाता 25% बोली राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई बोली राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति का प्रस्ताव दूसरे उच्चतम बोलीदाता को किया जायेगा। क्रेता को उक्त सम्पत्ति की बिक्री के पन्द्रहवें दिन या पूर्व अथवा पार्टियों के बीच लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास शेष क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा। उपरोक्त समयावधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर कम्पनी पार्टियों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि भुगतान एवं/अन्यथा अन्य भुगतान को जब्त करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा सम्पत्ति की फिर से नीलामी की जायेगी। चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के किसी भाग के लिये अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
7. क्रेता द्वारा सभी भुगतान शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा किया जायेगा।
8. सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर कम्पनी क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा प्रदान करेगी।
9. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से अनुसूची में वर्णित उक्त अचल सम्पत्ति आग लगने अथवा चोरी होने अथवा अन्य दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति सहित सभी दृष्टियों से क्रेता की एकाकी जोखिम के अधीन होगा। क्रेता किसी भी आधार पर बिक्री की अवज्ञा करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
10. असफल बोलीदाता की धरोहर राशि के लिये जमा की गई डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर उन्हें वापस लौटा दी जायेगी।
11. सभी प्रयोजनों के लिये इन सम्पत्तियों की बिक्री पूरी तरह से "जैसा है जहां है आधार" तथा "जो कुछ भी वहां है आधार पर उपचार-रहित आधार" पर ही की जायेगी। उपरोक्त सम्पत्तियों पर कम्पनी को किसी भी प्रकार के किसी भी अधिभार की जानकारी नहीं है।
12. स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण चार्जेज, अंतरण चार्जेज तथा उपरोक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य चार्जेज से जुड़े सभी खर्चे का वहन क्रेता को ही करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकार उच्चतम प्रस्ताव अथवा किसी या सभी प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी

जम्मू, 11 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को हल्की बर्फबारी हुई है जबकि रात के तापमान में इजाफा हुआ है।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को इन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 'ऑरेंज चेतावनी' जारी की है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। अधिकारी ने कहा, ' उत्तरी कश्मीर के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग, दक्षिण में पहलगाम और मध्य कश्मीर के सोनमर्ग और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई।' उन्होंने बताया कि कश्मीर में आने वाले दिनों में यहां दृश्यता में सुधार हो सकता है। अधिकारियों ने बताया, ' मैदानी क्षेत्रों में आकाश में बादल छाए हैं और धुंध भी है। वहीं जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मध्यम बर्फबारी हो सकती है जबकि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के उंचाई वाले क्षेत्रों में 12-13 दिसंबर को भारी बर्फबारी हो सकती है।' मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रात के तापमान में सुधार हुआ है और औसत तापमान के नजदीक पहुंचा है।

> गुरुवार और शुक्रवार को इन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 'ऑरेंज चेतावनी' जारी की है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है।

लद्दाख के द्रास में भी रात के तापमान में सुधार हुआ है और अब यह शून्य से 15.3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। वहीं इससे पहले रात में तापमान शून्य से 19 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। लेह में भी रात के तापमान में सुधार हुआ है और अब यह शून्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में आए श्रीनगर में भी तापमान में सुधार हुआ और यह शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू में रात में तापमान सामान्य तापमान के नजदीक 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिन में भी तापमान में सुधार हुआ और यह मंगलवार को 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

श्रीनगर हवाईअड्डे पर विमान परिचालन पांचवें दिन भी ठप

श्रीनगर, 11 दिसंबर (भाषा)।

कश्मीर घाटी में घने कोहरे से निम्न दृश्यता के चलते श्रीनगर हवाईअड्डे पर बुधवार को लगातार पांचवें दिन उड़ान परिचालन निलंबित रहा और घाटी से सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं।

भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण (एएआइ) के अधिकारी ने कहा, 'श्रीनगर हवाईअड्डे पर लगातार पांचवें दिन बुधवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं।' उन्होंने कहा कि हवाईअड्डे पर घने कोहरे से दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई थी जो विमान परिचालन के लिए अनुकूल नहीं है।

अधिकरी ने कहा, 'हवाई अड्डे पर दृश्यता केवल 100 से 500 मीटर तक ही थी जबकि विमान परिचालन के लिए आवश्यक निम्न दृश्यता 1000-1200 मीटर होनी चाहिए। इसलिए बुधवार की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।' हवाईअड्डे पर पिछले छह दिनों से विमानों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित है।

शुक्रवार को कई उड़ानें रद्द कर दी गईं थी जबकि शनिवार से मंगलवार तक किसी उड़ान का परिचालन नहीं हुआ। पुराने शहर के निवासी वसीम नजीर ने कहा, 'कोहरे की वजह से विमान परिचालन ठप्प है जिसके कारण लगातार मुझे दो दिन हवाईअड्डे से वापस लौटना पड़ा।' नजीर ने कहा कि ठंड के मौसम में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से घाटी के लोगों के लिए हवाई यात्रा ही सबसे अच्छा विकल्प है-। लेकिन कोहरे ने हमारी सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। विमानपत्तन प्राधिकरण को इससे निपटने की व्यवस्था करनी चाहिए।

पिछले कुछ दिनों से घाटी के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे के कारण दृश्यता घट गई। इससे खास कर वाहन चालकों को बड़ी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार से कश्मीर और लद्दाख में बारिश होने के अनुमान हैं जिससे मौसम में सुधार की संभावना जताई जा रही है।

फरार कारोबारी के अखबार का अवैध दफ्तर ढहाया

इंदौर (मध्य प्रदेश), 11 दिसंबर (भाषा)।

मानव तस्करी समेत कई आपराधिक मामलों में पिछले 12 दिनों से फरार चल रहे स्थानीय कारोबारी की अवैध संपत्तियों के खिलाफ जारी मुहिम में यहां उसके सांध्य दैनिक का दफ्तर शहरी निकाय ने बुधवार को ढहा दिया। यह अखबार सूबे के कुख्यात मोहपाश (हनी ट्रैप) मामले की सनसनीखेज खबरें छापने के बाद चर्चा में चल रहा था।

इंदौर नगर निगम (आइएमसी) के आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि शहर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में जितेंद्र सोनी के सांध्य दैनिक 'संझा लोकस्वामी' का 2,500 वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्रफल पर अवैध रूप से बना दफ्तर जमींदोज कर दिया गया।

उन्होंने बताया, 'इस दफ्तर के निर्माण के लिए आइएमसी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस बारे में शिकायत मिलने पर हमने दफ्तर के मालिक के नाम सात दिन पहले नोटिस जारी किया था। लेकिन न तो इस नोटिस का जवाब दिया गया, न ही इस दफ्तर के निर्माण की अनुमति के दस्तावेज पेश किए गए।'आइएमसी आयुक्त ने बताया कि गड़बड़ियों की अलग-अलग शिकायतें सही पाए जाने पर शहर में सोनी के दो बंगले, नाइट क्लब, होटल और रेस्तरां के अन्य अवैध निर्माण भी गुजरे सात दिन में हटाए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोनी को मानव तस्करी समेत 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में कथित भूमिका के लिए ढूंढा जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित है। सोनी अखबार के मालिक और प्रधान संपादक भी हैं।

IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनपीए मैनेजमैन्ट ग्रुप-नई दिल्ली
प्रथम तल विडियोकॉन टॉवर, ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, दूरभाष: 011-66084808, 011-66084888

ई-निलामी द्वारा बिक्री की सूचना
एमजैन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज प्रा. लि. की सुरक्षित चल/अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री

आईडीबीआई बैंक लि. (आईडीबीआई) के प्राधिकृत अधिकारी (ऐआ) आईडीबीआई बैंक लि. तथा यूको बैंक की ओर से वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत **एमजैन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (उधारकर्ता)** की निम्नलिखित संपत्तियों जिनका प्रतिकात्मक कब्जा जोकि ऐआ द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2018 को लिया गया है, की बिक्री हेतु बोली/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

			आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि(रु.)
1.	प्रतिभूत संपत्ति का संक्षिप्त विवरण			
	ए) भूमिमाप क्षेत्र 577 कनाल, 6.62 मरला (72.50 एकड़) है जिसमें अलग-अलग खेसट/खतौनी/खसरा न. गांव जलबेरी, गहलान, जलबेरी, ग्रम्मी, साधूगढ़ और जलबेरा, तहसील व जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में बने भवन एवं संरचना के सभी भाग और अंश। चौहद्दी: उत्तर दिशा खुला मैदान, दक्षिण दिशा रेलवे लाइन, पूर्व दिशा साधूगढ़ रेलवे स्टेशन, पश्चिम दिशा खुला मैदान	लॉट I	79.12	7.91
	बी) प्लांट और मशीनरी(सूची के अनुसार) जोकि 'ए' में उल्लिखित हैं जमीन के साथ या स्थाई रूप से जमीन में लगी है।	लॉट II	58.92	5.89
	सी) वर्तमान संपत्ति (सूची के अनुसार) अहाते में रखी गई है जोकि 'ए' में उल्लिखित है	लॉट III	9.23	0.92

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ
बोली/निविदा दस्तावेज की उपलब्धता : 12.12.2019 से 15.01.2020
निरीक्षण की तिथि : 21.12.2019 को दोपहर 1 बजे से अपराह्न 4 बजे तक
बोली सूची को ईएमडी के साथ जमा करने की अंतिम तिथि : 15.01.2020 को दोपहर 3 बजे तक
ई-निलामी की तिथि व समय : 16.01.2020 सुबह 11 बजे से 1 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

3. 01.12.2019 तक का प्रतिभूतित ऋणदाता के बकाये देयों का विवरण निम्न प्रकार है (रूपये करोड़ में)

ऋणदाता का नाम	मूल बकाया (मियादी ऋण)	कुल बकाया* ब्याज/अन्य सहित
आई डी बी आई बैंक लिमिटेड	78.53	99.53
यूको बैंक	73.86	128.34
कुल	152.39	227.87

*01.12.2019 के अनुसार अतिरिक्त ब्याज के साथ उस पर भुगतान/वसूली होने तक संविदात्मक दरों पर 02.12.2019 से लागू होगा।

4. यह बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया (प्रा) लि. के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आईडीबीआई बैंक वेबसाईट (www.idbibank.in) पर सम्पर्क करें।
5. इच्छुक बोलीदाता अपनी निविदा ईएमडी और केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड और पता प्रमाण) के साथ जमा करें। ईएमडी प्राप्त होने के बाद बोलीदाता के वैध ईमेल आई डी (ई-निलामी के लिए जरूरी) पर यूजर आई डी/पासवर्ड ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया (प्रा) लि. द्वारा भेजा जाएगा।
6. इच्छुक बोलीदाता द्वारा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
7. सुरक्षित जमा सम्पत्ति की बिक्री जैसी है जहां है, जैसी है जो है, जो कुछ है जहाँ है के आधार पर और बिना रिकोर्स के आधार पर की जायी है। सभी सांविधिक देनदारी/कर/स्थानीय शुल्क/बिजली/पानी शुल्क आदि जो भी आज तक बकाया है बोलीदाता द्वारा पता लगाया जाएगा व सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक इस विषय पर कोई जानकारी देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
8. इच्छुक बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज जिसमें बिक्री के सभी विस्तृत नियम एवं शर्तें और निविदा प्रपत्र आदि है हमारे कार्यालय से सभी कार्यदिवस को प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं।
9. सुरक्षित लेनदार सुरक्षित सम्पत्ति में किसी भी भूमि/भूखंड/विभाजित/कमी आदि या किसी भी अनुमति आदि या कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण के पालन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
10. इच्छुक पार्टिया श्री आशिष अग्रवाल से (011-66084808 ई-मेल: ashish.aggarwal@idbi.co.in) एवं श्रीमति दिव्या जैन से (011-66084888, ई-मेल: divya.jain@idbi.co.in) सम्पर्क कर सकते है तथा ई-निलामी के लिए श्री बिनोद चौहान से 9813887931,7291981124/1125/1126, (email: support@bankeauctions.com) पर सम्पर्क कर सकते है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 6(2) और 8(6)के तहत 30 दिन की सांविधिक नोटिस
कर्जदार को नीलामी से पहले ऊपर वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज पार्श्विक/कानूनी खर्च की अदायगी करने के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें असफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी तथा बकाया राशि, ब्याज और लागत सहित वसूली जाएगी।

दिनांक : 12.12.2019 स्थान : नई दिल्ली
ह/
प्राधिकृत अधिकारी

नागरिकता विधेयक के विरोध में छात्रों ने रास्ता रोका

देवबंद, 11 दिसंबर (जनसत्ता)।

नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में दारूल उलूम समेत नगर के अन्य मदरसों में पढ़ने वाले तलबाओं (छात्रों) ने सहारनपुर- मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार पी समेत आला अधिकारियों ने मौके पर पंहुचकर मदरसा छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया। इस दौरान करीब दो घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा और राहगीर बुरी तरह परेशान रहे। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल के पास होने के विरोध में संस्था तंजीम अबनाये मदारिस के अध्यक्ष मेहंदी हसन ऐनी ने नगर के सरसटा बाजार से खानकाह चौकी तक शांति मार्च निकालने की घोषणा की थी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
[परिशिष्ट- IV ए (नियम 8(6)/9(1) का प्रावधान देखें)]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परंतुक 8 (6)/9 (1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां जिनका भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नवर्णित कर्जदारों तथा गारंटरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत क्रेडिटर) नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए संविदात्मक ब्याज और लागत आदि पर आगे ब्याज के साथ "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है" आधार पर 27-12-2019 (शुक्रवार) को बेची जाएगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है :-

S. No.	प्रत्याभूत क्रेडिटर का नाम, एवं पता / प्राधिकारी अधिकारी का विवरण	ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	ऋण देय	सुरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (10%)
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसआई वजीरपुर शाखा, मर्करी हाउस, 16 कम्युनिटी सेन्टर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 / श्री अशोक कुमार (एम) 8569816777	मै. जेएमके ज्वेल्स प्रा.लि. (द्वारा उसके निदेशकों) तथा मंजू सिंगला	मंजू सिंगला के नाम में खसरा नं. 239, खतौनी नं. 602, ब्लॉक एल, बैंक स्ट्रीट, प्यारे लाल रोड, नाईवाला करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में शामिल XVI/2645 में सम्पूर्ण तीसरे तल की व्यावसायिक सम्पत्ति, माप लगभग 3053 वर्ग फीट	31.10.2018 को रु. 7,06,65,484.64/-	रु. 4,70,00,000/- / रु. 47,00,000/-
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गाँव सेक्टर 27 शाखा जीएफ, प्रभात टावर, राव मोहर सिंह मार्केट, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-27, गुड़गाँव, पिन-122002 / श्री मनीश प्रताप (एम) 8750966499	श्रीमती सुमन देवी पत्नी अजय कुमार एवं श्री अजय कुमार, पुत्र हरवीर एवं श्री राजीव कुमार सैन	फ्लैट नं. 1200 एफएफ (कवर्ड एरिया 150 वर्ग फीट) तथा 1201 एफएफ (कवर्ड एरिया 180 वर्ग फीट) टाइप एलआईजी, ब्लॉक नं.-एफ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 31-32ए, गुड़गाँव, पिन-122001	31.10.2018 को रु. 33,66,971.00/-	रु. 35,64,000/- / रु. 3,56,000/-
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुखमेलपुर शाखा, एच.नं. 225, वीपीओ मुखमेलपुर, नई दिल्ली-110036 / श्री अशोक कुमार (एम) 8569816777	1. श्री तरुण कुमार बंसल 2. श्री राहुल कौशिक 3. श्री राज कुमार	डीडीए जनता फ्लैट नं. 567, 1ला तल, पॉकेट 11, सेक्टर ए6, नरेला, दिल्ली-110040 में स्थित आवासीय सम्पत्ति।	31.12.2018 को रु. 6,97,289.14/-	रु. 6,50,000/- / रु. 65,000/-

बैंक को ज्ञात संपत्ति के बारे में जानकारी का विवरण: कोई नहीं,
ऑनलाइन ई-नीलामी वेबसाइट: www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
संपर्क सूत्र - विनोद, मोबाइल सं. +91-9813687931, हेल्प लाइन संपर्क सं. +91-1244302020-24, ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com

ई-नीलामी की तिथि: 27.12.2019 (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे के मध्य
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 26.12.2019 (गुरुवार) या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक

विवरण के नियम और शर्तों के लिए, कृपया दिए गए लिंक का संदर्भ लें., www.unionbankofindia.co.in
इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई-नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 (6) एवं नियम 9 (1) के अंतर्गत सूचना के रूप में भी समझा जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

No. RC(G)2(1)6/2002-2465
O/O Resident Commissioner,
Government of Himachal Pradesh,
Himachal Bhawan, New Delhi-1.

Dated: New Delhi. 10th December, 2019.

"AUCTION NOTICE"

Sealed tenders are hereby invited by the Pr. Resident Commissioner, Government of Himachal Pradesh, New Delhi for the auction of vehicle No. HP07B-0160 (Gypsy), Model-2006 of Resident Commissioner Office, Government of Himachal Pradesh, Himchal Bhwan, 27-Sikandra Road, New Delhi.
2. The vehicle can be inspected in the Resident Commissioner office, Government of Himachal Pradesh, Himachal Bhawan, 27-Sikandra Road, New Delhi-110001, on any working day from 2:30 PM to 5:00 PM or on the date of auction.
3. The sealed tender should reach the undersigned at above address on or before 11 AM on 27.12.2019. Each bidder should deposit a sum of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) with the undersigned on account of security money (refundable). The tenders will be opended at 3 PM on 27.12.2019.
4. The open auction of the said vehicle will be carried out in the presence of Condemnation Commitee and interested parties. The highest bidder shall have to deposit the full amount of vehicle auctioned. In case rates are quoted less then minimum reserve price, the Condemnation Commitee reserves the right to reject the auction without assigning any reason.

Sd/-
Dy. Resident Commissioner,
Govt. of HP, New Delhi-1

इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: फ्लैट नं. 901 बी, देविका टॉवर 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली-110019 संयुक्त कार्यालय: 610/611, निर्मल गैलेक्सी एवियर, एल.बी.एस रोड, नजदीक जोनसॅन एंड जोनसॅन, मुलंद (पश्चिम), मुम्बई-400080
ई-मेल: info@integratelesoftware.com, वेबसाईट: www.integatelesoftware.com
CIN No: L74899DL1985PLC020286 फोन: 011-41008327

डाकीय मतपत्र सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुवर्ती कंपनी के सभी शेयरधारकों को 11 दिसम्बर, 2019 को डाकीय मतपत्र फॉर्म तथा पोस्टेज प्री-पेड रिप्लाई लिफाफे के साथ डाकीय मतपत्र सूचना भेजने कार्य पूर्ण किया है जिनका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 29 नवंबर, 2019 को डिपोजिटरीज की बेनिफिशरी की सूची/कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है तथा उनसे डाकीय मतपत्र सूचना दिनांक 14 नवम्बर, 2019 में निर्धारित विषयों के लिए सदस्यों से सहमति मांगना है। कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को ई-मेल के द्वारा डाकीय मतपत्र फॉर्म और डाकीय मतपत्र सूचना भी उन सदस्यों को भेज दी है जिनकी ई-मेल आइडीज रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत हैं।
व्यापार को इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोटिंग के साथ ऊपरकथित डाकीय मतपत्र द्वारा संपादित किया जाना है। कंपनी ने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाओं को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग सुविधा लिंक https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी। वोटिंग अवधि वीरवार, 12 दिसंबर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे शुरू तथा शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। इस अवधि के दौरान, कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 29 नवंबर, 2019 को भौतिक रूप या डीमैट रियलाइज्ड रूप में शेयरधारक कंपनी के सदस्य इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग सारणी को इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा असक्षम कर दिया जाएगा।
निदेशकों के बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके में डाकीय मतपत्र/ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए छटनीकार के तौर पर श्री रिषभ नरेन्द्र डोशी, पेशेवर कंपनी सचिव (सद. सं. 24406, सीपी नं. 11412) को नियुक्त किया है। विधिवत पूर्ण डाकीय मतपत्र फॉर्म शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 को सायं 5.00 बजे आइएसटी से पूर्व छटनीकार को पहुंच जाने चाहिए। कथित समय के बाद प्राप्त डाकीय मतपत्र फॉर्म को कड़ाई से समझा जाएगा यदि सदस्यों से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है।
जिन सदस्यों को डाकीय मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है वह इसे वेबसाइट http://www.integratelesoftware.com से डाउनलोड करे या आरटीए को rta@abhipra.com से डाकीय मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध हेतु ईमेल या कंपनी को info@integratelesoftware.com पर ईमेल करे और इसकी डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करें।
डाकीय मतपत्र का परिणाम अध्यक्ष या कंपनी के किसी अन्य निदेशक द्वारा 14 जनवरी, 2020 से पूर्व कंपनी के संयुक्त कार्यालय पर घोषित किया जाएगा और बीएसई लि. को सूचित किया और कंपनी की वेबसाइट अर्थात् http://www.integratelesoftware.com पर छटनीकार की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
ई-वोटिंग से संबंधित किसी समस्या की स्थिति में कृपया https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मेनुवल/फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) देखें या evoting.nsdl.co.in पर ईमेल द्वारा सम्पर्क या 1800222990 पर कॉल करें या श्री जीवत राय उपाध्यक्ष, अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट, को टेलीफोन नं. 011-42390783 तथा ई-मेल rta@abhipra.com पर सम्पर्क करें। सदस्य कंपनी को ऊपर वर्णित पते info@integratelesoftware.com पर ई-मेल पर भी लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड
ह./-
जीत राजेन शाह
निदेशक
DIN: 06948326
स्थानः मुम्बई
दिनांकः 11.12.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
राजीव सर्किल शाखा, एम-5ए, मंत्री हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 23415421, 2341627

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना
स्थानः नई दिल्ली तिथिः 5.11.2019

क्रम सं.	ऋणधारक	क्रम सं.	गारन्टरों
1.	चित्रों, पत्नी सुखवीर एवं सुखवीर, पुत्र बुधराम पताः 1: 390, गांधी पाना, बख्तावरपुर, नरेला, नई दिल्ली-110036 पताः 2: सम्पत्ति सं. 121, प्रथम तल, खसरा नं. 213, ग्राम नसीरपुर, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046 (ऋणधारक तथा मार्टगैजर एक ही व्यक्ति हैं)	2.	निल

प्रिय महोदय
संदर्भः इंडियन ओवरसीज बैंक, राजीव सर्किल शाखा में आपकी साख सुविधाएं
1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी सर्किल शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विभिन्न ऋणों/साख सुविधा/खाताओं में विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा (रु. लाख)	ब्याज दर	2019 को कुल बकाया (रु.)
1.	गृह ऋण	रु. 48.00	8.75%	रु. 49,16,020.00

* ऊपर वर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों/रेस्ट्स पर आगे के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
क्रम सं. 2 के अंतर्गत वर्णित ऋणधारकः निल ने गारंटी तिथि निल निष्पादित की है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज आदि के साथ कुल साख सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा इंडियन ओवरसीज द्वारा वहन की गई चार्जेज सहित स्वीकृत ब्याज के साथ मांग करने पर तथा जब और जैसे ही वह देय हो सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान करने तथा सभी देयताओं को निष्पादित करने का गारन्टी दिया है।
ये साख सुविधाऐं ऋणधारक सं. 1 (चित्रों एवं सुखवीर) तथा क्रम सं. 1 में वर्णित गारन्टर/मार्टगैजर (चित्र तथा सुखवीर) तथा क्रम सं. 2 में मार्टगैजरों/गारन्टरों के नाम में स्थित सम्पत्ति की गिरवी/हाइपोथेकेशन/हायर परचेज/लीज (जो भी लागू हो) द्वारा नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है।
क्रम सं. 2 में वर्णित गारन्टरः निल, आप ने निम्न रूप में साख सुविधाओं के लिये व्यक्तिगत गांरटी दी है तथा समय-समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।
2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	प्रतिभूति का प्रकार (हाइपोथेकेशन/मार्टगैजर आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण (अवस्थिति, चार सीमाओं, चार दिशा में माय कुल विस्तार तथा स्वामी के नाम का संपूर्ण विवरण दें)
1.	इक्विटैबल मार्टगैज	सम्पत्ति सं.-121, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल माप 100 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 213 में, ग्राम नसीरपुर, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046 पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गली 8 फीट।

** बैंक को अन्य उपलब्ध सांविधिक कार्रवाई के माध्यम से कृषि भूमि ऊपर प्रतिभूमि सं. 6 के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.10.2019 को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 में आप ऊपर नामित ऋणधारक (चित्रा एवं सुखवीर) ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से यथा स्वीकृत मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज 8.75% की दर के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 49,16,020/- (रुपये उन्चास लाख सोलह हजार बीस मात्र) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. ऊपर नामित मार्टगेजर/गारंटर क्रम सं. 2: निल ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/गारंटर नं. हमें स्वीकृत रूप में मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज 8.75% की दर से के साथ कुल रु. 49,16,020/- (रुपये उचास लाख सोलह हजार बीस मात्र) की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम मार्टगैजर/गारंटर जिन्होंने सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्रवत्तनीय गैर-कृषि प्रतिभूतियां दी है के लिए गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. हम, पुनः चित्रों, पत्नी सुखवीर तथा सुखवीर, पुत्र बुध राम को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधि

राजस्व की कमी दूर करने के लिए

कई वस्तुओं पर बढ़ सकती हैं जीएसटी दरें

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में जीएसटी दर और स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। जीएसटी की अब तक की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं रही है। इसकी वजह से केंद्र और राज्यों की राजस्व वसूली काफी दबाव में आ गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह 18 दिसंबर को बैठक होने वाली है। जीएसटी के सभी फैसले जीएसटी परिषद में ही लिए जाते हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम रहा है और कई राज्यों का मुआवजा भी लंबित है। राज्य उन्हें जल्द से जल्द इसकी भरपाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी के तहत इस समय मुख्यतया चार दरें- पांच, 12, 18 और 28 फीसद हैं। 28 फीसद की श्रेणी में आने वाली माल व सेवाओं पर उपकर

भी लिया जाता है। यह उपकर एक से 25 फीसद के दायरे में लगाया जाता है।

केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के एक समूह ने मंगलवार को बैठक कर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इसमें कई विकल्पों पर विचार किया गया जिनमें से एक यह है कि पांच फीसद की दर को बढ़ाकर 8 फीसद और 12 फीसद की दर को बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया जाए।

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने के मामले में विस्तृत प्रस्तुतीकरण जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान ही दिया जाएगा। इसके अलावा राज्यों की बढ़ती मुआवजा जरूरतों को देखते हुए परिषद की बैठक में कुछ और उत्पादों पर उपकर वसूले जाने पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

सूत्रों ने बताया कि परिषद की बैठक में जीएसटी दरों को आपस में विलय कर उनकी संख्या मौजूदा चार स्लैब से घटाकर तीन भी की जा सकती है। परिषद विभिन्न छूटों पर भी फिर से गौर कर सकती है। वह यह भी देखेगी कि क्या कुछ सेवाओं पर उपकर लगाया जा सकता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर की अवधि में केंद्रीय जीएसटी प्राप्ति 2019-20 के बजट अनुमान से 40 फीसद कम रही है। इस अवधि में वास्तविक सीजीएसटी संग्रह 3,28,365 करोड़ रुपए रहा है जबकि बजट अनुमान 5,26,000 करोड़ रुपए रखा गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

दिल्ली मेट्रो के वित्त पोषण प्रारूप में संशोधन को मंजूरी

दिवाला कानून में संशोधन सहित कई मामलों को मिली हरी झंडी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में बनने वाले तीन प्राथमिक गलियारों के वित्त पोषण के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जमीन की लागत 50:50 के अनुपात में वहन करेंगे। यह मंजूरी चौथे चरण में बनने वाले तीन गलियारों...एयरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मुकुंदपुर से मौजपुर पर लागू होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी मेट्रो परियोजना में दिल्ली पहला शहर होगा जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ जमीन लागत का वहन करेगी।

फिलहाल केंद्र और दिल्ली सरकार मेट्रो परियोजनाओं में 50:50 के अनुपात में लागत का वहन करती हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के छह सितंबर 2019 के आदेश के अनुरूप दिल्ली से जुड़ी मेट्रो रेल नीति, 2017 में संशोधन के अनुरूप है।

निर्णय ऐसे समय किया गया है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरूआत में होने हैं। बयान के अनुसार, 'परियोजना की लागत 24,948.65 करोड़ रुपए है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत सरकार का योगदान 4,154.20 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,643.638 करोड़ रुपए हो गया है। यानी शुद्ध रूप से 489.438 करोड़ रुपए की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।'

वहीं मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिवाला कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। संशोधन के तहत कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों के अपराधों के लिए उसके नए खरीदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) में इस संशोधन का लक्ष्य दिवाला समाधान प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करना और कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करना है। आइबीसी (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 का उद्देश्य इस संहिता की कई धाराओं में संशोधन करने के साथ-साथ कानून में नई धारा को शामिल करना है।

आइआइएफसीएल में 5,300 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) में 5,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी निवेश के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह काम पुनर्पूंजीकरण बांड के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'यह काम नियमित बजटीय सहायता के जरिए और/अथवा पुनर्पूंजीकरण बांडों को जारी कर-के पूरा किया जाएगा।' पूंजी निवेश के समय, नियमों और शर्तों पर आर्थिक मामलों का विभाग फैसला करेगा।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को सेबी के दिशानिर्देश के अनुसार बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) स्थापित करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इस बारे में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (विशेष परियोजना) रोहिणी का कार्यालय
उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन, तृतीय तल, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली
एनआईटी सं.: ईई (स्पे. प्रोजे.)आरजेड/टीसी/2019-20/05 दिनांक: 11.12.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

उत्तरी दिल्ली नगर निगम **"दिल्ली में भलस्वा डम्प साइट पर बायोमाइनिंग प्रोसेस से प्राप्त आरडीफ के निस्तारण हेतु ठेकेदारों के सूचीकरण"** हेतु पात्र निविदादाताओं से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है।

उत्तरी दि.न.नि. के आईटी विभाग के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि : 24.12.2019 को 15:00 बजे तक
निविदा दस्तावेज डाउनलोडिंग की अंतिम तिथि : 24.12.2019 को 17:00 बजे तक
बोली पूर्व बैठक : 19.12.2019 को 15:00 बजे
तकनीकी बोली की प्रस्तुति : 26.12.2019 को 15:00 बजे
तकनीकी बोली का खुलना : 26.12.2019 को 15:15 बजे
वित्तीय बोली का खुलना : अलग से सूचित किया जायेगा
बोली सुरक्षा राशि : रु. 1.00 लाख
निविदा दस्तावेज का मूल्य : रु. 1,000/-
अनुबंध मिलने बाद समय अवधि : 12 महीने
बोली वैधता अवधि : 06 महीने

उत्तरी दि.न.नि. निविदादाता के चयन हेतु एकल चरण दो बोली प्रणाली का पालन करने की इच्छुक है। ऊपर दर्शाई गई किसी तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में उस कार्य को अगले कार्यदिवस को उसी समय पर किया जायेगा। शुद्धिपत्र या कोई अन्य सूचना, अगर होगा, तो उसे केवल वेबसाइट www.mcdonline.gov.in एवं www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर दर्शाया जायेगा।

आर.ओ सं. 185/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधिशासी अभियंता (विशेष परियोजना)

सीजी पावर, अन्य कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआइओ) ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस लिमिटेड और समूह की 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ कथित अनियमितता की जांच शुरू की है।

सीजी पावर ने बंबई शेयर बाजार को बुधवार को बताया कि कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एसएफआइओ के संयुक्त निदेशक (जांच) का एक पत्र मिला है।

बैंक व आइटी शेयरों में लिवाली से सूचकांक 172.69 अंक चढ़ा

मुंबई, 11 दिसंबर (भाषा)।

नरम वैश्विक संकेतों के बीच बैंकिंग, वाहन और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों की रौनक लौट आई।

बंबई शेयर बाजार के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक में कारोबार के दौरान करीब 330 अंकों का उतार-चढ़ाव रहा। यह अंत में 172.69 अंक की तेजी के साथ 40,412.57 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 53.35 अंक की बढ़त के साथ 11,910.15 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक की कंपनियों में एनटीपीसी में सर्वाधिक 2.77 फीसद की तेजी रही। येस बैंक में 15.33 फीसद की गिरावट रही।

माल्या मामले में भारतीय बैंक फिर ब्रिटेन की अदालत पहुंचे

लंदन, 11 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय सरकारी बैंकों के एक समूह ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से शराब कारोबारी विजय माल्या को करीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज न चुकाने के आरोप में दिवालिया घोषित करने का आदेश देने की एक बार फिर अपील की है।

लंदन में हाई कोर्ट की दिवाला शाखा में न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने इस सप्ताह सुनवाई की।

न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स बैंकों की 2018 की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं जिसमें अब बंद हो चुकी किंगफिशर एअरलाइंस द्वारा लिए गए कर्ज की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है।

जैविक उत्पादों के निर्यात की मात्रा कम रहने पर चिंता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

वैश्विक बाजार में देश से जैविक उत्पादों के निर्यात की मात्रा बहुत कम रहने पर संसद की एक समिति ने चिंता जाहिर की है और सरकार को एक अलग जैविक उत्पादन परिसर स्थापित किए जाने की सलाह दी है।

समिति ने कहा है कि निर्यात बाजार को ध्यान में रखते हुए इस परिसर को जरूरी प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ ही प्रभावी उत्पाद ब्रांड भी तैयार करने चाहिए ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II, 18/4, तृतीय और चौथा तल, एसबीआई हाऊस आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV, नियम-8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II, 18/4, चौथा तल, एसबीआई हाऊस आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **मैसर्स ए एन जी ग्लोबल (कर्जदार), श्री नीरज गोयंका (पार्टनर), श्रीमती मुन्नी अग्रवाल, श्री सौरभ अग्रवाल (पार्टनर/गारंटर), श्रीमती पूनम गोयंका (गारंटर) और श्री हरीश तायल (गारंटर)** को मांग नोटिस दिनांक **26.09.2019** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रु. 3,28,78,452.31** (रु. तीन करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठहत्तर हजार चार सौ बावन और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 20.07.2019 तक साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्नवर्णित **संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4)** के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत **दिनांक 10.12.2019** को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II, 18/4, चौथा तल, एसबीआई हाऊस आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005,** के प्रभार वास्ते **रु. 3,28,78,452.31** (रु. तीन करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठहत्तर हजार चार सौ बावन और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 20.07.2019 तक साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

(1) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री सौरभ अग्रवाल
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक दुकान नं. एमजेड-45, के-62, ब्लॉक-के, सैक्टर-18, नोएडा, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 15.62 वर्ग मी.

(2) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्रीमती मुन्नी अग्रवाल
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. एफ-50, द्वितीय तल, ब्लॉक-एफ, पॉकेट-22, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085, क्षेत्रफल 91.96 वर्ग मी.

दिनांक : 10-12-2019, स्थान : नई दिल्ली (ह.)/- प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
[समल कम्पनियों हेतु लाइसेंस के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन]
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आरओसी)
रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं हरियाणा
चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर,
61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में
तथा
एचसीजी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
के मामले में जिसका पंजीकृत पता 6/847, मेन बाजार, मेहरौली, नई दिल्ली-110030 पर स्थित है।
... आवेदक

एतद्द्वारा जनसामान्य को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन किया है, जो कि शब्द "लिमिटेड" या शब्दों "प्राइवेट लिमिटेड" में बिना कोई संशोधन के, धारा 8 के तहत पंजीकृत होने के लिए इच्छुक है। इस विशेष प्रस्ताव को 12.10.2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित किया गया, ताकि कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी सक्षम हो।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन / विलोपों से प्रभावित हो, तो वह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हो, कारण देते हुए, पंजीकृत डाक द्वारा कंपनियों के रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के पास चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 को इस सूचना के छपने के 14 (चौदह दिनों) के भीतर प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी कंपनी को उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय पर भी भेज दें।

पंजीकृत कार्यालय : 6/847, मेन बाजार, मेहरौली, नई दिल्ली-110030
एचसीजी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
के लिए तथा उसकी ओर से
ह./-
धन देव (निदेशक)
डीआईएन : 00128913
पता: टी-118, प्रथम तल, गार्ड सं. 8 मेहरौली, गढ़ांव पुर, नई दिल्ली-110030
तिथि : 10/12/2019
स्थान : नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
क्षे.का. दिल्ली (उत्तर एवं मध्य) 1398, प्रथम तल, जौनी चौक, दिल्ली-110006, टेलीफोन: 011-23832226

शुद्धि पत्र

कृपया 07.12.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 27.12.2019 को अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना) के विज्ञापन का संदर्भ लें। ऋ.सं. 10-नरेला, नई दिल्ली शाखा - खाता- दविन्दर सिंह में ईएमडी राशि गलत प्रकाशित हुई है। कृपया सही ईएमडी राशि को रू.1.40 लाख की बजाय "रू.14.00 लाख" पढ़ा जाए। ऋ.सं.2-भगीरथ पैलेस, दिल्ली शाखा में खाता का नाम "सरिता शर्मा" पढ़ा जाए। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे। (प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

एअर इंडिया ने मांगी 2,400 करोड़ की गारंटी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

वित्तीय संकट से गुजर रही एअर इंडिया ने नई पूंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है। एअरलाइन मुख्य रूप से परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पूंजी जुटा रही है। यह बात ऐसे समय सामने आई है, जब सरकार कर्ज में डूबी एअर इंडिया के विनिवेश के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

अधिकारी ने कहा कि एअरलाइन ने परिचालन जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने को लेकर सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank
क्षेत्रीय कार्यालय, 595 मलिक चौक, इंद्रा नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड
शाखाः बनियावाला (2503)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8(1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता की प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस प्राप्ति की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन **इण्डियन ओवरसीज बैंक, बनियावाला शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। "उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणी:** श्री टेक बहादुर सिंह घाले पुत्र सी0बी0 घाले निवासी: तुनवाला रोड, रांझावाला रायपुर देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001 गारन्टर: कुमारी श्यामा घाले पुत्री श्री टेक बहादुर सिंह घाले पुत्र सी0बी0 घाले निवासी: तुनवाला रोड, रांझावाला रायपुर देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001	खसरा नं0 804/2 माप क्षेत्रफल 0.0233 हैक्टेयर एवं 233 वर्ग मीटर मौजा रायपुर, परगना परेवा दून, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड। वही नं0 1, जिल्द नं0 2978, पेज नं0 195 से 2016, नं0 6571 दिनांक 22.10.2009 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री टेक बहादुर घाले पुत्र सी0बी0 घाले। **सीमायें:**- पूर्व हरि राम की भूमि का भाग एवं लोकेश शर्मा की सम्पत्ति का भाग, पश्चिम: सुमेर सिंह एवं ओम प्रकाश की सम्पत्ति, उत्तर: सुमेर सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण: रास्ता।	17.01.2019	07.12.2019	रु0 10,05,130/- + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे
2.	**ऋणी:** मैसर्स माया ट्रेडिंग प्रोपराइटर श्रीमती माया पत्नी प्रेम पाल निवासी: 169, चांदमारी, निकट हैडपंप डोईवाला देहरादून, उत्तराखण्ड- 248148 **गारन्टर/बंधककर्ता:** श्री प्रेम पाल पुत्र प्रभु, निवासी: 169, चांदमारी, निकट हैडपंप डोईवाला देहरादून, उत्तराखण्ड- 248148।	बंधक सम्पत्ति खाता नं0 1245, खसरा नं0 177 मिन, क्षेत्र 675.15 वर्ग मीटर, खसरा नं0 185/1 क्षेत्रफल 340.85 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्र 1016 वर्गमीटर, स्थित मौजा माल्थौन ग्रांट-1, मजरा चांदमारी, जिला देहरादून, सम्पत्ति स्वामी श्री प्रेम पाल पुत्र प्रभु। **सीमायें:**- पूर्व: दिलवर सिंह की भूमि, साइड माप 121, पश्चिम: प्रेम सिंह की भूमि, साइड माप 121, उत्तर: तेज सिंह की भूमि, साइड माप 90 फीट, 3 इंच, दक्षिण: 20 फीट चौडा रास्ता, साइड माप 90 फीट, 33 इंच।	11.09.2018	07.12.2019	रु0 7,31,026/- + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे
3.	**ऋणी:** श्री धीरेन्द्र सिंह रावत प्रोपराइटर मैसर्स रावत हार्डवेयर, पता: ग्राम- रानीपोखरी, तहसील ऋषिकेश, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड **गारन्टर/बंधककर्ता:** श्रीमती बसंती रावत पत्नी श्री धीरेन्द्र सिंह रावत, ग्राम- रानीपोखरी, तहसील-ऋषिकेश, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड।	खसरा नं0 297 खा मिन माप क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर एवं 225 वर्ग गज कवर्ड क्षेत्रफल 121.30 वर्ग मीटर स्थित मौजा रानीपोखरी, परवादून, तहसील- ऋषिकेश, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड। सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती बसंती रावत पत्नी श्री धीरेन्द्र सिंह रावत। **सीमायें:**- पूर्व श्री दयाल सिंह नेगी की भूमि, पश्चिम: विक्रेता श्रीमती हिमा खत्री की भूमि, उत्तर: श्री सुशील कुमार तिवारी की भूमि, दक्षिण: 12 फीट चौडा रास्ता।	29.04.2019	07.12.2019	रु0 13,21,902/- + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांकः 11.12.2019 स्थान-देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

बिजली की मांग नवंबर में 4.28 फीसद घटी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

देश में बिजली की मांग नवंबर में 4.28 फीसद घटकर 94.6 अरब यूनिट रही। इसका मुख्य कारण जाड़े का आना है। यह लगातार चौथा महीना है, जब बिजली की मांग घटी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2018 में मांग 98.84 अरब यूनिट रही।

बिजली मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जाड़े के जल्दी आने से बिजली मांग में कमी आई है। पिछले साल एअर कंडीशनर का उपयोग दिसंबर की शुरुआत तक किया गया था। इस साल ऐसी स्थिति नहीं है। आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्तूबर में बिजली की मांग पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 12.94 फीसद घटकर 98.36 अरब यूनिट रही। अक्तूबर 2018 में मांग 112.98 अरब यूनिट थी।

इस साल बिजली मांग में अगस्त से ही कमी आनी शुरू हो गई। उस समय यह 0.53 फीसद घटकर 112.1 अरब यूनिट रही जो एक साल पहले इसी महीने में 112.71 अरब यूनिट थी। जुलाई में बिजली मांग 6.72 फीसद बढ़कर 117.22 अरब यूनिट रही जो एक साल पहले इसी महीने में 109.83 अरब यूनिट थी। आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल-नवंबर के दौरान बिजली मांग 1.21 फीसद बढ़कर 880.35 अरब यूनिट रही जो एक साल पहले इसी महीने में 869.76 अरब यूनिट थी।

एनर्जी एक्सचेंज के अधिकारी ने कहा कि बिजली मांग में कमी का कारण मौसम में बदलाव है और आंशिक रूप से औद्योगिक गतिविधियों में नरमी भी इसकी वजह है। यह औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े से पता चलता है।

सिटी बैंक एन.ए., 5वीं मंजिल, डीएलएफ स्क्वेयर, डीएलएफ सिटी फेज-II, गुरुग्राम-122002

नीलामी विक्रय सूचना (सरफाएशी अधिनियम, 2002 के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति का नीलामी विक्रय।

जबकि बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत तथा इसके पश्चात सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(12) तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) एवं 14(1) के तहत सिटीबैंक एन.ए. के पास बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया और अधोहस्ताक्षरी ने अधिकृत प्राधिकारी की क्षमता से 10 जनवरी, 2020 को निम्नलिखित स्थान एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति के विक्रय का निर्णय लिया है।

विक्रय का विवरण

क्र.सं.	ऋणधारक का नाम, ऋण खाता सं. सम्पत्ति का विवरण एवं अपसेट मूल्य	प्रतिभूत ऋण, ईएमडी राशि	नीलामी का स्थान एवं समय
1	सुश्री साक्षी सहगल, श्री मनीष सहगल मैसर्स निम्बस फैब्रिक्स, श्री केवल सहगल फ्लैट सं. 237, दूसरी मंजिल, धुदियाल अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 खाता सं. 134319 अपसेट मूल्य : रु. 90,40,000 फ्लोर एरिया : 1119 वर्ग फीट	04 दिसम्बर, 2019 को रु. 1,23,09,496/- ईएमडी रु. 9,04,000	निरीक्षण का समय: 7 जनवरी, 2019 को 11:00 बजे प्रातः से 1:00 बजे अपराह्न तक **नीलामी स्थाल:** सिटीबैंक एन.ए., 5वीं मंजिल, डीएलएफ स्क्वेयर, डीएलएफ सिटी, फेज- II, गुरुग्राम-122002 **10 जनवरी, 2020 को 11.30 बजे प्रातः**

नीलामी के नियम एवं शर्तें
1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा भी जहां है एवं जो भी वहां है" शर्त पर की जायेगी।
2. बोलीदाता का नियत तिथि एवं समय पर उपरोक्त सम्पत्तियों के विवरणों के निरीक्षण सहित सभी दृष्टियों से सम्पूर्ण ड्यू डिलिजेन्स करना होगा।
3. सिटी बैंक एन.ए. के पास बोली जमा करने का आशय बोलीदाता द्वारा यह स्वीकारोक्ति माना जायेगा कि i) उन्होंने सभी दृष्टियों से ड्यू डिलिजेन्स किये हैं; ii) वे सभी विवरणों/सम्पत्तियों के मापों से संतुष्ट हैं; iii) वे नीलामी को अधिशासित करने वाले सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं तथा; iv) वे भविष्य में किसी भी तिथि को बैंक के प्रति प्रतिकूल दावे करने के अपने अधिकारों का परित्याग करते हैं।
4. यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। यदि ऋणधारक/गारन्टर बिक्री से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर देते हैं तो बिक्री नहीं की जायेगी।
5. बोलीदाता को सिटी बैंक एन.ए., 5 वां तल, डीएलएफ स्क्वॉयर, डीएलएफ सिटी फेज II, गुड़गांव-122002 में 10 जनवरी, 2020 को या पूर्वा. 11.30 पूर्वा तक प्राधिकृत अधिकारी, सिटी बैंक एन.ए. को संबंधित मुहरबंद लिफाफे में बोली प्रपत्र के साथ सिटी बैंक एन ए, ऋण खाता 134319 के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा। कृपया ध्यान रहे कि सफल बोलीदाता के संदर्भ में ईएमडी सिटी बैंक एन.ए. द्वारा प्राप्य बिक्री मूल्य में समायोजित की जायेगी। साथी हीं, असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस लौटाई जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा के तत्काल बाद 25% बोली राशि जमा करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान सिटी बैंक एनए ऋण खाता संख्या 134319 के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/डीडी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जायेगा।
7. यदि सफल बोलीदाता उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा के तत्काल बाद 25% की बोली राशि तथा 15 दिनों के भीतर शेष राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो बिना किसी सूचना के बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा बिक्री निरस्त कर दी जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि स

खबर कोना

मैड्रिड में बुधवार को पर्यावरण वैज्ञानिकों की बैठक में बोलतीं स्वीडन की जलवायु पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग।

चीन बोला, 2019 में 48 पत्रकारों को जेल में नहीं डाला

बेजिंग, 11 दिसंबर (भाषा)।

चीन के शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को अमेरिकी मीडिया निगरानी संस्था सीपीजे की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि चीन ने 2019 में 48 पत्रकारों को जेल में डाला। चीन ऐसा देश है जहां कानून का शासन है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे) ने इस साल के अपने वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण में कहा कि चीन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र में पत्रकारों के लिहाज से सबसे खराब हालात हैं। सीपीजे ने पाया कि कम से कम 250 पत्रकारों को उनके कार्य के लिए जेल में बंद किया गया और इस मामले में सबसे अधिक संख्या चीन में है।

भारत की नाविक प्रणाली के साथ डाटा का आदान-प्रदान करेगा अमेरिका

वाशिंगटन, 11 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी संसद ने भारत के 'नाविक' उपग्रह को 'सहयोगी' नौवहन उपग्रह प्रणाली के तौर पर मान्यता देने को सहमति दे दी है जिससे अमेरिकी उपग्रह नौवहन प्रणाली इस उपग्रह के साथ सहयोग करेगी या डाटा का आदान-प्रदान करेगी। अमेरिका ने यूरोपीय संघ की गैलिलियो और जापान के क्यूजेडएसएस को भी 'सहयोगी' नौवहन उपग्रह प्रणाली के तौर पर मान्यता दे रखी है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीएए), 2020 की कांफ्रेंस रिपोर्ट के तौर पर उसने रूस की जीएलओएनएएसएस और चीन की बिदोउ को 'गैर सहयोगी प्रणाली' घोषित किया है।

लाहौर के अस्पताल पर वकीलों का हमला, पांच रोगी मरे

लाहौर, 11 दिसंबर (भाषा)।

चिकित्सकों से बदला लेने के लिए हजारों वकीलों ने नगर के अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। इससे गंभीर रूप से घायल पांच मरीजों की बुधवार को मौत हो गई।

लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काफी संख्या में वकील घुस गए और वहां तोड़फोड़ मचाई। वकीलों का कहना था कि उन्होंने दो हफ्ते पहले एक साथी वकील पर चिकित्सकों द्वारा किए गए हमले का बदला लेने के लिए ऐसा किया। वकील जैसे ही अस्पताल में घुसे, वहां मौजूद चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मी मरीजों को छोड़कर भागने लगे। जो चिकित्सक ऑपरेशन कर रहे थे, वे भी बीच में ही इलाज छोड़कर भाग गए। वकीलों ने भाग रहे कुछ डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों को पीटा और घटना कवर कर रहे पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वकीलों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मी भी वहां से भागने लगे। वकीलों ने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दीं, अस्पताल में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कुछ पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए।

पंजाब के सूचना मंत्री फैयलाजुल हसन चौहान ने कहा कि अस्पताल में करीब चार हजार वकीलों के हमले के करण गंभीर रूप से बीमार पांच मरीजों की मौत हो गई। मंत्री से भी दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय में भी अस्पतालों को बख्श दिया जाता है लेकिन उपद्रवी वकीलों ने आज सारी सीमाएं लांघ दीं और एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे पांच मरीजों की मौत हो गई और डॉक्टर एवं पैरामेडिकल कर्मी घायल हो गए। बाद में रेंजर्स और दंगा पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया। लाहौर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, 'पुलिस ने दस वकीलों को गिरफ्तार किया है। वे चिकित्सकों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। स्थिति पर काबू पा लिया गया है और अस्पताल में काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।'

रोहिंग्या मामले में जनसंहार की कोई मंशा नहीं थी : सू की

हेग, 11 दिसंबर (एएफपी)।

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित म्यांमा की असैन्य नेता आंग सांग सू की ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में रोहिंग्या मुसलिमों के खिलाफ अपने देश के सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि इसके पीछे जनसंहार की कोई मंशा नहीं थी।

हेग में जजों को संबोधित करते हुए आंग सांग सू की ने माना कि सेना ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, लेकिन इससे साबित नहीं होता है कि अल्पसंख्यक समूहों का सफाया करने की मंशा थी। अफ्रीकी देश गांबिया ने म्यांमा में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 2017 में चलाए गए सैन्य अभियान का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय अदालत में उठाया है। सेना के अभियान में हजारों लोग मारे गए और सात लाख 40 हजार रोहिंग्या लोगों ने पड़ोस के बांग्लादेश में पनाह ली।

ट्रंप ने रूस को चुनाव में दखल के खिलाफ किया आगाह

वाशिंगटन, 11 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ आगाह किया और साथ ही उससे यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष को हल करने का अनुरोध किया। अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी ट्रंप और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच मंगलवार को हुई मुलाकात के बाद आई।

ट्रंप ने यह चेतावनी तब दी है जब एक दिन पहले न्याय विभाग की निगरानी संस्थान ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान और रूस के बीच गठजोड़ की जांच शुरू करने का संघीय जांच ब्यूरो का फैसला सही था।

ट्रंप इस जांच को दुर्भावनापूर्ण रूप से साजिश रचने वाला बता कर इसकी आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने कहा कि एफबीआइ को इसकी जांच कभी शुरू नहीं करनी चाहिए थी।

वाइट हाउस ने ट्रंप व लावरोव के बीच मुलाकात के बाद एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ रूस को आगाह किया और उससे यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष को हल करने का अनुरोध किया।' बहरहाल, लावरोव ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान अमेरिकी चुनावों पर चर्चा नहीं की।

ट्रंप की रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात

वाइट हाउस ने ट्रंप व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच मुलाकात के बाद कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ रूस को आगाह किया और उससे यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष को हल करने का अनुरोध किया।' बहरहाल, लावरोव ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान अमेरिकी चुनावों पर चर्चा नहीं की।

यह ट्रंप और लावरोव के बीच दूसरी बैठक थी। इससे पहले लावरोव मई 2017 में अमेरिका आए थे जब ट्रंप ने एफबीआइ निदेशक जेम्स कोमे को बर्खास्त किया ही था। कोमे उस समय अमेरिकी चुनावों में रूस की हस्तक्षेप की जांच कर रहे थे।

बैठक के दौरान ट्रंप ने वैश्विक शस्त्र नियंत्रण संधि को समर्थन देने पर जोर दिया जिसमें न केवल रूस शामिल हो बल्कि चीन भी हो। उन्होंने रूस से ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के उनके प्रशासन के प्रयासों को समर्थन देने का भी अनुरोध किया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को हासिल करें।

वाइट हाउस ने कहा, 'ट्रंप और लावरोव ने चीन के साथ संबंधों की समीक्षा भी की। ट्रंप ने चीन के साथ निष्पक्ष तथा पारस्परिक व्यापार की जरूरत भी दोहराई।' वाइट हाउस के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ बेहतर संबंधों से दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा।

इससे पहले लावरोव ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाना बताया। पोम्पिओ ने बताया कि उन्होंने आतंकवाद एवं मादक पदार्थ रोधी सहयोग, अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन और वेनेजुएला समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

नागरिकता विधेयक, भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि कमजोर होगी : बांग्लादेश

ढाका, 11 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने बुधवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक से भारत की ऐतिहासिक धर्मनिरपेक्ष छवि कमजोर होगी। उन्होंने अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताए जाने के आरोपों का भी खंडन किया। नागरिकता (संशोधन) विधेयक में 31 दिसंबर 2014 तक भारत में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर सताए जाने के कारण आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

मोमेन ने कहा, 'ऐतिहासिक रूप से भारत सहिष्णु देश है जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करता है लेकिन यह छवि कमजोर होगी अगर वे इससे हटेंगे।' उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के मित्रवत संबंध हैं और इसे द्विपक्षीय संबंधों का 'सुनहरा अध्याय' करार दिया जाता है। इसलिए स्वभाविक है कि हमारे लोग (बांग्लादेशी) उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं करें जिससे उनमें व्यग्रता पैदा हो।' मोमेन ने भारतीय गृहमंत्री द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सताए जाने के आरोप को झूठ करार दिया और कहा कि जिन्होंने भी उन्हें यह सूचना दी, वह सही नहीं है।

उन्होंने कहा, 'हमारे देश के कई अहम फैसले विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों द्वारा लिए जाते हैं। हम किसी का भी आकलन उनके धर्म से नहीं करते।' मोमेन कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व भी उनके दावे की पुष्टि करते हैं।

अमेरिका में 2018 में 10,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया

वाशिंगटन, 11 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या जन सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखे जाने वाले करीब 10 हजार भारतीयों की पहचान कर उन्हें 2018 में हिरासत में लिया था। मंगलवार को जारी इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन 10 हजार लोगों में से 831 को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया।

'आव्रजन प्रवर्तन : गिरफ्तारियां, हिरासत और बाहर भेजना, और चयनित जनसंख्या से जुड़े मुद्दे' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को सरकारी जवाबदेही कार्यालय ने तैयार किया है। अमेरिकी आव्रजन व सीमा शुल्क प्रवर्तन या आइसीई द्वारा हिरासत में लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या 2015 से 2018 के बीच दोगुनी हो गई है।

बनर्जी-डुफ्लो ने नोबेल संग्रहालय को किताबें उपहार में दीं

स्टॉकहोम, 11 दिसंबर (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर गरीबी दूर करने में किए गए प्रयासों के लिए अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने नोबेल पुरस्कार संग्रहालय को घाना में बने हुए थैले व किताबें उपहार में दी हैं।

अर्थशास्त्री दंपति बनर्जी और डुफ्लो को मंगलवार को अलफ्रेड नोबेल की याद में माइकल क्रेमर किंग कार्ल गुस्ताफ ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। दंपति गैमला स्टान में स्टोर्टोर्गेट संग्रहालय गए। यहां जाना नोबेल सप्ताह के जश्न का हिस्सा है। नोबेल सप्ताह छह दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। दंपति यहां संग्रहालय के लिए अलग-अलग उपहार लेकर आए थे। घाना में गरीबी में जीवन गुजार रही महिला द्वारा बनाए गए दो सुंदर थैले बनर्जी ने संग्रहालय को उपहार में दिए। वहीं डुफ्लो ने भारत में स्वयंसेवी समूह प्रथम की तीन किताबें संग्रहालय को सौंपीं। यह किताबें बच्चों के स्कूल की किताबें हैं।

प्रेस ऑफिसर रेबेका ऑक्सेलस्टोर्म ने कहा, 'जब डुफ्लो क्षेत्र में पहला प्रयोग कर रही थीं तो उन्होंने इस किताब का सहारा लिया था। ये किताबें उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं।' संग्रहालय के रिवाज के मुताबिक इन दोनों ने कुर्सी पर हस्ताक्षर भी किया। संग्रहालय को इन दोनों ने जो चीजें दी है, उससे इनकी उपलब्धियों को लोगों को बताने में मदद मिलेगी। इस संग्रहालय की स्थापना 2001 में हुई थी।

फ्रांस में पूरी पेंशन के लिए कर्मचारियों को 64 की उम्र तक करना होगा काम

पेरिस, 11 दिसंबर (एपी)।

फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा है कि फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष बनी रहेगी, लेकिन कर्मचारियों को पूरी पेंशन पाने के लिए 64 वर्ष की उम्र तक काम करना होगा। फिलिप ने बुधवार को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पेंशन योजना में बदलावों को टाल जाएगा। नई पेंशन व्यवस्था 1975 के बाद पैदा हुए लोगों पर लागू होगी।

यह योजना वर्ष 2022 में श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों पर लागू होगी। साल 2022 राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम वर्ष है। यह घोषणा फ्रांस में पेंशन सुधारों की मांग को लेकर हो रही परिवहन हड़ताल के सातवें दिन की गई है।

इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हज़ारों की संख्या में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के शहरों में मार्च निकाला था। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री से पेंशन सुधारों के प्रस्तावों को स्वीकार करने की उम्मीद की जा रही है जिससे देश में उठा तनाव शांत हो सके।

बुधवार को लगभग 460 किमी के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम देखा गया। शहर की दोनों मेट्रो लाइनों को बंद कर दिया गया था। असुविधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में यात्रियों ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्हें डर है कि राष्ट्रपति मैक्रों की योजनाओं के बाद उनकी पेंशन कम हो सकती है। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार इन सुधारों के क्रियान्वयन में हो रही देरी को देखते हुए प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप से इनमें रियायत करने वाले कुछ प्रस्तावों की उम्मीद की जा रही है।

नई व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना की जगह लेगी। इसके तहत लोगों को डर है कि उन्हें कम पेंशन पर ही लंबी अवधि तक काम करना होगा। सरकार का कहना है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाएगी।

ब्राजील के ब्रासिलिया में भारी बारिश के बाद सड़क धसकने से क्षतिग्रस्त वाहन। **मुसीबत**

सर्वेक्षण : जॉनसन को बढ़त, खंडित जनादेश की अटकलें

लंदन, 11 दिसंबर (भाषा)।

ब्रिटेन में आम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को पार्टी नेताओं ने अपने पक्ष में वोट जुटाने के लिए देश भर में पूरे दम-खम से अंतिम प्रयास किए। वहीं चुनाव से पहले किया गया निर्णायक सर्वेक्षण प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बढ़त मिलते दिखा रहा है लेकिन साथ ही खंडित जनादेश की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहा है। इन चुनावों में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है और गुरुवार को मतदान के दिन अंतिम वोट पड़ने हैं।

पिछली बार 2017 में हुए चुनाव परिणामों का सटीक अनुमान लगाने वाले मॉडल के अनुसार पूर्व के कुछ सर्वेक्षणों के उलट, इस सर्वेक्षण में कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात बहुत दावे से नहीं की जा सकती। मतदान की पूर्व संध्या पर जारी 'यूगव' पोल में दर्शाया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी 339 सीटों पर, लेबर पार्टी 231, लिबरल डेमोक्रेट्स 15 और स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) 21 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 650 सदस्यीय हॉउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 326 सीट जीतने के लक्ष्य को कंजर्वेटिव्स आसानी से हासिल करते दिख रहे हैं लेकिन इन आंकड़ों में मामूली फेरबदल से त्रिशंकु संसद बनने की स्थिति पैदा हो सकती है।

गया के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को बंद करेगी सेना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

भारतीय सेना बिहार के गया स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) बंद करेगी। सेना के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में सेना ने कहा है कि ओटीए को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह योजना के मुताबिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। यह संस्थान 2011 से तकनीकी आधार पर प्रवेश योजना और विशेष कमीशन अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। अब इन कैडट अधिकारियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए), देहरादून में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओटीए चेन्नई और आइएमए देहरादून के बाद ओटीए गया तीसरा कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमी है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी।

लोकसभा में कांग्रेस और बीजद सदस्यों के बीच नोकझोंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

लोकसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान अपनी बात रखने को लेकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और बीजू जनता दल के बी महताब के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। महताब ने कहा कि कांग्रेस सदस्य सदन को हाइजैक नहीं कर सकते।

शून्यकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सदन में उपस्थित विदेशी मंत्री से एक विषय पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति चाही। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि इसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए।

चौधरी पासपोर्ट संबंधी कोई विषय उठाना चाह रहे थे जिस पर वह सदन में उपस्थित विदेश मंत्री एस जयशंकर से जवाब चाह रहे थे। द्रमुक नेता टी आर बालू भी उनकी बात का समर्थन करते हुए दिखे। इस बीच स्पीकर ने बीजद के बी महताब को शून्यकाल में उनकी बात रखने की अनुमति दी। हालांकि चौधरी अपने स्थान पर खड़े होकर अपना मुद्दा उठाते रहे इस पर महताब ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि सदन में कांग्रेस के नेता बार-बार कार्यवाही में खलल डाल रहे हैं।

वह मंत्री से जवाब देने के लिए कह सकते हैं लेकिन उन पर दबाव बनाते हुए सदन को हाईजैक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शून्यकाल सदस्यों के लिए होता है और कांग्रेस नेता सदन को 'हाईजैक' करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजद के अनुभव मोहंती भी पीछे से चौधरी की बात का विरोध करते हुए दिखे। इस पर चौधरी भी कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा सकी और बाद में अपने स्थान पर बैठ गये। शून्यकाल में महताब अनुसूचित जनजाति में घटती साक्षरता दर पर चिंता जता रहे थे।

नागरिकता विधेयक पर छात्रों का विरोध, एएमयू में सुरक्षा बढ़ाई गई

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), 11 दिसंबर (भाषा)।

पिछले दो दिनों से अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

विश्वविद्यालय परिसर के प्रवेश द्वारों पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। विश्वविद्यालय परिसर के 'यूनिवर्सिटी सर्किल' के निकट फैज द्वार के समक्ष प्रदर्शन करने वाले 20 छात्र नेताओं और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार रात निषेधाज्ञा (धारा 144) का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया।

एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान ने बताया कि मंगलवार शाम को छात्रों ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय से यूनिवर्सिटी सर्किल तक विरोध जुलूस निकाला था। यह जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया था। सिविल लाइन थाने के प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पूरे शहर में धारा 144 लागू है और छात्रों ने जुलूस निकाल कर शांति भंग की है, इस वजह से 20 छात्र नेताओं तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

एएमयू के छात्र नेताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक था और इस विधेयक का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता ने बताया कि परिसर में आज कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है।

माता-पिता का भरण पोषण व कल्याण विधेयक पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

लोकसभा में बुधवार को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने व उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने निचने सदन में उक्त विधेयक पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में कहा गया कि इससे संबंधित अधिनियम पर विचार करने के बाद सचिवों के समूह ने एक समान आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सभी फायदा देने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण की रकम में वृद्धि करने और गृह देखरेख सेवाओं के मानकीकरण की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत पुत्रवधू और दामाद को बालक की परिभाषा की परिधि में लाने की बात भी कही गई है।

इसका मकसद माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने में वृद्धि करना, अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आवेदनों सहित भरण पोषण आवेदनों का शीघ्र निपटान का उपबंध करना है। इसमें मासिक भरण पोषण की 10 हजार रुपए की ऊपरी सीमा को हटाने की बात कही गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पुलिस यूनिट का गठन करने और प्रत्येक थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शीर्ष अधिकारी नियुक्त करने व वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन रखने की बात कही गई है।

वानखेडे पर चमका राहुल, रोहित और विराट का बल्ला

भारत ने वेस्ट इंडीज से जीती श्रृंखला

मुंबई, 11 दिसंबर (भाषा)।

केएल राहुल, रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से भारत ने वेस्ट इंडीज को तीसरे टी-20 मैच में 67 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज टीम आठ विकेट पर 173 रन ही बना सकी। वेस्ट इंडीज के लिए कप्तान किरेन पोलार्ड और शिमरोन हेटमायर को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। पोलार्ड ने 39 गेंद में पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं हेटमायर ने 24 गेंद में 48 रन की आक्रामक पारी खेली।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का वेस्ट इंडीज का फैसला गलत साबित हुआ। भारत ने टी-20 क्रिकेट में अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। भारत ने इस प्रारूप में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 2017 में पांच विकेट पर 260 रन बनाए थे जो उसका सर्वोच्च स्कोर था। वहीं लाडरहिल में 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चार विकेट पर 244 रन बनाए थे। वानखेड़े स्टेडियम पर यह किसी टीम का टी-20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर है।

राहुल ने 56 गेंद में नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से 91 रन बनाए जबकि रोहित ने 34 गेंद में 71 रन बनाए जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 11.4 ओवर में 135 रन जोड़े। भारत ने पहले छह ओवर में ही 72 रन बना डाले। रोहित ने अपना अर्धशतक 23 गेंद में और राहुल ने 29 गेंद में पूरा किया। बाद में कोहली और राहुल ने 45 गेंद में 95 रन की साझेदारी की। कोहली ने 29 गेंद में नाबाद 70 रन बनाए।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले में रन के लिए दौड़ लगाते केएल राहुल और विराट कोहली।

टी-20 में भारत का तीसरा बड़ा स्कोर

स्कोर	किसके खिलाफ	मैदान	साल
260/5	श्रीलंका	इंदौर	2017
244/4	वेस्ट इंडीज	लाउडरहिल	2016
240/3	वेस्ट इंडीज	मुंबई	2019
218/4	इंग्लैंड	डरबन	2007

400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने रोहित

खिलाड़ी	देश	छक्के
क्रिस गेल	वेस्ट इंडीज	534
शाहिद अफरीदी	पाकिस्तान	476
रोहित शर्मा	भारत	404
ब्रैंडन मैकुलम	न्यूजीलैंड	398
महेंद्र सिंह धोनी	भारत	359

रणजी ट्रॉफी : दिल्ली पर पारी से हार का खतरा

तिरूवनंतपुरम, 11 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली को पहली पारी में सस्ते में आउट करने के बाद फालोआन खिलाते हुए उसके शुरुआती विकेट निकालकर केरल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए मैच के तीसरे दिन उसे पारी से हार की ओर धकेल दिया। केरल के पहली पारी के विशाल स्कोर (नौ विकेट पर 525 रन पर पारी घोषित) के जवाब में दिल्ली पहली पारी में 142 रन पर ढेर हो गई। दिल्ली को अभी भी पारी से हार को टालने के लिए 241 रन और बनाने है जबकि उसके नौ विकेट बाकी हैं।

> *रेलवे* ने दूसरी पारी में उत्तर प्रदेश को 349 रन का लक्ष्य दिया।

पंजाब के खिलाफ राजस्थान हार के कगार पर : पंजाब ने पहली पारी में 101 रन की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी में राजस्थान का स्कोर आठ विकेट पर 157 रन करके जयपुर में खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन जीत की ओर कदम बढ़ाए। पंजाब की टीम छह विकेट पर 290 रन से आगे खेलने उतरी और उसने पहली पारी में 358 रन बनाए।

दिनेश मोर के शतक से रेलवे ने उत्तर प्रदेश को 349 रन का लक्ष्य दिया : दिनेश मोर के शतक से रेलवे ने दूसरी पारी में बुधवार को उत्तर प्रदेश को 349 रन का लक्ष्य दिया। पहली पारी में 78 रन की बढ़त हासिल करने वाली रेलवे की टीम ने दूसरे दिन दूसरी पारी में 58 रन तक ही पांच विकेट गंवा दिए थे।

आस्ट्रेलियाई मुक्केबाजों के साथ अभ्यास करेंगे भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

चीन में ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारी कर रहे भारतीय मुक्केबाज पांच से 25 जनवरी तक पटियाला में आस्ट्रेलियाई मुक्केबाजों के साथ ट्रेनिग करेंगे। राष्ट्रीय पुरुष कोच सीए कटप्पा ने बुधवार को जानकारी दी। आस्ट्रेलिया ने चीन के वुहान में तीन से 14 फरवरी तक होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर से पहले जनवरी में पटियाला में भारतीय मुक्केबाजों के साथ ट्रेनिंग करने का भारत का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हाल में नेपाल में संपन्न दक्षिण एशियाई खेलों से लौटने के बाद कटप्पा ने कहा, 'हमने दो-तीन देशों को आमंत्रित किया था और आस्ट्रेलिया ने पुष्टि कर दी है कि वह यहां पांच से 25 जनवरी तक ट्रेनिंग और मुक्केबाजी में हिस्सा लेंगे।

धवन की जगह मयंक टीम में शामिल

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की आगामी एकदिवसीय श्रृंखला के लिए चोटिल शिखर धवन के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। धवन को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के दौरान सूरत में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए बाएं घुटने में गहरा कट लग गया था। इससे वह अब तक नहीं उबर पाए हैं। वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ चल रही टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से भी बाहर हो गए थे।

रिजीजू को तोक्यो में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

खेल मंत्री किरेन रिजीजू को तोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों से अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने चेताया कि अगर 2028 खेलों में भारत अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहा तो इसके लिए सभी हितधारक दोषी होंगे। रिजीजू ने कहा कि भारत की लास एंजिलिस ओलंपिक की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए आठ साल का समय पर्याप्त होना चाहिए।

रिजीजू ने फिक्की के 'टर्फ 2019' वैश्विक खेल सम्मेलन के दौरान कहा, 'अगर हम इतने समय बाद (2028 लास एंजिलिस ओलंपिक) होने वाली चीज के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर सकते तो फिर नीति तैयार करने, दिशा निर्धारण करने और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर हमें स्वयं को ही दोष देना होगा।'

उन्होंने कहा, 'समय हमारे पक्ष में है और हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत ऐसा देश नहीं रहे जिसे ओलंपिक में गंभीरता से नहीं लिया जाए। अगर हम पदक नहीं जीतते तो निश्चित तौर पर देश के खेल मंत्री के रूप में मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा।'

पंजाब पुलिस और पीएनबी के खिलाड़ियों पर कार्रवाई

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

हॉकी इंडिया ने कड़ा फैसला करते हुए 56वें नेहरू कप फाइनल के दौरान हिंसा के लिए पंजाब सशस्त्र पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ियों को अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किया।

हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष भोला नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई समिति की दो दिवसीय बैठक में सर्वसम्मति से पंजाब सशस्त्र पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ियों को क्रमशः 12-18 महीने और 6-12 महीने के लिए निलंबित करने का

नेहरू कप फाइनल में हिंसा

फैसला किया गया। समिति ने पंजाब सशस्त्र पुलिस के खिलाड़ियों हरदीप सिंह और जसकरन सिंह पर 18 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। दुपिंदरदीप सिंह, जगमीत सिंह, सुखप्रीत सिंह, सरवनजीत सिंह और बलविंदर सिंह को 11 दिसंबर से 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। हॉकी इंडिया लीग की आचार संहिता के तहत स्तर तीन के अपराध के लिए टीम मैनेजर अमित संधू को भी 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।

यह भी सिफारिश की गई कि पंजाब पुलिस की टीम को तीन महीने के लिए निलंबित किया जाए और टीम 10 मार्च 2020 से नौ जून 2020 (अनधिकृत टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के कारण लगा निलंबन खत्म होने के बाद) तक अखिल भारतीय टूर्नामेंटों में खेलने की पात्र नहीं होगी।

पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ी सुखजीत सिंह, गुरसिमरन सिंह और सुमित टोप्पो को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है जबकि टीम के कप्तान जसबीर सिंह को छह महीने के लिए निलंबित किया गया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 25, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।